खण्ड-190, अंक-2
शनिवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(21 दिसम्बर, 1957 ई0)

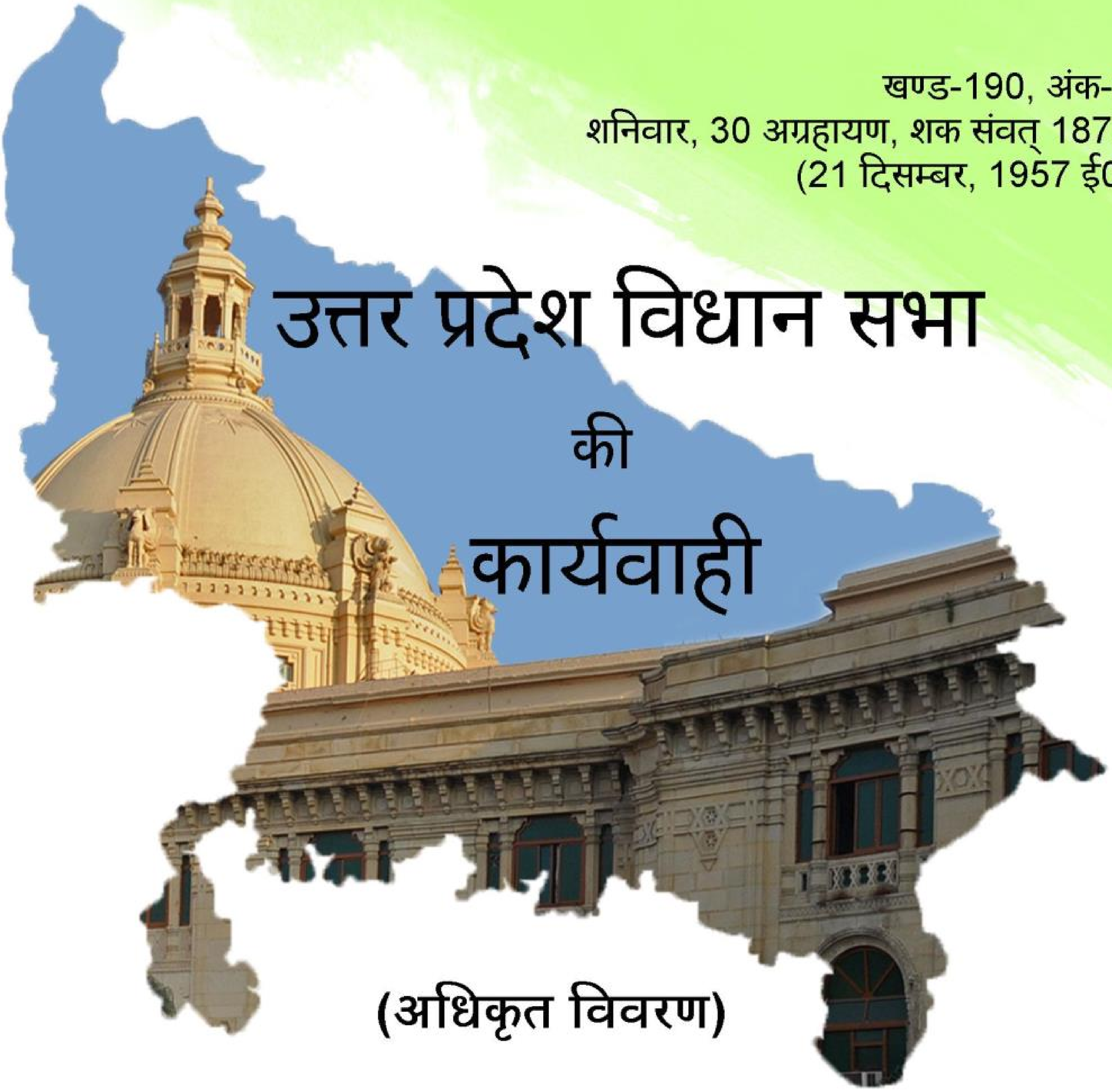

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २१ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३३८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुललतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफ़ाक़ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह, बिष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीश नारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जितेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री

बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)

रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुलइस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल ,श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

लखनऊ जेल में बन्दियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—कल जो श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने कामरोको प्रस्ताव दिया था उसको मैं पढ़कर सुनाये देता हूं :—

"गत २० नवम्बर, सन् १९५७ को लखनऊ जेल में बुरी तरह लाठी चार्ज हुआ, सर्वश्री रामसागर मिश्र, कृष्णनाथ शर्मा, कृष्णपाल सिंह, अंगनू प्रसाद, नीलकंठ, रामप्रसाद, महादेव, महावीर, बाबूलाल, रामसागर वर्मा, श्यामानन्द, राम बढाई, राम अवध तथा अन्य बन्दियों को लाठी, घूंसा, डंडा से मार-मार कर जबरदस्ती उठाकर उन्हें बैरकों में फेंका गया । कौन कहां रहता है बिना इसका ख्याल किये हुए मनमाने ढंग पर बन्द करके सामान लूट लिया गया । यह उपर्युक्त जिस निरंकुश स्वेच्छाचारी तथा बर्बर ढंग पर किया गया उसने जनतांतिक व्यवस्था की जड़ को झकझोर कर हिला दिया है जिससे प्रदेश का प्रत्येक शोषित, पीड़ित कम्पायमान हो गया है ।

अतः यह सदन उपर्युक्त विषम तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

यह पहले आदरणीय सदन के सामने आया था । उस वक्त यह मालूम नहीं था कि अदालत के सामने यह प्रश्न मौजूद है इसलिये मैंने इसको वैध करार दे दिया था और सदन ने अनुमति दे दी थी । लेकिन शाम को पता लगा कि हाई कोर्ट के सामने श्री राजनारायण जी की एक रिट है । इस वास्ते मैंने उसके ऊपर बहस करना नामंजूर किया था । खैर, वह प्रस्ताव तो जब बहस नामंजूर किया तो समाप्त हो गया । उसके बारे में आदरणीय सदन में आज-तक तो मैं इस नतीजे पर आया था कि अभी उसका फ़ैसला नहीं हुआ और बीच-बीच में राजनारायण जी ने एक आध दफा प्रस्ताव दिया तो उसको मैंने स्वीकार नहीं किया । कल रामस्वरूप वर्मा जी ने जब इसको उपस्थित किया तो मैंने यह कहा था कि अभी फ़ैसला नहीं हुआ और मुझे आज शाम तक पता लग जायगा । कल मुझे यह पता लगा कि उस रिट के ऊपर फ़ैसला हो गया है इसलिये मैंने इसको पढ़ कर सुनाया । उस रिट के बारे में जो हाई कोर्ट का आर्डर है छोटा-सा, वह मेरे पास सदन के नेताजी ने देखने को भेजा था । उपनेता जी यहां पर मौजूद हैं । अगर वे हाईकोर्ट बेञ्च का आर्डर पढ़ कर सुना दें तो सदन को मालूम हो जायगा कि क्या उसमें हुआ ।

***वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**—श्री राजनारायण साहब की दरख्वास्त का नम्बर था ७९३, उस पर हाई कोर्ट से जो आर्डर हुआ है वह अंग्रेजी में है, जिसे मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं :—

"As, the main application—Criminal Miscellaneous Application no. 778 has been disposed of, this application has become infructuous now and is dismissed accordingly."

यह आर्डर २०-१२-५७ का है ।

श्री अध्यक्ष—तो यह रिट जो है खत्म हो गया और यह मामला सबजुडिस नहीं रहा ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कल के मोशन के मुताल्लिक आपकी इजाजत से मैं कुछ अर्ज किया चाहता हूं ।

जनाब की इजाजत से यह फैसला पढ़ा गया और मैं समझता हूं कि सदन के सभी मुअ-ज्जिज मेम्बरान ने इस बात को समझा कि इसमें खालिस एक लाठीचार्ज का तजकिरा है और

---

†२० दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही से ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

उसकी इबारत से यह भी मालूम होता है कि वह लाठीचार्ज जेल के अंदर हुआ है । इस मोशन में किसी जगह यह लिखा हुआ नहीं है कि यह सरकार के हुक्म से हुआ है । लाठीचार्ज जो जेल के अन्दर हुआ होगा, वह जेल अथारिटीज ने किसी सरकम्स्टांसेज के मातहत उसका आर्डर दिया होगा और उसकी बिना पर वह हुआ होगा, जिसमें यह बात हुई जो इसके अन्दर लिखी हुई है । तो इसमें यह बात साफ है कि वह गवर्नमेंट के आर्डर से नहीं हुआ बल्कि किसी सबार्डिनेट अथारिटी के आर्डर से हुआ है और इसके ऊपर जनाब की और जनाब के प्रिडिसेसर्स की रूलिंग है कि जहां कहीं गवर्नमेंट की डाइरेक्टली जिम्मेदारी उसमें न आती हो और लाठी-चार्ज के मामले पर भी रूलिंग है, और-और मामलों पर भी हैं । तो जहां इस तरीके से गवर्नमेंट डाइरेक्टली इन्वाल्व्ड न हो वहां उस मोशन को यह करार दिया गया है कि वह मौजूं मजमून इस सब्जेक्ट का नहीं है कि उसको इस हाउस में मोशन आफ एडजर्नमेंट के जरिये से डिसकस किया जाय । रूलिंग तो कितनी ही हुई हैं, थोड़ा-थोड़ा हवाला उनका मैं अर्ज करना चाहता हूं । एक आध की रूलिंग में पढ़कर सुना दूंगा आपकी इजाजत से और एक आध का मैं हवाला दे दूंगा ।

एक तो २० अप्रैल, १९३८ की रूलिंग है वाल्यूम ३, पेज ४५३-४५४ पर, जो दादरी फेयर में एक किस्सा हुआ था और उसके ऊपर मोशन आफ एडजर्नमेंट हुआ था । उसके ऊपर वह रूलिंग हुई थी, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

दूसरी रूलिंग है २४ अगस्त, १९५४ की, जो वाल्यूम १३८, पेज २४२ पर है । कानपुर में कुछ अरेस्ट हुई थीं जिनकी बिना पर यहां एडजर्नमेंट मोशन आया था और उसके ऊपर हुक्म हुआ था । आपकी इजाजत से मैं उसकी इबारत पढ़ कर सुना देना चाहता हूं और वह यह है कि २४ अगस्त, १९५४ को कानपुर में दफा १४४ लगी थी और उस सिलसिले में सत्याग्रह को रोका गया था । उस पर श्री रामनारायण जी त्रिपाठी ने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था । उस पर जनाबवाला ने यह इरशाद फरमाया था—"कि यह रोजाना इन्तजाम के मामले हैं और उन पर किसी कामरोको प्रस्ताव के द्वारा यहां सदन में विचार नहीं किया जा सकता । इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं ।" अब मैं इसकी जो इबारत है वह पढ़कर सुना देता हूं जिससे हाउस को साफ मालूम हो जायगा कि यह चीज बिलकुल साफ कर दी गयी है । उसमें यह साफ लिखा हुआ है और जनाबवाला की यह रूलिंग है "आपने दो सवाल किये हैं । एक तो सरकार की जिम्मेदारी के बारे में, आमतौर पर जिम्मेदारी सरकारी अफसरों के बारे में सरकार की है, इस विषय में तो कोई दो राय नहीं हो सकती हैं । लेकिन जो कामरोको प्रस्ताव सदन में आता है वह तो इसलिये कि उससे सरकार का कोई विशेष सम्बन्ध है, सरकार की तरफ से कोई विशेष आज्ञा यहां से आ गयी होगी कि तुम यह काम करो, तब तो यह प्रश्न आ सकता है । दूसरे सरकार की जिम्मेदारी यों भी हो जाती है कि अगर माननीय सदस्य ने माननीय गृह मंत्री जी के पास यह शिकायत भेजी होती और उन्होंने इन्क्वायरी करने कराने से इनकार किया होता तो भी एक प्रश्न होता कि सरकार जो है वह इन्क्वा-यरी कराने को भी तैयार नहीं है, इसलिये उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है । सरकार उस चीज को दबाना चाहती है, इस तरह की आशंका हो सकती है तभी इसके ऊपर विचार हो सकता है । लेकिन अफसर कोई काम करता है तो आमतौर पर उसकी जिम्मेदारी स्थानीय कर्मचारियों पर ही आती है । मैं समझता हूं कि ऐसे विषय पर सरकार की कोई जिम्मेदारी इस किस्म की नहीं आ सकती है जिस पर कामरोको प्रस्ताव के जरिये से विवाद किया जाय बल्कि उसके लिये तो अदालत वगैरह में ही फैसला होगा । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं ।" अब उसके बाद यह लिखा हुआ है कि "अभी तक जो प्रकाश डाला गया है, इस प्रश्न के ऊपर और वाकयात के ऊपर, उससे प्रत्यक्ष सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता" । इसलिये जैसा मैंने अर्ज किया कि जो इस इबारत में कहा गया है वह यही कि "इसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता है और इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता", वह हुजूरवाला की रूलिंग है ।

अब एक बात की तरफ मैं जनाबवाला की तवज्जेह और दिलाना चाहता हूं कि हजूरवाला ने नोकान्फिडेन्स मोशन के डिसकशन के लिये २३ तारीख मुकर्रर की है। यह हुजूरवाला को भी मालूम होगा कि उसके अन्दर भी यह विषय है जो सब उसके अन्दर आ जाता है। यह कामरोको प्रस्ताव की हैसियत उसी तरह की है। यह उससे बाहर नहीं है। वह सब डिसकशन उसके अन्दर आयेंगे और साथ ही हमारा जो रूल २६ का सब-रूल (६) है उसकी तरफ भी हुजूरवाला मुलाहिजा फरमायें। उसमें यह कहा गया है कि जो विषय आने वाला हो उसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव को नहीं लेना चाहिये। इन सब बातों की तरफ मैंने हुजूरवाला की तवज्जेह दिलाई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है, उसकी तमाम बातें मैं पूरे ध्यान से सुनने के बाद यह समझता हूं कि उन्होंने कोई ऐसी नयी बात नहीं कही है जिससे इसके पहले जो इस तरह के या इसी कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था दे चुके हैं, उसमें आप परिवर्तन करें। अगर कोई व्यवस्था पहले की इसके प्रतिकूल थी, मैं यह समझता हूं कि अन्तिम व्यवस्था उस पहली व्यवस्था को रद्द कर देती है और वही चालू होनी चाहिये। लेकिन इसके अलावा इस पर विचार करने के लिये जो उन्होंने रूलिंग पढ़कर सुनायी है उनमें से आखिरी रूलिंग में उन्होंने खुद यह कहा है कि अगर सरकार ने जांच न की हो, किसी ऐसी घटना की जो उनके सरकारी अफसरों ने की हो तो तब भी सरकार की जिम्मेदारी आ जाती है। यह घटना तो सरकार के सामने हफ्तों से है और उसने उस सम्बन्ध में क्या जांच की, यह मेरी समझ में नहीं आया और न मुझे इत्तला है। पढ़कर यह सुनाया गया कि लाठीचार्ज हुआ और अगर गृह मंत्री ने कहने पर भी जांच न की होती, तो सरकार की जिम्मेदारी आ जाती थी, यह कहा गया। मेरा निवेदन है कि जिम्मेदारी तो पहले ही से है। लेकिन अगर दलील के लिये मान लिया जाय कि पहले से नहीं है तो जिस दलील के आधार पर मंत्री जी ने अपनी बात पढ़कर सुनायी, उससे भी जिम्मेदारी पहले से आ जाती है। जहां जनता के मन में, लोगों के लिये ऐसी क्षोभनीय बात हो उसे यहां प्योरली टेक्निकल बात की वजह से टालना सरकार के लिये भी उचित नहीं है। टैक्निकेलिटी के मुकाबले जनहित का ध्यान अधिक करना चाहिये। जनहित को टैक्निकेलिटी के पीछे हानि नहीं पहुंचानी चाहिये। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि यहां ऐसे मामलों पर बहस हो कर जनता में उत्तेजना और क्षोभ कम हो जाता है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस मामले पर आप प्योरली टैक्निकली विचार न करके इस बात को भी ध्यान में रखें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्री के सभी आधारों को सुना। यह विषय सदन से स्वीकृत हो चुका है और उस संबंध में श्रीमान् ने भी व्यवस्था दे दी थी। उसके बाद अब यह कहना और बाद में वित्त मंत्री जी का यह सोचना कहां तक उचित है कि यह विषय सार्वजनिक महत्व का नहीं है या सरकार का लगाव इससे नहीं है। यह यदि उनको कहना था तो जब यह विषय सदन से स्वीकृत हुआ था उससे पहले कहना था। परन्तु अब जबकि श्रीमान् व्यवस्था दे चुके हैं सार्वजनिक महत्व का है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह अवैध हो और सदन ने भी अनुमति दे दी थी, तो मंत्री जी की दलील में कोई सार नहीं है। यह टैक्निकल ग्राउंड की बात है कि मेरे नाम में आ गया, नहीं तो यह विषय सदन के सामने हफ्तों से पहले से चला आ रहा है।

जहां तक इससे सरकार के लगाव की बात है, उस दिन यहां मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि कोई लाठीचार्ज हुआ। तो विवाद की बात तो साफ है। उसके बाद सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं की कि कोई जांच करायी हो। इसलिये यह मसला सदन के सामने प्रस्तुत है। सार्वजनिक मसलों पर विवाद न चलाकर उन्हें टालन से जनता में असन्तोष फैलाना सरकार के लिये भी ठीक नहीं है। जहां तक ऐन्टीसीपेशन की बात है, यह विषय अविश्वास के प्रस्ताव से पहले का चला आ रहा है और सदन ने स्वीकृति दे दी है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

कल भी मैंने कहा था कि यह सवाल उठ सकता है। इसमें अविश्वास के प्रस्ताव की बातें नहीं हैं। यह अलग से घटना है और नो-कान्फीडेंस मोशन से कोई संबंध नहीं है। इसलिये इस पर विवाद होना बहुत आवश्यक है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, समय से हाजिर न होने के कारण यहां पर सब क्या कहा गया, इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। फिर भी, मैं आपकी इजाजत से इतना अर्ज करूंगा कि जिस कामरोको प्रस्ताव को मान्यवर ने वैध घोषित कर दिया था और जिसकी सदन ने अनुमति भी प्रदान कर दी थी, उसकी भाषा और जो भाषा माननीय सदस्य, जिला कानपुर ने कल प्रस्ताव में सूचित की है, उनमें कोई अन्तर नहीं है। माननीय राजनारायण जी ने जो लिखा था, वही माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने भी लिखा है। दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट में मामला पेश होने के कारण इसका विचार स्थगित किया गया था। चूंकि हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया है और आप ने कृपाकर यह फैसला दे दिया था कि हाईकोर्ट का फैसला देर से होने के कारण इसकी अर्जेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करने की आज्ञा आप दें।

वैधता के लिये मुझे केवल यह अर्ज करना है कि जब तक अध्यक्ष अपनी राय को फिर पलट न दें, पुनः विचार करके, जो उनका निर्णय हो गया है, वही हमारे लिये वैध है। जहां तक अविश्वास के प्रस्ताव की बात है, यह सही है कि उस पर परसों यहां विचार होगा। लेकिन उस प्रस्ताव से और इस घटना से कोई संबंध नहीं है। अविश्वास के प्रस्ताव को अभी मैंने अपनी याददाश्त ताजा करने के लिये देखा। उसमें मौलिक अधिकारों के अपहरण, विशेषकर समाजवादी पार्टी की ओर से, जो आन्दोलन चलाया गया था, उसके कुचलने की बात है। आन्दोलन कुचलने में लखनऊ जेल की घटना नहीं है। उस पार्टी ने जब अपना आन्दोलन जाब्ते से, ऐलानिया तौर पर, वापस ले लिया जिसकी सरकार को खुद सूचना है, तो उससे और इस प्रस्ताव से कोई वास्ता नहीं है। यह उसके बाद की घटना है। इससे आन्दोलन के कुचलने और न कुचलने से कोई वास्ता नहीं है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाब ने इरशाद फरमाया कि इसका नो-कान्फ्रिडेंस मोशन से कोई वास्ता नहीं है। मैंने जो रूल बताया उसके बारे में मैं यह अर्ज करता हूं कि मैं समझता हूं कि बिलकुल सही इंटरप्रेटेशन उस रूल का है। वह मामला जो इस एडजर्नमेंट मोशन में है, अगर वह उसके अन्दर कवर होता है और लोगों को यहां उस पर बोलने का मौका है और जब एक तहरीक सत्याग्रह की सारी स्टेट के मुताल्लिक है तो उसमें से लखनऊ का वाक़या कैसे अलग हो जायगा? वह उससे खाली नहीं है। कानपुर या मुरादाबाद के, सभी जगहों के वाक़यात उसमें आ जाते हैं। कुल किस्से यहां नहीं कहे जावेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर मैंने सबकी राय तो ले ही ली है। वैधता के बारे में भी आप कह चुके हैं। माननीय उपनेता सदन ने वैधता के बारे में यह आक्षेप किया कि इससे प्रत्यक्ष सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, और इसके लिये २–३ जो पहले के निर्णय हैं, उनको भी पढ़ कर सुनाया। उनमें मेरा भी एक १९५४ का निर्णय था जिसमें मैंने कहा था कि अगर सरकार से किसी प्रत्यक्ष घटना से कोई सम्बन्ध न हो तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं। सरकार ने आर्डर दिया हो, यह तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो सकता है या सरकार के पास किसी घटना की रिपोर्ट पहुंच जाय या कोई माननीय सदस्य उसके पास बात पहुंचा दें और वह जांच न करे, या जांच के बारे में कोई सूचना न दे तो इस तरह से भी सरकार का सम्बन्ध आ जाता है। इसके पश्चात् महत्ता आदि के दूसरे प्रश्न हैं, यह मैंने उस वक्त कहा था।

जब यह सवाल माननीय राजनारायण ने उठाया तो माननीय मुख्य मंत्री का आक्षेप यह था कि उनकी जानकारी में लाठी चार्ज नहीं हुआ और यह अनिश्चित है। अनिश्चितता

के आधार पर उन्होंने एतराज किया था। मैंने राजनारायण जी से यह भी पूछा था कि मुख्य मंत्री या किसी मंत्री से उन्होंने शिकायत की या नहीं। उन्होंने कहा कि "मैंने लिखकर भेजा है और इसकी सूचना उनको दे दी है।" जहां तक सूचना के बारे में है माननीय उपनेता सदन को मालूम नहीं होगा, यह प्रश्न उस वक्त पूछ लिया गया था कि सम्बन्ध है या नहीं और इसीलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस रोज एतराज नहीं किया था। लेकिन जांच की क्या रिपोर्ट आयी, सिवाय इसके कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, उस बात को अनिश्चित करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस चीज को मैंने इसलिये कहा था कि स्थानीय अफसरों ने उसकी जांच की होगी और रिपोर्ट सरकार के पास भेजी होगी और लाठीचार्ज हुआ या नहीं, इसके बारे में स्वयं माननीय सदस्यों ने पता लगाया होगा कि लाठी चार्ज हुआ, डंडे पड़े या चोटें आयीं। इन सब बातों से अब उसको अनिश्चित नहीं कहा जा सकता। इन सब बातों से मैंने उसको, निश्चित करार देकर, वैध करार दिया था। मेरी अब भी यह राय है कि सरकार से इसका सम्बन्ध आता है।

दूसरा एतराज यह उठाया गया कि जब अविश्वास का प्रस्ताव आ गया है तो उस पर विचार करते समय यह प्रश्न भी विचार में आ जायगा। प्रस्ताव इस प्रकार है—

> "यह सदन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों की अवहेलना करने, खास तौर पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने वाले सोशलिस्ट सत्याग्रहियों को कुचलने में जो गैर जनतांत्रिक नीति अख्तियार की गयी है, के कारण से मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करता है।"

अब यह प्रश्न उठता है कि बहुत सख्ती से नियमों के अनुसार अगर गौर किया जाय तो इसमें सरकार की नीति पर हमला है लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी का अभी जो कामरोको प्रस्ताव आया है, उसमें नीति के ऊपर कोई हमला नहीं है। इसमें यह नहीं है कि सरकार की नीति लोगों को पिटवाना है। घटना भी दूसरी है, वे सरकार पर चार्ज भी नहीं करते कि इसमें सरकार की नीति है। केवल वह कहते हैं कि ऐसी घटना हुई है, उस पर कार्यवाही करनी चाहिये थी, जो सरकार ने नहीं की। उस कार्यवाही न करने की जिम्मेदारी रख कर, और उस चीज के जो परिणाम जनता के ऊपर पड़े हैं और उसकी शोहरत हो जाने से वे सदन के सामने यह प्रश्न रखना चाहते हैं। अगर सख्ती से विचार किया जाय तो अविश्वास के प्रस्ताव में इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती है लेकिन मेरी ओर से कितना भी कहा जाय कुछ माननीय सदस्यों का जैसा कि तरीका है, कहीं न कहीं कुछ इधर उधर का जिक्र कर ही देते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग इसका भी जिक्र उसमें ले आवें।

दूसरी चीज मैं यह भी कहूंगा कि वह सत्याग्रह नहीं है, जैसा कि माननीय उपनेता सदन ने अपने जवाब के आखिर में यह कहा कि सत्याग्रह चाहे लखनऊ में हो, चाहे कहीं हो, एक ही घटना हुई। तो उनका खयाल है कि सत्याग्रह की वजह से कोई लाठीचार्ज हुआ, ऐसी बात नहीं है। जेल की डिसिप्लिन को ब्रेक करने में लाठी चार्ज का सवाल है। कोई बाहर सत्याग्रह करता है, उस सिलसिले में यह घटना नहीं है बल्कि जेल में कुछ गड़बड़ी हुई तो जेल की डिसिप्लिन के सिलसिले में यह झगड़ा कुछ हुआ, लाठी चार्ज हुआ हो या न हुआ हो, जो कुछ हुआ हो, तो वह सब उसके अन्दर की बात है।

दूसरी चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं और वह यह कि अगर आज ही यह प्रस्ताव आया होता तो मैं जरूर इस बात को कह देता कि अब इसकी अर्जेंसी नहीं है, खत्म कर देना चाहिये, लेकिन इसको आदणीय सदन मंजूर कर चुका था और मैंने भी वैध करार दिया था, केवल रोक दिया था सबजुडिस होने के कारण। इसलिये जो उससे प्रश्न उठता है वह यह कि इस सम्बन्ध में अगर कोई अत्याचार हुआ है, ज्यादती हुई है तो आगे उसे रोकने के इरादे से बहस होती है ताकि आयन्दा ऐसी घटना न घटे क्योंकि जो घट चुकी वह तो घट चुकी। तो इस बात की तो इमर्जेंसी बाकी रह जाती है, वह खत्म नहीं होती। अगर इस घटना पर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया होता तो भी मैं इसको

[श्री अध्यक्ष]
अनुमति नहीं देता, जो फैसला होता उसी हिसाब से सरकार और जनता का भविष्य में रवैया होता, वह काफी था । लेकिन हाईकोर्ट ने घटना के ऊपर कोई फैसला नहीं दिया। ऐसी सूरत में इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह इस पर विचार करे और मैं इसको फिर वैध करार देता हूं। श्री रामस्वरूप वर्मा सदन से इसकी अनुमति के लिये प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन थोड़े शब्दों में, संक्षेप में, विशेष बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से आपके द्वारा निवेदन करता हूं, कि यह सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है और सभी दृष्टियों से इस पर विवाद की आवश्यकता है। क्योंकि एक घटना घट चुकी,भविष्य में ऐसी घटना न घटे, केवल इसलिये उस सम्बन्ध में विवाद की आवश्यकता है । तो इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह इस पर अनुमति देने की कृपा करे।

श्री अध्यक्ष--किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(कुछ क्षण पश्चात्)

किसी को आपत्ति नहीं है, इसलिये यह सदन की अनुमति है और इसके ऊपर विवाद करना स्वीकार हुआ । अब ४ बजे इसके ऊपर विवाद होगा ।

बाकी जो और कामरोको प्रस्ताव हैं, वे तो समाप्त हो गये । अगर किसी को कोई लाना चाहता है तो उसके लिये दूसरी नोटिस देनी पड़ेगी, ऐसे तो वे खत्म हो गये ।

भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारी तरफ से एक प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में पहुंचा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिन की संख्या तय करने के लिये, उस सम्बन्ध में क्या हुआ ? इसके अलावा यह भी जानना चाहूंगा कि परसों मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना की थी कि हम लोगों को यह बतला दिया जाय कि यह अधिवेशन कब तक चलेगा और फिर जनवरी में कब होगा, तो उन्होंने कहा था कि दो एक दिन में बतला दूंगा । तो इन दोनों बातों के सम्बन्ध में मैं जानकारी हासिल करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--पहले के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में तो मैंने उस रोज रखा था कि २३ को बहस होगी लेकिन यह नहीं निश्चय किया था कि २३ को खत्म भी कर दी जायगी। २३ को प्रारम्भ करने का सवाल था कि २३ को उसको ले लें और आदरणीय सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह बीच में प्रश्न उपस्थित करने के लिये कह कर उसे बीच में ही समाप्त कर दें, उसका मतलब यह होता है । इसलिये अगर कोई दिन मुकर्रर करने का सवाल है, २ दिन या ३ दिन वाली बात निश्चित करने की बात है तो नेता विरोधी दल और नेता सदन विचार कर के मुझे बता देते, लेकिन मुझे मालूम है कि उन्होंने कुछ बातचीत की है और मैंने भी उन दोनों से बातचीत की है और उसके बाद मालूम यह होता है कि यह काम २३ और २४ को बहस होकर समाप्त हो जाना चाहिये । यह निष्कर्ष मुझे मालूम हुआ, लेकिन चूंकि कोई आखिरी चर्चा नहीं आयी इसलिये मैं पूंछना चाहता हूं, शायद माननीय उपनेता सदन जानते होंगे।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मुझे तो जाती तौर पर मालूम नहीं है लेकिन २३ तारीख को जब इस पर बहस शुरू होगी तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद होंगे, अगर कोई बात हुई होगी तो वह उसे कन्फर्म कर देंगे और उसके मुताल्लिक अपनी राय बता देंगे । यह जरूरी नहीं है कि आज ही यह मामला तय हो जाय, परसों ही यह बात तय हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष--मनानीय नेता विरोधी दल को कुछ मालूम हो तो वह बता दें ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, नेता सदन की अनुपस्थिति में कोई बात कहना मेरे लिये मुनासिब नहीं है। मैं भी यही समझता हूं कि परसों सुबह ही तय किया जाय कि इसमें कितना समय लगाया जाय। वैसे मैंने कुछ माननीय सदस्यों से बात की थी और श्रीमन् से भी यह कहा था कि इसके लिये कम से कम २ दिन रखे जायं तो मुनासिब होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा निवेदन करना है। अभी आप ने यह कहा कि अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में हम अगर कोई दिन या समय मुकर्रर कर दें तब भी प्रश्न उपस्थित करने का सवाल उठाया जा सकता है और उस तरह से उसको खत्म किया जा सकता है। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह था कि अगर अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में ऐसा माना जायगा तो निश्चित ही है कि कभी भी अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस नहीं हो सकेगी और प्रश्न उपस्थित करने का सवाल मेजारिटी पार्टी की ओर से आ जायगा और पास हो जायगा। नतीजा यह होगा कि उस पर बहस नहीं हो सकेगी। वह प्रस्ताव पास हो या न हो वह बात दूसरी है और बहस ही उस पर न होने देना दूसरी बात है।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभासचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—पास तो फिर भी वह नहीं हो सकेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अगर कोई भी मेजारिटी पार्टी जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आये और उस पर वह बहस नहीं होने देना चाहती तो मैं यही कहूंगा कि अगर वह अपने ही ख्याल से विनाश की ओर जाना चाहती है तो उसको पूरा अधिकार है और उसके लिये मैं बहुमत दल को पूरा अधिकार देता हूं कि वह अपना सर्वनाश स्वयं बुलाये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि चुटकी का जवाब चुटकी में ही होना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मेरा निवेदन केवल यह है कि हमें इस प्रश्न को बिल्कुल दूसरे पैमाने पर देखना चाहिये। जिस मेजारिटी पार्टी के खिलाफ यह प्रस्ताव है अगर उसी की मर्जी पर यह चीज छोड़ी जाती है कि इस पर बहस हो या न हो तो आधा दिन या १ घंटे में भी वह खत्म हो सकता है, और उस तरह से उसका कोई मन्शा ही नहीं रह जाता और उसके माने यह होंगे कि बहुमत दल चाहता है कि अविश्वास का प्रस्ताव सदन में आये ही नहीं। मुझे मालूम है कि इसी देश के दूसरे प्रदेशों में ऐसे प्रस्तावों पर तीन-तीन दिन बहस चली है। इसलिये आप इस पर विचार करलें कि इस पर कितने समय तक बहस चले। अगर उनकी मर्जी वैसी ही है तो मैं कभी उसमें आड़े नहीं आया लेकिन अगर वह ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम भी वह भोगेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—अब ज्यादा इस पर कहने की जरूरत नहीं है। बात यों है कि लोग कह रहे हैं कि इस पर २ दिन बहस जारी रहे लेकिन नेता सदन अभी मौजूद नहीं हैं इसलिये अब सोमवार को ही इसका फैसला कर लेना अच्छा होगा और दूसरी बात भी कि यह सदन कब तक बैठेगा उसी दिन नेता सदन बता देंगे

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा कहना जरूरी नहीं है। इसलिये कि यह करीब-करीब वैसा ही विधेयक है जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में भी

* १२ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छापा गया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

दो दिन पहले आदरणीय सदन के सम्मुख मैंने रखा था और जिस पर प्रायः डेढ़ दिन तक बहस भी होती रही ।

इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी के विधान भी करीब-करीब एक समान ही हैं और उसके संशोधन का यह जो बिल पेश हुआ है, यह भी प्रायः एक समान ही है । मैं ज्यादा समय तो लेना नहीं चाहता । केवल एक बात यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के संशोधन बिल में सानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक सेक्शन जोड़ा गया क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में वह पद्धति नहीं थी । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वह पहले से मौजूद है । लिहाजा उसकी इसमें आवश्यकता नहीं, बाकी एक ही प्रकार का है ।

इसमें भी जो ग्रेड्स लागू हैं उन लि इयेलाहाबाद यूनिवर्सिटी के के कांस्टीट्यूशन में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तीन प्रकार के टीचर्स वहां भी थे, प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर । उनको प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठाने के लिये जो आवश्यकता पड़ती थी वह विधान में किया गया है । ऐसे ही सेक्शन १२ के (५) और (६) की उपधाराएं जो कि डिसिप्लिनरी उपधाराएं हैं जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में था वैसा ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विधान में डिलीट करने का संशोधन उपस्थित किया गया है । एकैडेमिक कौंसिल की स्टैंडिंग कमेटी वहां भी थी, यहां भी है उसे वहां भी हटाया गया और यहां भी हटाने का संशोधन है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है । स्टैंडिंग कमेटी और एकैडेमिक काउंसिल दोनों ओवरलैप करती हैं । करीब-करीब एक से फंक्शंस हैं । जैसा कि उसमें था कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य दो टर्म के बाद फिर 'इन सक्सेशन' तीसरे टर्म के लिये न हो सकें, ऐसा ही इसमें भी संशोधन उपस्थित किया गया है ।

कुछ थोड़े से शाब्दिक और परिणामवाही संशोधन हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे वैसे ही हैं । मैं आदरणीय सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता ।

मैं समझता यह हूं कि इसके ऊपर पहले बिल पर काफी बहस हो चुकी है और उसे सदन ने स्वीकार किया है तो मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इस संशोधन विधेयक पर माननीय सदन विचार करे ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय शिक्षा मंत्री के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ में यह संशोधन पेश करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ जनवरी, १९५८ तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, इसमें एक चीज वहां छूट गयी है । आप की इजाजत से इतना और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि उस प्रवर समिति को इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

श्री अध्यक्ष—आप नहीं कर सकते । बात यह है कि श्री चन्द्रजीत यादव जी ने ऐसा ही संशोधन दिया है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, वह छूट गया था । अगर आप इजाजत दें तो मैं इतना और मूव कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—यादव जी को आप राजी कर लीजिये फिर कोई बात नहीं है । फिर वे बोल न सकेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—वह गये हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष—नहीं हैं, तो वह अपना संशोधन उपस्थित नहीं करेंगे। माननीय मोतीलाल अवस्थी जी का भी संशोधन है, वे भी उपस्थित नहीं कर पायेंगे। दूसरा मतलब यह है कि माननीय गोविन्दसिंह जी जो शब्द बढ़ाना चाहते हैं, अगर किसी को एतराज हो तो मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—किसी को एतराज नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस संशोधन पर हम लोगों को विचार प्रकट करने...

श्री अध्यक्ष—बोलने की बात दूसरी है, बोल तो आप सकते ही हैं। अपना संशोधन उपस्थित नहीं कर सकते।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—किसी को एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो क्या एमेंडमेंट यही रहा कि जो मोतीलाल अवस्थी जी का है और श्री रामायणराय जी के संशोधन में भी यही बात है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एतराज किसी को नहीं है। मैं ही शुरू कर देता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—चन्द्रजीत यादव जी बाहर गये हुए हैं वह अभी आते होंगे और बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—बोलने की बात दूसरी है। दो अमेंडमेंट के लिये मैं इजाजत दूंगा। एक तो यह है संयुक्त प्रवर समिति वाला और परिधि बढ़ाना भी उसमें शामिल हो जायगा। दूसरा माननीय रामायण राय जी का जो प्रवर समिति के लिये है और उसमें प्रवर समिति को परिधि बढ़ाने की व्यवस्था है। तो यह दो संशोधन उपस्थित होंगे और बाकी लोग केवल बोलने की इजाजत लेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय रामायण राय जी के प्रस्ताव में कोई डेट नहीं है, मेरे में है।

श्री अध्यक्ष—वह कर दी जायगी। दो संशोधन पेश होंगे। (श्री गोविन्द सिंह विष्ट से) अच्छा तो आप परिधि बढ़ाने का अधिकार हो, यह उसमें बढ़ाना चाहते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जी हां। तो श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी जो बिल लाये हैं इसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, इस बिल की जरूरत थी। लेकिन श्रीमन्, जहां उन्होंने इतनी तकलीफ गवारा की कुछ तकलीफ उन्हें और गवारा करनी चाहिये कि इतनी जल्दी इसको पास करके कोई फायदा तो विशेष अभी है नहीं। तो बरअक्स इसके हम इसको ऐसे ही पास कर दें इसमें आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिये मैंने आप से इजाजत मांगी कि इसकी परिधि बढ़ायी जाय। वह इसलिये कि अगर आज के बिल को हम देखें तो इसमें खंड ९ में यहां लिखा है :—

"इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ के उपबन्धों को सामान्यतया कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कोई भी काम करना, जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम (Statute) का निर्माण अथवा संशोधन तथा ऐसे परिनियमों अथवा संशोधनों के प्रभावी होने के दिनांकों का निश्चित करना भी है, विधिपूर्ण होगा।"

इसके माने यह होते हैं कि स्टेट्यूट्स जो यूनिवर्सिटी के हैं उनको बदला जा सकता है, १ साल के अन्दर। इन स्टेट्यूट्स या आर्डिनेंस में क्या है? इनमें यूनिवर्सिटी के हरएक डिटेल्स हैं कि किस तरह से कार्य होगा, किस तरह से टीचर्स मुकर्रर होंगे, किस तरह से सेलेक्शन कमेटी बनेगी टीचर्स की, किस तरह से एग्जीक्यूटिव कौंसिल वगैरह वगैरह, जितने भी यूनिवर्सिटी के रोजमर्रा के काम हैं, वे कैसे होंगे, वे सब इनमें निहित हैं। इनकी तब्दीली के लिये सारे यूनिवर्सिटी के कांस्टीट्यूशन में एक फर्क आ जाता है। उसके काम करने के

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

तरीके, रवैये, उसके रोजमर्रा के काम में फर्क आता है । तो उन पर पूरा प्रकाश पड़ने के लिये यह जरूरी है कि हम यूनिवर्सिटी के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालें क्योंकि यह जो स्टेट्यूट्स और आर्डिनेंसेज बने हैं, एक दिन में नहीं बने, एक वर्ष में नहीं बने ।

श्रीमन्, १८७२ में जब पहले पहले म्योर सेंट्रल कालेज, जहां पर आज दरभंगा कौंसिल है, वहां पर बना था । उसके बाद १८८६ में यह लाया गया मौजूदा म्योर सेंट्रल कालेज की जगह और १८८७ में पहली बार इसे यूनिवर्सिटी की संज्ञा दी गई और इसके साथ कालेजेज गये । सन् १९२१ में फिर उस बिल में तरमीमात हुए । उस वक्त नागपुर यूनिवर्सिटी के एफीलियेट किये बन जाने से कुछ कालेजेज डिसएसोशियेट कर दिये गये । उसके बाद १९२३ में श्रीमन्, कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों ने यह कहा कि इसका यूनिटरी फार्म रहे । तो इस यूनिटरी फार्म को कायम करने के लिये एग्जीक्यूटिव कौंसिल जो उसकी थी उसने सिफारिश की थी और सन् १९२८ तक कालेजेज सब डिसएसोशियेट कर दिये गये क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के बन जाने के बाद वह उसमें एफिलिएट हो गये और फिर यूनिवर्सिटी के जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस पहले होते थे, वह भी बन्द हो गये ।

तो अब श्रीमन्, देखें, १८७२ में ८४६ विद्यार्थियों से यह कालेज शुरू हुआ और इसकी जो खास इमारतें, सिनेट हाल वगैरा हैं, १९१० और१९१६ के बीच बनी। १९२८ तक आजकल जो वहां बिल्डिंग है, उसमें से अधिकांश कायम हो गयी थी। ८४६ से शुरू होकर, १९५२ में जब मूथम कमेटी वहां गयी थी, उस वक्त तक ६ हजार से ऊंचे विद्यार्थी वहां पर हो गये थे । नतीजा यह हुआ श्रीमन्, कि जहां १९२८ में मेरा खयाल है करीब दो ढाई हजार विद्यार्थी वहां थे, इतने विद्यार्थियों के लिये जो चीज बनायी गयी थी, वहां आज ६ हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं । नेचुरल है कि कंजेशन हुआ, नेचुरल है कि तकलीफें वहां बढ़ीं। आज हम आये दिन सुनते रहते हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ गयी है। श्रीमन्, इसका कारण होता है । यह नहीं कि महज लड़के इसके जिम्मेदार हों बल्कि आज उनको वह सारे उपादान, वह साधन मुहैय्या नहीं हैं, जिनकी कि उन्हें जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि संक्षेप में आप कहिए । सवा बजे इसको खत्म करना है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एक विहंगम दृष्टि श्रीमन्, डालना जरूरी है । इसलिये परिधि बढ़ाने का भी मैंने संशोधन रखा है ।

श्रीमन्, अनुशासनहीनता यहां तक बढ़ गयी कि श्रीमती रूजवेल्ट जब हमारे यहां आयी थीं तो उनकी जो फजीहत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई, वह सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा । कामिनीकौशल नाम की ऐक्ट्रेस रेलवे स्टेशन से पास हुई, वह आज भी बात याद आती है कि शीशा तोड़कर लड़के उनके रेल के डिब्बे में अन्दर घुस गये । सुनकर बहुत दुख होता है कि खुले आम हास्टेल्स में शराब पी जाती है । अपनी आंखों से देखी बात कह रहा हूं । वह नज्में गाते हैं —

"साकी की हर निगाह पर बल खा के पी गया
लहरों पे खेलता हुआ लहरा के पी गया ।"

वह इस नज्म की रूहानियत पर नहीं जाते, बल्कि वह जिस्मानी तरीके से लेते हैं इसे। तो यह स्तर क्यों गिरा ? हम लड़कों को दोष तो बहुत जल्द दे देते हैं, लेकिन कुसूर हमारा उनसे बड़ा है । जो इमारत ८४६ या दो ढाई हजार लड़कों के लिये बनी आज उसमें ६ हजार लड़के हो गए। यूनिटरी फार्म बनाया गया, यूनिटरी फार्म के लिये व्यवस्था की गयी, लेकिन अब उसमें एसोशियेट कालेजेज भी बढ़ा दिये गये और भी चीजें बढ़ा दी गयीं । अब छः हजार

में से हास्टल एकोमोडेशन कितनों के लिये है ? मूथम कमेटी की रिपोर्ट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो मालूम होगा कि महज ३० परसेंट के लिए हास्टल्स हैं। केवल ३३ परसेंट आते हैं उन लाजेज में जो कि यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हैं। ६७ परसेंट लड़के बाहर रहते हैं....

श्री अध्यक्ष—अभी आप को परिधि बढ़ाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन आप पहले से ही उसे बढ़ा कर उस पर बोल रहे हैं। तो यह असंगत हो रहा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, इन चीजों को देख कर क्या करना है, क्या गुंजायश है यही सब बातें तो प्रवर समिति में अगर यह जाता है, तो वहां डिसकस होंगी।

श्री अध्यक्ष—और लोगों को भी बोलना है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा। यूनिवर्सिटी में केवल क्लास रूम के भीतर ही लेक्चर्स नहीं होते हैं। उसको मेंटल फूड की भी आवश्यकता होती है। जब लड़का बाहर निकलता है तो उसके लिये लायब्रेरी का समुचित प्रबन्ध हो, उसके लिये टीचर्स का कांटेक्ट हो। वह केवल एक स्कूल का लड़का नहीं होता। उसको बहुत जल्दी जिन्दगी की यूनिवर्सिटी में दाखिल होना होता है। टीचर्स से कांटेक्ट हो, उनसे बातचीत हो।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि आप जरा डिरेल से हो रहे हैं। गाड़ी रेल की पटरी के नीचे उतर गयी है। विधेयक पर ही आप अपनी बात सीमित रखिए।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा। यदि परिधि न भी बढ़ायी जाय तो स्टेट्यूट्स को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है, उनमें सब प्राविजन्स हैं कैसे लड़के रहेंगे, कैसे होस्टल में रहेंगे इत्यादि.....

श्री अध्यक्ष—बिल के ऊपर ही आप रहिये। जो उद्देश्य और कारण दिये हुए हैं उन्हीं पर आप सीमित रहिये, आप को डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—स्टेट्यूट्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है या तो गवर्नमेंट यह प्राविजन उड़ा दे तब तो इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन गवर्नमेंट ने जहां स्टेट्यूट्स अपने हाथ में ले लिये, पूरे फंक्शन रिजर्व कर लिये तो मैं ये बातें आपके समक्ष रख के हद के बाहर नहीं जा रहा हूं। इतना जरूर है कि टाइम कम है।

तो, श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि होस्टल एकमोडेशन ३३ परसेंट के लिये है और ६७ परसेंट डेलीगेसी में रहते हैं। ८ रुपये फी लड़के के हिसाब से २८ हजार रुपया सालाना लिया जाता है, लेकिन उनकी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अब डीन आफ स्टूडेन्ट्स वेलफेयर की व्यवस्था की गयी है। डीन आफ स्टुडेन्ट्स वेलफेयर के लिये कोई अच्छा आदमी मिले जो बहुत योग्य हो जो लड़कों का भला चाहने वाला हो, तब तो ठीक है। वह उनको बताये कि ये सब बातें कितनी खराब हैं तब तो जरूर भला हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के स्थान ग्रहण करें और दूसरे को मौक़ा दें। दो मिनट आप को देता हूं, दो मिनट में आप समाप्त कर दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—दो मिनट में, श्रीमन्, कैसे समाप्त हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—इस तरह से तो आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे। यह कैसे हो सकता है ? आपने काफी तैयारी की है उसके लिये धन्यवाद, लेकिन जल्दी खत्म कीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरा सुझाव यह है कि जो टीचर्स का सेलेक्शन हो वह सब यूनिवर्सिटीज का मिला कर एक बोर्ड होना चाहिये। सब यूनिवर्सिटीज के लोग उसमें हों ताकि काफी विशेषज्ञ मिल जायं। यह जो टीचर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है यह डीन के नाम पर, प्रोवोस्ट्स के नाम पर दिया जाय यानी यह अलग-अलग टुकड़े में न दिया जाय। २५० टीचर्स कुछ हैं, मेरी अर्ज यह है कि सब के सब वोट दें और वह सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट हो और उसके हिसाब से ६ अध्यापक निर्वाचित होकर आयेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैंने दो मिनट का ही टाइम आपको दिया है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इसके अलावा उपकुलपति का टर्म ३ साल का हो और ट्रेजरर का जो ६ साल कर दिया गया है .....

श्री अध्यक्ष—आप फिर असंगत हो रहे हैं। कृपा कर आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट अगले अधिवेशन तक सदन के सम्मुख उपस्थित करे। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे।

मान्यवर, प्रस्तुत संशोधन विधेयक जो हमारे विचारार्थ है उस पर माननीय मंत्री जी का भाषण मैंने सुना और उद्देश्य तथा कारण जो उन्होंने प्रस्तुत किये, उनको भी देखा। उसमें उनका कथन यह है और मंशा यह है कि इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों की मांगों की पूर्ति हो जाय लेकिन उन्होंने जो अन्य मांगें अपनी सुविधा को बढ़ाने के लिये और विश्वविद्यालय में समुचित व्यवस्था लाने के लिए रखी थीं उनका समावेश इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिये मैंने प्रस्ताव पेश किया है कि उसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको यह भी अधिकार होगा कि उसकी परिधि को भी बढ़ा दे ताकि वे संशोधन और सुझाव जो अध्यापकों की ओर से आये हुए हैं, उनका समावेश इस विधेयक में हो सके और भविष्य में जल्दी कोई परिवर्तन या संशोधन इस ऐक्ट में करने की आवश्यकता न हो।

मान्यवर, मेरे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किये गये थे, माननीय मंत्री जी और शिक्षा विभाग के यहां वह मौजूद हैं और उनको देखने के बाद इस विधेयक को देख कर हमें बड़ी निराशा हुई कि खाली दो एक बातों को छोड़ कर उनकी मांगों का समावेश कहीं भी इस विधेयक में नहीं किया गया है। मिसाल के तौर पर पहली चीज यह थी कि यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार खुद ले, यह आवश्यक था। उसके कितने खर्चे हैं, उसके विकास और प्रसार में क्या खर्चे होने वाले हैं, इन तमाम की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में होनी चाहिये और ऐक्ट में इस प्रकार की विशेष धारा होनी चाहिये ताकि यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ठीक रहे और दुर्व्यवस्था होने की गुंजायश न रहे। बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने अध्यापकों का जो अब तक ग्रेड और नामीकरण रहा है उसको बदल करके प्रोफ़ेसर और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रख दिया है।

सब से बड़ी जरूरत श्रीमन्, इस बात की है कि इलाहाबाद का जो प्रचलित ऐक्ट है उसमें एक संशोधन बहुत आवश्यक है और वह उसी वक्त सम्भव होगा जब कि प्रवर समिति के सामने ये तमाम मसले विचारार्थ जायं। मौजूदा जो अधिनियम है उसमें वाइस-चांसलर का टर्म ५ साल के लिये रखा गया है, यह न्यायोचित नहीं है। होना यह चाहिये कि वाइस-चांसलर का टर्म तीन साल रखा जाय अगर कोई वाइस-चांसलर इस योग्य है कि उसे फिर से बनाया जाय तो दूसरे तीन साल के लिये उसको बनाया जा सकता है। लेकिन यदि यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती से

कोई निकम्मा वाइस-चांसलर हो जाय जो अयोग्य हो और उसकी नियुक्ति हो गयी हो और जो यूनिवर्सिटी के लिये घातक सिद्ध होता हो तो वह कानून के संरक्षण में ५ साल तक यूनिवर्सिटी के ऊपर लदा रहेगा, यह यूनिवर्सिटी के लिये घातक चीज होगी। इसलिये श्रीमन्, यह जरूरी है कि वाइस-चांसलर का टर्म केवल तीन साल का रखा जाय।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, वाइस-चांसलर के डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में जो दफ़ा १२ के सब-सेक्शन्स (५) व (६) डिलीट करने की कृपा की गयी है वहां पर इसी दफ़ा १२ के सब सेक्शन (९) के कुछ शब्द ऐसे हैं जो गैर-जरूरी हैं और उनका गलत अर्थ लगाया जा सकता है। वह यह हैं कि--"subject as aforesaid" इसका रिफ्रेन्स सब-सेक्शन्स (५) तथा (६) से मिलता था। इसलिये जब वह सब सैक्शन्स हट रहे हैं तो यह शब्द बेमानी रह जाते हैं और इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, इसलिये हटा दिये जायं। यह शाब्दिक संशोधन है और विधेयक तैयार करने वालों की इस पर निगाह नहीं पड़ी। इसलिये यह संशोधन बहुत ही जरूरी है।

इसके अलावा ट्रेजरार का कार्यकाल भी इस विधेयक के अन्तर्गत ६ साल का रखा गया है।

श्री अध्यक्ष--आप भी जरा संक्षेप में हो जाइये। एक दो सज्जन और बोलना चाहेंगे।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--यह जो ट्रेजरार का कार्यकाल ६ साल रखा गया है, अध्यापकों की मंशा और मांगों के विपरीत है और विश्वविद्यालय की व्यवस्था में घातक सिद्ध होता है। इसका कार्यकाल भी तीन साल का होना चाहिये। अगर कोई ट्रेजरार अयोग्य है और ठीक से काम नहीं चला सकता है तो वह कानून की दृष्टि से ६ साल तक यूनिवर्सिटी पर लदा रह सकता है और काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिये इसका भी कार्यकाल तीन साल का होना चाहिये। अगर कोई योग्य ट्रेजरार है और उसका रखा जाना जरूरी है तो उसे फिर से रखा जा सकता है।

इस प्रकार श्रीमन्, यूनिवर्सिटी कोर्ट में टीचर्स का बहुमत होना चाहिये। जिम्मेदार शिक्षा विशेषज्ञों ने भी इसी प्रकार की अपनी राय प्रकट की है कि यूनिवर्सिटी कोर्ट में अध्यापकों की संख्या अधिक होनी चाहिये। इसकी व्यवस्था अधिनियम में होना जरूरी है और बिना संशोधन के यह काम होने वाला नहीं है।

इसी प्रकार एक्जीक्यूटिव कौंसिल में विभिन्न सूत्रों से अध्यापकों को लाने की कोशिश की गयी है। अब व्यवस्था इस बात की है कि सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट्स के जरिये टीचर्स बाई रोटेशन आयेंगे। इसलिये यह बैन हटा दिया जाय और अलग-अलग कैपेसिटी से लोग न आयें बल्कि एक निश्चित नियम बना दिया जाय कि कम से कम ६ अध्यापकों का एक्जीक्यूटिव कौंसिल में रिप्रेजेंटेशन रहेगा। जो २००-२५० टीचर्स हैं वह सिंगिल ट्रांस्फरेबिल वोट्स के जरिये अपने रिप्रेजेंटटिव्ज एक्जीक्यूटिव कौंसिल में भेज सकें। ये सब बहुत जरूरी बातें हैं जिनका मूल अधिनियम में समावेश होना, बिला प्रवर समिति की परिधि बढ़ाये सम्भव नहीं है। जो तब्दीलियां माननीय मंत्री जी इस विधेयक के द्वारा कर रहे हैं वे अच्छी हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन कुछ जरूरी तब्दीलियां और हैं जिनका होना बहुत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी और इस आदरणीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पढ़ता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--संशोधन पेश करने की जरूरत नहीं है। आप भाषण ही दें क्योंकि आपका भी प्रवर समिति का संशोधन है और रामायणराय जी का भी प्रवर समिति का है सिर्फ़ आपने २५ जनवरी प्रतिवेदन के लिये कहा है लेकिन उसका परिणाम तो यही है कि अगले अधिवेशन तक वह उपस्थित होगा क्योंकि इसके बाद जब अधिवेशन होगा तो २५ जनवरी के बाद ही होगा। इसलिये कोई अन्तर नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि अभी श्री रामायण राय जी का जो संशोधन उपस्थित हुआ है उसमें सदन के समक्ष की बात कही गयी है और मैं ठीक दूसरे ढंग से संशोधन रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो इस अधिवेशन का नहीं कहा बल्कि अगले अधिवेशन का कहा है। एक ही चीज है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आपकी आज्ञा से ही अपने संशोधन को इस प्रकार संशोधित करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं तो इजाजत नहीं दे रहा हूं। जो संशोधन कोई विशेष अन्तर नहीं रखते हैं उनको पेश करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि हर एक के ऊपर राय लेनी पड़ेगी। जब दोनों का अर्थ एक ही होता है तो उसको २५ जनवरी रहने देने में और अगले अधिवेशन तक करने में कोई अन्तर नहीं होता। इसलिये आप भाषण दे सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि यह बहुत दिन तक टाला न जा सके।

श्री अध्यक्ष---बहुत दिन तक टालने का सवाल नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अगले अधिवेशन का मैंने नहीं कहा है। मेरा संशोधन यह था कि अगर २५ जनवरी तक अधिवेशन नहीं होता है तो भी प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

श्री अध्यक्ष---वह तो सदन के सामने अधिवेशन में ही आयेगा, उसके पहले नहीं आयेगा। आप कृपा करके अब अपना भाषण दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मुझे खेद है कि मैं समझा नहीं सका। मैं चाहता था कि प्रवर समिति जल्दी रिपोर्ट दे। मैं संशोधन प्रस्तुत कर के कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता था। इस विधेयक को लाने की मंशा, जैसा कि उद्देश्य में लिखा गया है, शिक्षक-गण लेक्चरार तथा रीडरों के वेतन में समानता लाने की है। यह चीज तो बहुत अच्छी है लेकिन मैं श्रीमन्, शिक्षा मंत्री का ध्यान थोड़ा-सा इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह समान व्यवहार की बात जैसे उन्होंने आज प्रारम्भ की है अगर इसे वे आगे बढ़ा कर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों के सम्बन्ध में भी लागू करते तो ज्यादा अच्छा होता। सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के भी वेतनों में विषमता है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और एडेड सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के ग्रेड में बहुत काफी अन्तर है और उस सम्बन्ध में उन्होंने अपने बहुत से रेप्रेजेन्टेशन्स किये हैं, किन्तु अभी तक उस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो सका है। सिद्धांत रूप से यदि यह सिद्धान्त यूनिवर्सिटी के लिये मान लिया जाता है तो अन्य अध्यापकों के लिये भी इस सिद्धान्त को मानने में शिक्षा मंत्री को कोई दिक्कत न होनी चाहिए। क्या मैं आशा करूं कि जिस प्रकार उन्होंने आरम्भ किया है वह आगे भी बढ़ेगा?

इसके उद्देश्य और कारण में यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसे क्लाज निकाल दिये गये हैं जिनमें अनुशासन संबंधी चीजें हैं और जिनका निकालना आवश्यक समझा गया है। मैं उनका ध्यान फिर आकर्षित करूं, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की ओर उनके सम्बन्ध में अनुशासन संबंधी कार्यवाहियों के लिये एक बिल प्रस्तुत किया गया है जिस पर इस सदन को

अभी विचार करना होगा। उसमें भी अनुशासन की बात आती है। उनको अनुशासित रखने के लिये और भी तीखे अंश रखे जा रहे हैं और इंस्पेक्टर्स को अधिकार दिये जा रहे हैं।

दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिये अनुशासन की शर्तें कम की जा रही हैं। अनुशासन तो अच्छी चीज है, लेकिन कहीं वह प्रिय हो और कहीं अप्रिय, यह विचित्र सी बात है। इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट्स के सम्बन्ध में यह बात कहने लायक है कि इन दोनों के सम्बन्ध में पीसमील लेजिस्लेशन लाया गया और हाउस पर यह विश्वास नहीं किया गया कि हाउस उन पर अपनी वृहत राय प्रकट कर सके। यह सदन नव निर्वाचित है और इसके नये सदस्य नयी-नयी विचारधारायें ले कर आये हैं। उनका विश्वास है कि यह लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के ऐक्ट्स में, उनके कांस्टीट्यूशन में मौलिक परिवर्तन होना चाहिये। उनके केवल अध्यापकों के सम्बन्ध में कुछ हेरफेर करने से सुधार नहीं हो सकेगा। इसमें वाइसचांसलर और ट्रेजरर आदि के सम्बन्ध में भी मौलिक परिवर्तन होना आवश्यक है। प्रवर समिति में इस विधेयक को ले जाने का मंशा यही था कि इन मौलिक परिवर्तनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता और उनमें परिवर्तन किया जाता, लेकिन इस प्रकार पीसमील लेजिस्लेशन ला कर इस बात को संभव नहीं होने दिया गया।

यह यूनिवर्सिटी ऐक्ट यद्यपि देखने में बहुत सीधा-सादा दिखाई पड़ता है किन्तु विद्यार्थियों की दृष्टि से अगर देखा जाय तो यह बिलकुल अनुपयुक्त है। विद्यार्थियों की संख्या को यह यूनिवर्सिटी सम्हाल नहीं पाती, चाहे वह अपनी इनकंपिटेंसी की वजह से हो, या आउट आफ डेट हो जाने की वजह से हो या उसकी अपनी फाइनेंशियल असमर्थता की वजह से हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में १९५३ में एक इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी और उसने उसकी बहुत सी बातों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था। उसमें विशेष तौर पर यह देखा गया कि उसके फाइनेन्सेज बहुत घाटे में हैं। उसके बाद सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच कुछ समझौता हुआ और वह घाटा पूरा किया गया। फाइनेन्सेज तो कुछ ठीक कर दिये गये हैं लेकिन उसके अन्तर्गत जो डिसिप्लिन है या जो विद्यार्थियों का उत्पादन है उसके संबंध में जरा भी तरक्की नहीं की जा सकी।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है और मुझे उनमें पाश्चात्य सभ्यता, वेशभूषा ही दिखाई पड़ी। मुझे उनमें नवीन भारत की न तो सभ्यता, न वेशभूषा और न आचार विचार ही दिखाई पड़े। यह सारी जिम्मेदारी हम विधायकों की, कानून बनाने वालों की है और विशेषतौर पर सरकार की है, जिसका इस ओर ध्यान देना कर्तव्य है। इन यूनिवर्सिटी कमीशनों पर और इन्क्वायरी कमेटियों पर जो हजारों-लाखों रुपया खर्च किया जाता है उनकी रिपोर्ट्स पर ध्यान न दिया जाना आश्चर्यजनक है। मैं चाहता था कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाता और इसमें मौलिक परिवर्तन किये जाते और यह विद्यार्थी जो हमारे देश के भावी नौजवान हैं, जो देश का शासन चलाते हैं और जिनके कैरेक्टर को देश का कैरेक्टर माना जाता है उन पर अधिक ध्यान दिया जाता, इस सदन के ऊपर ज्यादा विश्वास किया जाता और इस विधेयक में मौलिक परिवर्तन किये जा सकते। क्या इस पीसमील लेजिस्लेशन के बाद हम यह आशा करें कि शिक्षा मन्त्री जी इस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में हम लोगों को अधिक मौका देंगे और एक वृहत् संशोधन विधेयक लायेंगे जिसमें हम लोग अपनी राय दे सकें। मैं मानता हूं कि सरकार अभी हमारी बातों को नहीं सुनती है और मैं यह भी मानता हूं कि जो ये यूनिवर्सिटीज चल रही हैं और जिनके द्वारा हमारे भविष्य के लिये विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। यह विद्यार्थी देश में बेकारी की समस्या को पैदा कर रहे हैं जो हमारे देश के लिये एक कठिनता पैदा करता है और उनके नाम पर धब्बा भी लगता है। इससे यही मतलब निकलता है कि विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में अपना समय खराब करते हैं। इन यूनिवर्सिटीज के अन्दर उचित विद्यार्थी तैयार होने चाहिये और वह तभी हो सकता है जब कि यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में मौलिक परिवर्तन हो! इनके वाइस चांसलर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

५० वर्षों से चले आ रहे हैं। अब वह इसी रूप में नहीं रहने चाहिये। जैसा कि जनता की राय हो वह उसके अनुरूप ही होने चाहिए। इसलिये मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजे जाने के पक्ष में हूं जिससे वहां इसमें और सुधार किये जायं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक जिसे माननीय शिक्षा मन्त्री ने प्रस्तुत किया है इसके उद्देश्य और कारणों में यह बतलाया गया है कि अध्यापकों की कुछ विशेष मांग को लेकर इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी और उनके आखिर में यह कहा गया है कि इस अवसर का उपयोग करके इसमें कुछ और अनावश्यक जो १, २ धारायें अनुशासन से सम्बन्ध रखती थीं उनको डिलीट कर दिया गया है। मेरी तरह से प्रदेश के बहुत से लोगों की यह इच्छा थी कि जैसे माननीय मन्त्री जी ने इस अवसर का उपयोग कुछ अनावश्यक धाराओं को निकालने के लिये किया वहां यह नितान्त आवश्यक था कि १० वर्ष के बाद जो हमारे प्रदेश की परिस्थिति बदली है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस प्रकार से विश्वविद्यालय एक ऊंचे स्तर के शिक्षापीठ बनने चाहिये और जिस प्रकार से विश्वविद्यालय राष्ट्रनिर्माता पैदा करता है तो इन सब बातों का ध्यान रखकर एक कंप्रिहेन्सिव यूनिवर्सिटी बिल इस सदन में प्रस्तुत करते। लेकिन यह जो संशोधन विधेयक आया है, मैं अदब से कहना चाहता हूं, कि बिलकुल अधूरा है। इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भावना की कदर नहीं की गई है जो मांग वह अर्से से करते चले आये हैं। उनकी मांग थी कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो बाहर के लोग उपस्थित होकर वहां की समितियों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं और अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय की एकेडेमिक लाइफ को दूषित करते हैं, यह खामी दूर होती और वहां पर एक स्वस्थ वातावरण पैदा होता और अध्यापकों को वहां की समितियों में उचित स्थान मिलता और विश्वविद्यालय सही मायने में शिक्षापीठ बन सकते, यह उनकी भावना थी। मुझे आशा थी कि हमारे विद्वान् शिक्षा मन्त्री उन भावनाओं की कदर करते और एक ऐसा बिल इस सदन के सामने आता।

मेरा यह नम्र निवेदन है कि लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक के सम्बन्ध में बोलते हुये मैंने कहा था कि इस बिल में एसोसियेटेड कालेज के अध्यापकों की भावनाओं को ठुकराया गया है। एसोसियेटेड कालेज के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय की शिक्षा समितियों में नाममात्र को है। हमें यह आशा थी कि इस बिल के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व अधिक होगा और उनको भी वही सुविधायें प्राप्त होंगी जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों को प्राप्त होती हैं। लेकिन उन बातों पर ध्यान इस विधेयक के अन्दर नहीं दिया गया है।

इस विधेयक के अन्दर एक बात यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जो उसके सदस्य होंगे, उनके टर्म्स को सीमित कर दिया गया है और यही नहीं वह चुनाव के जरिये नहीं आ सकते हैं बल्कि उनका नामीनेशन भी नहीं हो सकता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जो लोग जानते होंगे उन्हें इस बात का पता होगा कि वहां कौंसिल के अन्दर कुछ ऐसे योग्य व्यक्ति भी हैं जो प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के चोटी के शिक्षाविदों में से माने जायेंगे। श्री हृदयनाथ कुंजरू और श्री जी० पी० पाठक जैसे व्यक्ति भी इन संस्थाओं में स्थान ग्रहण करते हैं। यदि यह विधेयक लागू हो जायगा तो उसका अर्थ यह होगा कि ऐसे व्यक्ति जो सही मानों में विश्वविद्यालय की सेवा कर सकते हैं और विश्वविद्यालय ही नहीं सारे राष्ट्र की सेवा करते हैं, उससे वंचित हो जायेंगे। अगर चुनाव से कोई खतरा था तो ऐसे व्यक्तियों के लिये नामिनेशन करके लाने का अधिकार खत्म नहीं करना चाहिये था।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अध्यापकों की जो बहुत दिनों से मांग थी कि वाइस-चांसलर का टर्म आवश्यकता से अधिक लंबा है तथा ट्रेजरर का टर्म्स सीमित होना चाहिये इन दो मांगों को इसमें फिर से ठुकराया गया है।

यदि यह विधेयक प्रवर समिति में जाता तो प्रवर समिति इन संशोधनों पर विचार करती और यदि संभव होता तो जो इस प्रकार की खामियां जो इस संशोधन विधेयक द्वारा दूर नहीं की जा सकी हैं, वह दूर हो सकतीं और एक पूर्ण विधेयक आ सकता। इन्हीं बातों को सामने रख कर मैंने यह संशोधन सदन के सामने रक्खा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी, जो स्वयं इस बात को मानते हैं कि यह विधेयक पूर्ण नहीं है, केवल एक दो कमियों को पूरा करने के लिये प्रस्तुत किया गया है, वह भी पुनः इस बात पर विचार करते कि इसको अधिक पूर्ण करके प्रस्तुत किया जा सके, तो अधिक अच्छा होगा। इसलिये आशा है कि वह इसको प्रवर समिति में जाने देंगे और प्रवर समिति अपने अधिकारों को बढ़ाकर कांम्प्रिहेंसिव बिल प्रस्तुत कर सकेगी।

श्री उग्रसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५७ इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है इसके सिलसिले में मैं सिर्फ थोड़ा ही निवेदन करना चाहता हूं।

मैं तो यह उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री जी एक शिक्षा के विशारद हैं, कम से कम एक ऐसा ठोस विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे उसमें यूनिवर्सिटी और उसके टीचर्स का जो ठोस संबंध है, उसका एक ठोस आधार उसमें होगा। श्रीमन्, इस विधेयक में दो बातों की घोषणा की गयी है।

पहली बात यह है कि इसमें यूनिवर्सिटी टीचर्स के चार ग्रेड्स को तोड़ कर दो ग्रेड्स बना दिये गये हैं। दूसरी बात यह है कि सन् १९५५ में जो वाइस चांसलर को अनुशासन संबंधी अधिकार दिये गये थे, वे इसके द्वारा छीने जा रहे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि मूल विधेयक में कम से कम इतना परिवर्तन तो अवश्य ही होना चाहिये था कि जो वाइस चांसलर इतने दिनों तक यूनिवर्सिटी की गद्दी पर बैठा रहता है, उसकी नियुक्ति के जो नियम और उपनियम बने हुए हैं, उनमें सुधार करना चाहिये था। इसके बारे में विधेयक में कोई संशोधन नहीं है। इसी प्रकार से खजांची तथा उसके टर्म्स के बारे में भी कोई संशोधन इसमें नहीं लाया गया है। नान-टीचर मेंम्बरान जिनके लिये माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वे २ टर्म तक रह सकते हैं, वह नान टीचर मेंम्बरान जो आते हैं, उनके बल पर ऐसे खजांची लोग बैठे रहते हैं और यूनिवर्सिटी के जीवन को, सारे वातावरण को विषाक्त बना देते हैं। तो श्रीमन्, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी अपने विधेयक में इस बात को जरूर ही लाते कि ये खजांची लोग कितने दिन रहें और इनकी नियुक्ति कौन करे। अगर यह चीज उसके अन्दर होती तो अच्छा होता।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं, एसोशिएटेड कालेजों के टीचर्स के बारे में, जैसा कि माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहा है, सम्भव है आप जबाव दे दें कि टीचर्स तो हम उनको भी मानते हैं, जैसा कि इसमें भी कहा गया है "यूनिवर्सिटी टीचर्स" मीन्स ए परसन इम्प्लायड बाई दि यूनिवर्सिटी, ए कालेज, ऐन एसोशियेटेड कालेज आर ए होस्टल", जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक में कहा गया है, हम उनको भी टीचर्स मानते हैं लेकिन टीचर मानने से तो काम नहीं चलेगा? टीचर मानने का सवाल यह है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी के टीचरों के लिये वेतनक्रम है उसी तरह का वेतन-क्रम एसोशिएटेड कालेजेज के लिये भी दिया जाय। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी यह जबाव देने लगें कि इससे हमारे प्रदेश के राजस्व पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा और धन की कमी होगी लेकिन आज सवाल तो यह है कि यूनिवर्सिटी टीचर्स के साथ-साथ जो एसोशियेटेड कालेजेज के टीचर्स हैं उनका भी बड़ा गहरा सम्बन्ध है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी उनकी बेहबूदी में कुछ मदद अवश्य करेंगे।

श्रीमन्, एक विशेष बात मुझे और कहनी है जिसकी चर्चा इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में भी की गयी है। खासतौर पर यह मूल परिवर्तन जो वाइस चांसलर और खजांची के टर्म्स को जो दो बार रखने की बात है, मेरा सुझाव यह है कि यूनिवर्सिटी कौंसिल का कोई भी सदस्य और नान-टीचर्स सदस्य एक टर्म से ज्यादा न रखे जायं।

[श्री उग्रसेन]

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो शिक्षा के विशारद हैं, और वाराणसी के रहने वाले हैं जहां मरने पर मुक्ति होती है तो ऐसे पंचकोशी के रहने वाले शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन विधेयक में दो तीन मूल परिवर्तन की बातें मैंने बतलायी हैं उनको मान लें और फिर प्रवर समिति में इसकी थोड़ी परिधि बढ़ाकर पुनः सदन के समक्ष लावें तो मैं समझूंगा कि दो चार मिनट जो मैंने इस आदरणीय सदन के लिये हैं वे कुछ सार्थक हुए हैं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा विधेयक धारा २, ५, २० और २४ के सम्बन्ध में है। धारा २ में अध्यापकों की परिभाषा है और मूल अधिनियम में जो टीचर्स की परिभाषा दी गयी है उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं---

" 'Teachers include Professors, Readers and Lecturers and such persons giving instructions in the University or in colleges or hostels as may be declared by the Statutes to be teachers."

और इस विधेयक में जो टीचर्स की परिभाषा दी हुई है वह इस प्रकार है---

" 'Teacher' means a person employed by the University, a college, an associated college or a hostel, for giving instructions or guiding or conducting research in any subject of the courses of stuudy taught therein."

मेरे विचार से यह जो अध्यापकों की परिभाषा दी हुई है यह ज्यादा कम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा उपयोगी है और जो इससे सम्बन्धित एसोशियेटेड कालेज हैं, उनका भी इसमें समावेश हो जाता है इसलिये यह अध्यापकों की परिभाषा अत्यन्त उपयुक्त है और किसी तरह से इसके विरोध करने का कोई अवसर नहीं प्रतीत होता है। दूसरी धारा १२ है जिसमें वाइस चांसलर को पहले कुछ विशेष अधिकार दिया हुआ है। आपकी आज्ञा से मैं उस धारा को भी पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस तरह से बार-बार पढ़ने की इजाजत मैं आपको नहीं दूंगा कि आप हर धारा की तुलना करते जायं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---धारा १२ में अनुशासन की कार्यवाही से सम्बन्धित विषय है। जिसमें धारा ३, ४ पहले से हैं उनमें वाइस चांसलर को काफी अधिकार दिया गया है। यूनिवर्सिटी तो एक ऐसी संस्था है, जिसमें ऊंचे स्तर के माने हुए अध्यापक होते हैं। उनमें प्रजातांत्रिक भावना और बौद्धिक भावना बहुत ऊंची होती है। फिर वाइस चांसलर को मार्शल मान कर जो अनुशासन की कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है, उससे यूनिवर्सिटी की मर्यादा भी भंग होती है। इन २ धाराओं का निकालना प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुकूल होगा और अति उत्तम होगा और उससे विश्वविद्यालय की व्यवस्था में भी सहायता मिलेगी। इन ५-६ धाराओं के निकालने की आवश्यकता है। आज प्रजातन्त्र का युग है और सहयोग की भावना से ही शिक्षा संस्थाओं का कार्य चलना चाहिये, यूनिवर्सिटी तो शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है इसलिये वहां तो और भी सहयोग की आवश्यकता है और वहां पर अधिक अनुशासन से चीजों को चलाने की आवश्यकता है इतनी नहीं है जितनी कि सहयोग से क्योंकि उससे अटोनामी में भी गड़बड़ी पड़ती है। इसलिये इस संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। इसमें जो धारा २० थी....

श्री अध्यक्ष---आप सिद्धान्तों पर ही बात करें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---यह जो दो तीन धारायें हैं वह विश्वविद्यालय के हित में हैं और उनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें विवाद का प्रश्न हो। इस कारण से प्रवर

समिति में इसको भेजने की बात निराधार है और उसको प्रवर समिति में भेजना समय का अपव्यय होगा। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस छोटे से ११ खंडों के विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। इसके समर्थन में विरोधी पक्ष की ओर से जो पक्ष उपस्थित किया गया है कि उपकुलपति का कार्यकाल ५ वर्ष की जगह ३ वर्ष का कर दिया जाय उसमें कोई सार नहीं है और जो कारण उन्होंने बताये हैं उनका कोई मूल आधार नहीं है और न कोई उनकी उपयोगिता ही है। कोई कारण उन ३-४ कारणों में से जो बताये गये हैं ऐसा नहीं है कि जिसके आधार पर इसे प्रवर समिति में भेजना आवश्यक हो। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रस्ताव पर यह सदन विचार नहीं कर सकता। इस छोटे से संशोधन विधेयक में यूनिवर्सिटी के हित में बहुत उत्तम बातें लाई गई हैं और इससे सभी विश्वविद्यालय विधेयकों में एक रूपता आ जायगी और उसी का इसमें प्रयत्न किया गया है। अध्यापक की परिभाषा में बहुत सुन्दर परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें धारा १० में ऐसी मर्यादा बनाने का प्रयास किया गया है जिसके अनुसार सरकार अस्थायी उपबन्ध बना सकेगी जिनकी आवश्यकता हो। इसके अतिरिक्त उधर से कोई ऐसा तर्क उपस्थित नहीं किया गया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इसको प्रवर समिति में भेजना आवश्यक है, न कोई उपयुक्त कारण ही बताये गये। अतः मैं इस प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, सवा बजे तक यह विवाद समाप्त होना है। अतः आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर जो आज थोड़ा सा वादविवाद हुआ उसे सुन कर खेद भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। खेद तो इस कारण हुआ कि करीब-करीब वही बातें फिर से दोहराई गईं जो २ दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय विधेयक के सम्बन्ध में कही जा चुकी थीं और उसी तरह से प्रवर समिति में भेजने का वैसा ही प्रस्ताव रखा गया जिसे पिछली बार मेरे साथियों ने उदारतापूर्वक पेश करके फिर वापस ले लिया था, परन्तु आज उसकी फिर क्यों आवश्यकता समझी गयी, मुझे यह देख कर कुछ खेद सा ही हुआ।

श्री अध्यक्ष--मुझसे धन्यवाद लेना था उन्हें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं उनसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस ले लें, धन्यवाद मैं वापस नहीं लूंगा वह तो मैं बराबर देता ही रहूंगा लेकिन मेरे ऊपर कृपा करके यदि वह इस प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस ले लें तो अच्छा रहेगा। आश्चर्य मुझे इसलिये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ वादविवाद इस पर आज हुआ उसके लिये कदाचित् न तो विधेयक को ही देखा गया, न पुराना ऐक्ट देखा गया, न कुछ बातें समझी गयीं। कुछ उस तरह की बातें कह दी गयीं जिनका इससे सम्बन्ध कोई है नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--प्वाइंट आफ आर्डर। मैं इस पर एतराज करता हूं कि पढ़ा नहीं गया है। यह लांछन है।

श्री अध्यक्ष--यह लांछन लगाया जा सकता है। उसमें आपकी नीयत पर हमला नहीं है। आपकी गलती वह कह सकते हैं। आप भी कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं देखा होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--उससे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। एक तो हमारे चन्द्रजीत जी बैठे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्यों के लिए जो दो टर्म की व्यवस्था की गयी है उसका आज आपने विरोध किया। उस रोज उस व्यवस्था को चारों ओर से उत्साह के साथ स्वीकार किया गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव--नामिनेशन वाले.....

श्री कमलापति त्रिपाठी--उस रोज तो सभी ने स्वीकार किया था और आपकी ओर से तो ज्यादा स्वीकार किया गया था, बल्कि हमारे भाई जगदीश शरण और नवलकिशोर जी ने जरूर कहा था कि इसमें डिस्क्रीशन था, आप के चुनाव पर बाधा पड़ती है, आप क्यों रोकते हैं? लेकिन आपकी ओर से समर्थन किया गया था।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह कह दिया गया कि इसमें अध्यापकों की भावनाओं का आदर नहीं किया गया। यह बिल अध्यापकों की भावनाओं का आदर या अनादर का समावेश करने के लिए, सारी चीजों का समावेश करने के विचार से रखा भी नहीं गया है। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि टीचर्स के दो ग्रेड किए गये प्रोफेसर और असस्टिंट प्रोफेसर के। तीन चार ग्रेड पहले थे। वह हटा दिये गये। अब ऐक्ट में जहां कहीं भी रहा है, लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर शब्दों का प्रयोग होता रहा है। अब एक ग्रेड कर दें प्रोफेसर का और एक कर दें असिस्टेंट प्रोफेसर का तो तदनुकूल परिवर्तन करना होगा। उसके लिए हमने आर्डिनेंस निकाला। उस आर्डिनेंस को ऐक्ट की शक्ल देनी थी इसलिए बिल आया। यह उसका मुख्य उद्देश्य है और स्टैट्यूट के अनुसार उसमें परिवर्तन करना होगा। इसलिए स्टैट्यूट तुरन्त बना दें ताकि यूनिफिकेशन आफ ग्रेड्स हो सके। इसलिए स्टैट्यूड बनाने का अधिकार लिया। यह दो मुख्य उद्देश्य हैं।

उसमें दो एक बातें ऐसी हैं जिनको बहुत दिनों से अध्यापक कहा करते थे। हमारे अनुभव में भी आयीं कि इनको तुरन्त संशोधित कर दिया जाय, जिससे वायुमंडल जरा अच्छा भी होगा और अध्यापकों के हृदय में भी अगर कोई चीज ऐसी हो तो उसका भी परमार्जन हो सके जैसे डिस्पिलिनरी सेक्शन में कई सब सेक्शन हैं उनमें दो तीन ऐसे हैं जिनको रखने की आवश्यकता नहीं है। वाइस चांसलर को पूरा अधिकार है कि अनुशासन और विनय की व्यवस्था यूनिवर्सिटी में कर सकें। उसमें सबसेक्शन (५) और (६) जोड़ने से कोई बड़ा भारी लाभ नहीं है। उसको हमने इसमें से निकाल दिया। अब यह कि सारी उनकी भावनाओं का समावेश नहीं किया गया, तो मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि पद्माकरलाल जी और चन्द्रजीत जी उनसे उतना ज्यादा सम्पर्क नहीं है जितना कि उनकी कृपा से मुझे हो गया है। निराशा मुझे यह देख कर हुई कि पद्माकरलाल जी कहते हैं कि इसमें सेक्शन १२ में 'सब्जेक्ट ऐज अफोरेसेड' निकाल देना चाहिए। उन्होंने पढ़ा नहीं है। उन धाराओं को पढ़ने से साफ मालूम होता है कि जो सबसेक्शन ८ है उससे ताल्लुक है एग्जीक्यूटिव कौंसिल का। टीचर अपील कर सकता है। सब्जेक्ट टु वैट अपील वाइस चांसलर जो हुक्म देगा वह हुक्म लागू रहेगा। यह उसका अर्थ है। इस तरह से मेरी समझ में कोई बात नहीं है जो इस बिल में नयी आयी हो जिसमें हम दो दिन पहले विचार न कर चुके हों। मेरी प्रार्थना यह है कि सेलेक्ट कमेटी की बात माननीय सदस्य वापस ले लें और इस पर क्लाज बाई क्लाज विचार करके इस विधेयक को स्वीकार कर लें।

यह आर्डिनेंस से सम्बन्धित विधेयक है और इसमें जो बातें रखी गयीं हैं, दो, एक वह ऐसी हैं जिनसे कि अध्यापक और गैर अध्यापक भी सभी प्रसन्न होंगे और हमारा ऐक्ट बहुत सा इम्प्रूव भी हो जाता है। इन शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर धारावाही विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--पहले मैं संशोधन लेता हूं।

प्रश्न यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ जनवरी, १९५८ तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट अगले अधिवेशन तक सदन के समक्ष प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७ [Allahabad University (Amendment) Bill, 1957] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ (जिसे ए तत्पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के खंड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २ का संशोधन।

"(*h*) 'Teacher' means a person employed by the University, a college, an associated college or a hostel, for giving instructions or guiding or conducting research in any subject of the courses of study taught therein."

श्री चन्द्रजीत यादव--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से खंड २ में यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं:--

"खंड २ में प्रस्तावित उपखंड (एच) की पंक्ति १ में शब्द 'Teacher' के पहले शब्द 'University' रख दिया जाय।"

अध्यक्ष महोदय, यदि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट की परिभाषा की धारा २ देखें तो उसमें "टीचर" शब्द की परिभाषा पहले ही से की गयी थी....

श्री अध्यक्ष--आपका संशोधन जो है यह तो कुछ गड़बड़ सा है क्योंकि मूल अधिनियम के (I) में "टीचर आफ दी यूनिवर्सिटी" की व्याख्या दी हुई है और उसी की व्याख्या आप (एच) में भी करना चाहते हैं "यूनिवर्सिटी टीचर" की। तो दो जगह व्याख्या हो जायगी।...

श्री चन्द्रजीत यादव--यह जो मूल ऐक्ट है इसमें स्वयं दो जगह 'टीचर' की परिभाषा दी गई है। एक तो (एच) में 'टीचर' और (आई) में 'टीचर आफ़ दी यूनिवर्सिटी' तो अगर (एच) में 'यूनिवर्सिटी टीचर' रख दिया जाय तो (आई) तो आप ही रिडन्डेंट हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--आप 'टीचर' की अलग से कोई डिफिनीशन नहीं चाहते हैं। ऐसा है तो आप को मूल अधिनियम का (एच) डिलीट करना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव--धारा (आई) डिलीट हो जायगी और (एच) की मूल परिभाषा होगी।

श्री अध्यक्ष--वह (एच) में नहीं आयेगा। आपको (एच) डिलीट करना होगा और यह कहना होगा कि....।

श्री चन्द्रजीत यादव---अगर 'टीचर' के पहले 'यूनिवर्सिटी' जो मेरा संशोधन है वह रह जायगा तो (आई) को डिलीट करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष---तो मतलब यह है कि आप एक ही चाहते हैं डेफ़िनीशन, दो डेफ़िनीशन नहीं चाहते हैं । तो आपको इसमें यह कहना चाहिए कि यह कर दिया जाय और मूल अधिनियम का (आई) डिलीट कर दिया जाय । यह आपका संशोधन हुआ ।

श्री चन्द्रजीत यादव---तो मेरे संशोधन का स्वरूप यह हो जाता है कि खंड २ में प्रस्तावित उपखंड (एच) की पंक्ति १ में शब्द 'Teacher' के पहले शब्द 'University' रख दिया जाय और मूल जो विधेयक है उसकी उपधारा (आई) डिलीट कर दी जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मुझे वैधानिक आपत्ति है कि मूल अधिनियम की किसी ऐसी उपधारा को या धारा को जिसमें संशोधन नहीं किया गया है, क्या इस समय संशोधन उपस्थित करके स्पर्श किया जा सकता है ? मेरी समझ में जब यह संशोधन विधेयक है.....

श्री अध्यक्ष---वैसे तो नहीं किया जा सकता लेकिन नतीजा उसका निकलता हो तो हो सकता है । वह तो चाहते यह ह कि (एच) में यूनिवर्सिटी टीचर ही की डेफ़िनीशन हो जाय...

श्री कमलापति त्रिपाठी---वह अगर चाहतें हैं कि यूनिवर्सिटी टीचर का डेफ़िनीशन कर दें तो नीचे यूनिवर्सिटी टीचर जो दिया हुआ है उसको डिलीट करना होगा और मैं समझता हूं कि वह मूल अधिनियम की दूसरी उपधारा है ।

श्री अध्यक्ष---नहीं, तो वह तो परिणाम है । (एच) को बदला आपने । उसी को वह बदलना चाहते हैं । यह वह कर सकते हैं और उसका परिणाम अगर यह हो जाता है कि (आई) डिलीट कर दिया जाय तो यह हो सकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि जो आपने संशोधन के इस स्वरूप को स्वीकार किया । इस संशोधन के प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि माननीय मन्त्री जी अध्यापकों की भावनाओं का बहुत आदर करते हैं और जिनका बहुत लम्बा सम्पर्क अध्यापक-वर्ग से रहा है, इसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है । हमें इसमें कोई एतराज नहीं है । इसीलिए मुझे यह आशा है कि संशोधन का जो यह स्वरूप हो जाता है इसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए । जो मूल धारा थी उसमें टीचर की डेफ़िनीशन पहले दी गई थी । बाद में टीचर आफ दी यूनिवर्सिटी की डेफ़िनीशन देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एसोसिएटेड कालेजेज के अध्यापकों को वह सुविधाएं माननीय मन्त्री महोदय नहीं देना चाहते जो कि यूनिवर्सिटी टीचर्स को प्राप्त होंगी । जो दो ग्रेड इस समय देने जा रहे हैं, यदि दोनों परिभाषाएं इसी प्रकार से रहीं, टीचर की परिभाषा अलग और यूनिवर्सिटी टीचर की परिभाषा अलग तो इसका लाभ केवल यूनिवर्सिटी टीचर को मिलेगा, उसके कांस्टीट्यूएंट कालेजेज को मिलेगा । जो एसोसिएटेड कालेजेज के अध्यापक हैं वह इस बड़ी सुविधा से वंचित रह जायेंगे ।

दूसरी बात यूनिवर्सिटी की भिन्न-भिन्न समितियों में जो रिप्रिजेंटेशन यूनिवर्सिटी टीचर का होता है यदि दो परिभाषाओं को ज्यों का त्यों मान लेते हैं तो वह उनका प्रतिनिधित्व उन समितियों के अन्दर नहीं हो पाता है । इसलिए मेरा यह संशोधन है कि अध्यापकों के अन्दर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए । एफिलिएटेड कालेजेज के अध्यापक वही कार्य करते हैं । अधिक परिश्रम के साथ कम साधनों के रहते हुए भी उनको वही काम करना होता है । उन्हीं डिग्री के छात्रों को उन्हें भी शिक्षित करना होता है जिन्हें कि यूनिवर्सिटी के अध्यापकगण करते हैं । फिर इस प्रकार का भेदभाव यह मैं समझता हूं कि समाजवाद के प्रत्यक सिद्धान्त क विरुद्ध है और माननीय मन्त्री महोदय जो उनका बहुत

आदर करते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि कुछ उनके राजकोष पर इसका असर अवश्य पड़ सकता है लेकिन उन्हें इस संशोधन को मान लेना चाहिए और अध्यापकों की भावनाओं का इसमें जो बहुत बड़ा आदर हो रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मुझे खेद है कि इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि यूनिवर्सिटी टीचर की एक परिभाषा दी हुई है और आप जो संशोधन करना चाहते हैं उसके माने यह हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई एसोशियेटेड कालेज है या उसका कोई एफिलिएटेड कालेज है तो उसके भी जितने टीचर हैं वह सब यूनिवर्सिटी टीचर मान लिये जायं। यह बात ही बिल्कुल सिद्धान्ततः और मूलतः गलत होगी। यह बात सही है कि एसोशियटेंड कालेजेज के हमारे अध्यापक क्लासेज पढ़ाते हैं लेकिन बहुत से ऐसे कालेज भी हैं जहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलते नहीं। बहुत से ऐसे कालेजेज हैं जहां डिग्री क्लासेज में केवल बी० ए० तक पढ़ाई होती है। सब को यहां से ले कर वहां तक यूनिवर्सिटी टीचर मान लिया जाय और इस प्रकार की सुविधायें उनको प्रदान कर दी जायं तो यह न तो यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को, न यूनिवर्सिटी के महत्व को और न हमारे खजाने को ही स्वीकार हो सकता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी पर ऐसा प्रस्ताव आया था। उस वक्त तफसील से मैंने सारी बातें माननीय सदन के सामने निवेदन कर दी थीं। मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार करना हमारे लिये संभव नहीं है। इतना ही फिर कह सकता हूं कि एसोशियेटेड कालेजेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनके ग्रेड में और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके ग्रेड में बहुत फर्क है और उस फर्क को जहां तक हो सके कम करने की दृष्टि से हम उस पर विचार कर रहे हैं और इन प्रश्नों को देख रहे हैं। परन्तु सारे प्रश्न को किसी अप्रत्यक्ष ढंग से इस प्रकार का संशोधन ला कर हल करना मैं यह समझता हूं उचित नहीं होगा और हमारे लिये भी संभव भी नहीं होगा उसे स्वीकार करना।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को पुनः चाहता हूं कि सदन उस पर अनुमति दे और वह प्रेस हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित उपखंड (एच) की पंक्ति १ में शब्द 'Teacher' के पहले शब्द 'University' रख दिया जाय। और मूल अधिनियम की उपधारा (आई) डिलीट कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३ तथा ४

३—मूल अधिनियम की धारा ५ के खंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ५ का संशोधन।

"(8) to institute teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts."

४—मूल अधिनियम की धारा १२ में:— यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा १२ का संशोधन।

(१) उपधारायें (५) और (६) निकाल दी जांय; तथा
(२) उपधारा (८) में अंक तथा शब्द "(५) (ए) or" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २० का संशोधन ।

५—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :—

"Provided that any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item (viii) or (ix) shall not be eligible for election or nomination, for the third term in succession."

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ५ के अन्तर्गत प्रस्तावित Proviso के बाद नीचे लिखे शब्द बढ़ा दिये जांय :—

"For the purposes of this proviso the first term of a member of the Executive Council shall commence after the expiry of the term of his membership at the time of the commencement of this Act."

श्रीमन्, इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय मैं केवल इतना संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि इसका करसपांडेंट सेक्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में सेक्शन १६ है। उस समय जब लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट आया था तब मैंने उसके डिलीशन का संशोधन दिया था और विशेषतया नामिनेशन पर प्रतिबन्ध न लगाने के लिये अपील की थी। आज भी मेरा मत इस समय वही है। ऐसी न समझा जाय कि श्री चन्द्रजीत यादव तो मेरी प्रार्थना सुनकर अपनी राय बदल दें और उससे आगे बढ़ जायं और मेरी राय बदल गई हो ।

श्रीमन्, मैंने इस संशोधन को केवल इसलिये इस रूप में प्रस्तुत किया कि उस रोज के बाद विवाद के बाद मैं यह जान चुका था कि माननीय मंत्री जी का उस संशोधन के प्रति क्या रिस्पांस हो सकता था। दो यूनिवर्सिटी में एक से ही प्राविजन्स के लिये दो भिन्न धारायें नहीं हो सकतीं। लिहाजा उस दोष को दूर करने के लिये, जो इस धारा में रह सकता था, मैं यह संशोधन लाया हूं, जिसका जिक्र कि मैंने उस दिन भी किया था और कदाचित् विलम्ब के कारण अधिष्ठाता महोदय उसकी आज्ञा नहीं दे सके। कदाचित् मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी उससे सहमत थे। अब इस संशोधन को प्रस्तुत करने का मेरा केवल यह अभिप्राय है कि इस संशोधन के बाद इस वादविवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी कि यह धारा कब से लागू होगी। ऐसे विवाद अक्सर होते रहते हैं। मेरी यह धारणा है कि हम यूनिवर्सिटी को किसी भी विवाद से अलग रक्खें। आज ही अखबार में पढ़ा था कि एक रिट दायर हो गया। तो जब बात बात पर रिट दायर हो सकते हैं तो अच्छा हो कि हम विधेयक पास करते वक्त धाराओं को स्पष्ट कर दें, इस आशय मैंने इस संशोधन को पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इसको स्वीकार करेंगे और सदन भी।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, इस संशोधन का मुझे दुःख के साथ विरोध करना पड़ता है। संशोधन के माने यह हुए कि जब यह कानून लागू हो उसके बाद जब वह टर्म बीत जाय तबसे फर्स्ट टर्म मानी जाय, यानी वह टर्म तो अपनी जगह पर है और उसके बाद दो मर्तबा पुनः चुने जा सकते हैं, अर्थात तीन टर्म के लिए उनका भलीभांति सेफगार्ड बनाया जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में तो मैं अधिक नहीं कह सकता हूं क्योंकि नया सदस्य होता तो मुझसे अप्रसन्नता भी नहीं होती इस वजह से आपकी अप्रसन्नता के कारण इस समय उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। उस विधेयक में जो कुछ हुआ है उसके सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि वह बहुत प्रशंसनीय नहीं हुआ है और असल में यह उसी प्रतिक्रिया की भावना से संशोधन लाया

*वक्ता ने भाष का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। अगर एक गलती हुई है तो यह माने नहीं हैं कि हर जगह सख्ती की जाय। इन कारणों से मैं उस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

जहां तक उनके दूसरे तर्क का सम्बन्ध है कि यह कब से मालूम होगा कि वह टर्म किस समय से प्रारम्भ होता है, उसके सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से ऐक्ट पढ़े देता हूं--

"Provided that any person who has been a member of the Executive Council for two terms in succession under item (viii) or (ix) of sub-section (i) shall not be eligible for election or nomination for the third term in succession."

श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें बहुत झगड़ा हो, लेकिन जहांतक माननीय अग्रवाल साहब को कुछ रिट से चिढ़ है तो जबतक आर्टिकिल २२६ कांस्टीट्यूशन में विद्यमान है तबतक कोई रोक नहीं सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जाना चाहता है तो आर्टिकिल ३२ मौजूद है। कांस्टीट्यूशन में तो संशोधन लाया नहीं जा सकता है, मजबूरी है, हमें इन चीजों का सामना करना ही होगा बावजूद अप्रसन्नता के।

जहांतक क्लैरिफिकेशन हो जाय उतना ही अच्छा है और सरकार के लिए एक सिद्धान्त भी है कि रूल्स में भी और स्टैटीट्यूट्स में भी जब चाहें क्लैरिफाई कर सकते हैं या सरकार की तरफ से अगर कोई आज्ञा दें तो ऐसी कोई चीज़ ला दें जिससे स्पष्टीकरण हो जाय। लेकिन संशोधन के इन शब्दों से कोई गम्भीर बात नहीं हो पाती हैं। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं जगदीशशरण जी अग्रवाल का संशोधन स्वीकार करता हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी विधेयक पर जब इस धारा पर बहस चल रही थी तब भी उन्होंने इस संशोधन को उपस्थित किया था परन्तु पहले से उन्होंने नोटिस नहीं दिया था और जब बहस शुरू हुई तब उन्होंने इस बात को कहा था और हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उस समय, क्योंकि काफी समय नहीं था, इसे स्वीकार नहीं किया अन्यथा मैंने उसे स्वीकार कर लिया होता। यह मैं न्यायसंगत समझता हूं और अपने तत्कालीन भाषण में भी मैंने कहा था कि कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इसका कोई रिट्रासपेक्टिव अफेक्ट हो और इसमें अगर आप कोई सफाई करना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उसी की सफाई के लिये जगदीशशरण जी ने इसे प्रस्तुत किया है मैं उसे स्वीकार करता हूं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से क्या इस पूरे खंड का विरोध कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, अब तो नहीं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--अध्यक्ष महोदय, मुझे श्रीमन्, केवल अवधेशप्रताप सिंह जी से क्षमा याचना करना है इस बात की कि मैं अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सका। मुझे केवल इतना कहना है कि कमेंसमेंट वाली बात इसलिये है कि अगर किसी सदस्य का समय समाप्त न हुआ हो और कमेंसमेंट एक दो महीने बाद समाप्त हो तो बड़ी कठिनाई होती है। इसके बाद के अंश में उन्हें आपत्ति नहीं थी और न है क्योंकि रिट्रास्पक्टिव अफेक्ट का कोई सवाल नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा की।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ के अंतर्गत प्रस्तावित proviso के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जांय :

"For the purposes of this proviso the first term of a member of the Executive Council shall commence after the expiry of the term of his membership at the time of the commencement of this Act."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६, ७ तथा ८

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २२ का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा २४ का संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा २४ में :--

(१) उपधारा (६) में शब्द "The seniormost" तथा शब्द "Department" के बीच में आने वाले शब्द "Professor of a के स्थान पर शब्द "teacher of the University in the" रख दिये जांय और तत्पश्चात कामा (Commans) तथा शब्द "and where there is no Professor in a Department, the seniormost Reader thereof shall be the Head" निकाल दिये जांय, तथा

(२) उपधारा (८) में शब्द "Committees of Courses and" के स्थान पर शब्द "Boards of" रख दिये जायं, तथा शब्द "Committees" के स्थान पर शब्द "Board" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ३३ का संशोधन।

८--धारा ३३ की उपधारा (१) के खंड (बी) में शब्द "Proposal of the" और "Faculty or Faculties" के बीच में शब्द "Board of the" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६, ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१।

९--(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट १९२१ के उपबन्धों को सामान्यतया कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कोई भी काम करना, जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम (Statute) का निर्माण अथवा संशोधन तथा ऐसे परिनियमों अथवा संशोधनों के प्रभावी होने के दिनांकों का निश्चित करना भी है, विधिपूर्ण होगा।

(२) उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकार राज्य सरकार उतनी बार प्रयुक्त कर सकती है जितनी बार अपेक्षित हो, किन्तु इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से बारह महीनों के पश्चात प्रयुक्त नहीं कर सकती है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ के शब्द "संशोधन" तथा शब्द "तथा" के बीच में शब्द "विधान सभा की सम्मति से" जोड़ दिये जांय यह संशोधन पेश करता हूं। इसके बाद खंड ९ इस तरह से पढ़ा जायगा कि :--

"इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ के उपबंधों को सामान्यतया कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कोई भी काम करना, जिसके अंतर्गत किसी परिनियम (Statute) का निर्माण अथवा संशोधन विधान सभा की सम्मति से तथा ऐसे परिनियमों अथवा संशोधनों के प्रभावी होने के दिनांकों का निश्चित करना भी है, विधिपूर्ण होगा।"

श्रीमन्, यह स्टैट्यूट्स जो आज तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं और जो १८७२ से अब तक बने हुये हैं, उनको राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेना चाहती है और उन्हें बिना यूनिवर्सिटी को कंसल्ट किये हुये बदल देगी। श्रीमन्, एक तरफ तो जमहूरियत की, प्रजातंत्र की दुहाई देते हुए कांग्रेस के लोग थकते नहीं हैं और दूसरी तरफ एक बात को थोड़ी ही अटोनोमी यूनिवर्सिटी को है इन स्टैच्यूट्स में जिसके मुताबिक वह अपना कांस्टीट्यूशन बनाती है, जिसकी उन्हें इजाजत है। इस संबंध में दफा ३० इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट को रिफर करना चाहता हूं कि जो फ़ंकशन्स और पावर्स बोर्ड के हैं, यानी डिग्री देना आनरेरी डिग्री कैसे देंगे, डिग्री का विदड्राअल कैसे होगा ? स्कालरशिप किसको दी जायगी, वगैरह वगैरह ये सब उसमें ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सबसे अच्छा ज्ञाता यूनिवर्सिटी का ही विद्वान हो सकता है क्योंकि उसके डे टु डे अफ़ेयर्स से उनका ताल्लुक है। अगर इन ताकतों को एक आदमी के हाथ में दे देते हैं, भले ही वह कितना बड़ा विद्वान हो, और कल को वह इस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो बड़ा अनिष्टकर होगा ? आज यह सरकार है, हो सकता है कि कल को दूसरी सरकार आये और वह मनमानी करे, मान लीजिये साल भर के अन्दर कोई नोकांन्फीडेन्स मोशन पास हो जाता है और दूसरी गवर्नमेंट आती है और वह दूसरे तरह के रेगुलेशन बनाती है, स्टैट्यूट्स को बिल्कुल बदल देती है तो ये डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपिल्स जैसा कि हमको बताया जाता है, सब खत्म हो जाते हैं। एक तरफ तो हम यूनिवर्सिटी को आटोनामस बाडी बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसके डे टु डे अफ़ेयर्स में दखल देंगे, तो ये दोनों चीजें कैसे चल सकती हैं। ऐसी हालत में इसको ज्यादा अच्छा बनाने के लिये अगर १४ दिन तक विधान सभा के सामने वे नियम रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं उनमें यथोचित संशोधन की शक्ति सदन को होनी चाहिए। इंटरमीडियेट एजूकेशन बिल में भी ऐसा ही है। आपकी इजाजत हो तो मैं उसे पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, सवा बजे तक इसे खत्म होना है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--तो यही मुझे कहना है कि अगर विधान सभा के सामने १४ दिन तक वे रखे जायंगे तो डेमोक्रेसी को ज्यादा पुख्तगी देंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमन्, मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ के शब्द 'संशोधन' तथा शब्द 'तथा' के बीच में शब्द 'विधान सभा की सम्मति से' जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १० तथा ११

१०--(१) राज्य सरकार किन्हीं भी कठिनाइयों के, विशेषतः मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में (कठिनाइयों के), निवारणार्थ सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसा अस्थायी उपबन्ध बना सकती है, जिसे वह आवश्यक अथवा इष्टकर समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक के बारह महीने पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसके निवारण को कोई भी अपेक्षा नहीं थी।

रसन तथा अपवाद। त्तर प्रदेश अध्यादेश, ४,१९५७।

११—उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ की धारा १, ३ तथा ४ के उपबन्ध जहां तक कि उनका सम्बन्ध इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ से है, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इसी प्रकार वृत्तज होंगे मानों कि वह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित विधायन रहा हो।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० और ११ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

क्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैं प्रस्ताव करता हूं—

श्री अध्यक्ष—मैं ही पढ़ूंगा। सिर्फ मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे स्वीकार करते हैं इस संशोधन को?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५७

० पी० ऐक्ट, ३, १९२१।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने का विधेयक

० पी० ऐक्ट, ३, १९२१।

यह इष्ट कर है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ को यहां आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधयक, १९५७, जसा कि वह इस सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक १९५७

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७, [Intermediate Education (Amendment) Bill, 1957] उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को उसके विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय जिसके सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, ९ दिसम्बर, १९५७ को यह संशोधन विधेयक जो इन्टरमीडियेट इजूकेशन ऐक्ट के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है, इस सदन में पुरःस्थापित किया जा चुका है । आज मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसकी नामावली बाद में दी जायगी । यह विधेयक मेरी नम्र सम्मति में अपना एक बड़ा महत्व रखता है । अवश्य ही इस विधेयक के द्वारा इन्टरमीडियेट का जो हमारा बोर्ड है उसके सारे विधान में किसी प्रकार के बहुत बड़े परिवर्तन की चेष्टा नहीं की गयी है । यह मैं जानता हूं कि बहुत दिनों से यह मांग भी रही है कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड की जो रूपरेखा है, जो उसका संगठन और विधान है उसमें आवश्यकता नुसार परिवर्तन किया जाय । जो पुराना बोर्ड है १९२१-२२ में सेडलर कमीशन के मतानुसार तात्कालिक शिक्षा-मंत्री श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने उस बोर्ड की स्थापना की । तब से बराबर आज तक ४५, ४६ वर्षों से वह हमारे प्रदेश के सारे माध्यमिक शिक्षा का नियन्त्रण करता है । आज उसका बड़ा विस्तार भी हो गया है । उसका कानून भी बहुत दिनों से चल रहा है ।

अक्सर यह मांग होती रही है जब कभी शिक्षा पद्धति और क्रम के विषय में विचार किया जाता रहा है, कुछ लोगों की ओर से यह बात कही जाती रही है और कहीं अनुभव में भी आता रहा है कि कदाचित् उसके विधान में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे उसका संगठन कुछ और व्यापक और उपयोगी बन सके । परन्तु यह जो विधेयक है, यह मैं स्वीकार करता हूं कि उसके किसी मौलिक रूप में या उसके विधान में ही कोई प्रभाव नहीं डालता है । उस सम्बन्ध में ऐसा विचार है कि वह एक बड़ा प्रश्न होगा और बड़ा विचारणीय प्रश्न होगा । ऐसा प्रश्न होगा जिस पर दो मत भी हो सकें, विवाद भी हो और विशेषरूप से सोच-समझकर तब उसकी एक रूपरेखा फिर से निर्धारित की जाय । कोई भी ऐसा कार्य जो प्रदेश में पिछले ४०, ४५ वर्ष से बोर्ड कर रहा है और साथ ही साथ एक चलती हुई व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन किया जाय तो यह देखकर कि जो परिवर्तन हो, वह अधिक उपयोगी हो, अधिक लाभकारी हो और जिन उद्देश्यों को लेकर इस प्रकार का बोर्ड बनता है, उन उद्देश्यों को विस्तृत कर सके और अधिक सफल भी हो सके । इस विचार से उसमें परिवर्तन करना होगा । जब इतना बड़ा प्रश्न हो तो उस पर अधिक गम्भीरता से विचार करने की जरूरत होगी । इसलिये इस विधेयक में उसे नहीं रखा गया है । हमारा विचार है कि शीघ्र ही सदन में ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाय जिससे विशेष रूप से इंटरमीडियेट बोर्ड के स्वरूप, संघटन और जिस विधान के अनुसार उसका संचालन होता है, इन सब बातों पर व्यापक रूप से विचार हो सके ।

---

*९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छापा गया ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

प्रस्तुत विधेयक एक विशेष लक्ष्य को लेकर लाया गया है और वह हमारे माध्यमिक शिक्षकों की विशेष समस्या रही है। यह जानी हुई बात है, माननीय सदस्यों को भलीभांति ज्ञात है, बहुतों को मुझसे ज्यादा ज्ञात होगा, कि हमारी माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों के बड़े ज्वलंत प्रश्न रहे हैं जिन पर समय समय पर विचार होते रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा की पद्धति हमारे प्रदेश में ज्यादातर गैरसरकारी और सार्वजनिक ढंग से चलायी जाती रही है। सरकारी संस्थाओं की संख्या बहुत थोड़ी सी है। प्रायः सारा ही भार इस शिक्षा का प्रदेश की जनता उठाती रही है। उन्हें सरकार की ओर से ग्रान्ट आदि के रूप में, कुछ सहायता मिलती रही है। इस प्रकार आज हमारी १४००, १५०० या १६०० माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में केवल ७७ या ८० सरकारी हैं, बाकी सब सार्वजनिक हैं जिनके द्वारा शिक्षा का प्रसार भी होता रहा है और शिक्षा प्रदान भी की जाती रही है। पिछले ८, १० वर्षों में इन संस्थाओं की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। शिक्षा का प्रसार, चाहे धीमी गति से ही सही, हमारे प्रदेश में हुआ।

इन शिक्षा संस्थाओं के संचालन के लिये जो प्रबन्ध समितियां इत्यादि बनती हैं, जिनके द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति वगैरह का संचालन होता है, उनमें कभी कभी इस प्रकार की बातें भी पैदा होती हैं जिनसे यह समझा जाता है कि अध्यापकों के हित की सुरक्षा नहीं हो रही है और संस्था का संचालन ठीक ढंग से नहीं होता है। तरह-तरह की गुटबंदी या कुव्यवस्था के वे शिकार बन जाती हैं जिससे संस्था और अध्यापकों का भी नुकसान होता है। अध्यापकों की ओर से भी इसकी बराबर मांग होती रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ है, उसके द्वारा भी मांग होती रही है। इस मांग की बात को छोड़कर भी हमारे प्रदेश के विचारक और शिक्षा प्रेमी इस पर विचार करते रहे हैं। सन् ४६ में तिलक कमेटी बनी और उसकी सिफारिशें आईं। उनका स्वागत भी हुआ और विरोध भी हुआ। उनमें कुछ कठिनाइयां भी आईं। कुछ विशेष बातों से उसकी कुछ बातें लागू नहीं हो सकीं। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी ने भी, जो सन् ५१ में बैठी, इस पर विचार किया और एक या दो बातों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। वह यह है कि इन संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व हो, यह मौलिक रूप से उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक, चाहे हाई स्कूल का हो या इंटरमीडियेट कालेज का हो, वह प्रबन्ध समिति में होना चाहिये और अध्यापकों का भी एक प्रतिनिधि उसमें रहे। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि यदि किसी संस्था का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है तो उसे चलाने का भार शिक्षा विभाग अपने ऊपर ले ले। इस पर बराबर विचार होता रहा। यह विधेयक उन तमाम बातों को सामने रखकर लाया गया है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि सारी आवश्यकतायें तो इससे पूरी नहीं होती हैं। जिन बातों की एक प्रकार से बहुत अत्यन्त आवश्यकता थी जिससे हमारी संस्थायें ठीक प्रकार से संचालित हो सकें और कुछ अध्यापकों के हित की भी सुरक्षा हो सके, उन बातों के लिये यह विधेयक है।

जैसा माननीय सदस्य इस विधेयक में देखेंगे, इसमें बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो हमारे एजूकेशन कोर्ट में, जिसे शिक्षा संहिता कहते हैं, लिखी हैं और उनके अनुसार कभी कभी आदेश भी दिये जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी अवसर आये हैं कि संस्थाओं ने उनका पालन नहीं किया है और उसका कारण रहा है कि वह कोई कानून की शक्ति रखनेवाली चीज नहीं है। जो कुछ थोड़े बहुत शासकीय कदम हम उठा सके, जैसे किसी की ग्रान्ट बन्द या कम करना वे हम उठाते रहे, पर अपने आदेशों का पालन कराने का कानूनी अधिकार नहीं है। बहुत कुछ ऐसी बातें इस विधेयक में रखी गई हैं।

कुछ धारायें, उप-धाराओं सहित, इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट में जोड़ने की बात है, जिसके द्वारा हमारे अध्यापकों की नियुक्ति सेवा की अवधि और सेवाकाल के लिये सुरक्षा प्रदान करने की चेष्टा की गई है।

इस बिल की विशेषता के सम्बन्ध में मैं केवल दो शब्द ही निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्यों ने उसको भली-भांति पढ़ा होगा, वह सारी बातों को समझ ही गये होंगे, उसमें ज्यादा समय लेना नहीं चाहता ।

एक तो यह कि उसमें स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन का प्रबन्ध किया गया है । हर संस्था को, वह किस प्रकार से संचालित होती है, इसकी एक रूपरेखा देनी होगी और हर शिक्षा संस्था उस रूपरेखा की स्वीकृति डायरेक्टर से लेगी । क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसी शिक्षा संस्थायें बन जाती हैं कि दो चार आदमी मिल कर उन्हें बना लेते हैं । न कोई उनके पास नियम होते हैं, न उनकी कोई कमेटी होती है, अगर कोई कमेटी होती भी है तो यह नहीं होता कि उनके चुनाव की क्या व्यवस्था होगी । अध्यापकों का उसमें क्या स्थान होगा, कितना उनका प्रतिनिधित्व होगा, किस प्रकार से उन शिक्षा संस्थाओं का संचालन होगा, इसके बारे में भी उनके पास कोई नियम नहीं होते और वह चलती रहती हैं । इसके जो दुर्गुण होते हैं उनके विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है । उनमें मनमाने ढंग से काम होता है । बहुत से मौकों पर इस प्रकार की भी शिकायत आती है, और ऐसी संस्थाओं की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, कि कहीं किसी अध्यापक के साथ ज्यादती हो गयी, बीच सेशन में ही उसको निकाल दिया गया । अब स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन से यह लाभ सोचा गया है कि हर शिक्षा संस्था अपनी एक योजना बनाये और डायरेक्टर से उसकी स्वीकृति ले ले कि किस प्रकार से वह अपनी शिक्षा संस्था को चलाना चाहती है, और तदनुकूल वह उसको चलाये । उनके अनुसार चलाने की उनकी जिम्मेदारी होगी और कभी भी न चलाने पर उनके ऊपर उसका उत्तर-दायित्व डाला जा सकता है । इसकी सिफारिश आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने भी की थी कि हर शिक्षा संस्था के पास एक व्यवस्था होनी चाहिये ।

जहां तक उनको इसके लिये बाध्य करने का प्रश्न है कि हर शिक्षा संस्था अपनी स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन भेजे, ६ महीने की अवधि डायरेक्टर के पास भेजने के लिये रखी गयी है । अगर कोई शिक्षा संस्था ६ महीने में नहीं भेज सकती तो डायरेक्टर कुछ और समय उसको दे सकता है । यदि इतने पर भी न आये तो इसमें यह रखा गया है कि यदि इतने दिनों के भीतर न आये तो वह विद्यालय अनियमित समझा जायगा । यह इसलिये रखा गया है जिससे सभी के लिये यह बाध्य हो कि सभी शिक्षा संस्थायें अपने संचालन की रूपरेखा बना लें और उसका ज्ञान विभाग को भी हो जिससे जब भी आवश्यकता उत्पन्न हो, यह देखा जा सके कि उसका संचालन नियमानुसार हो रहा है या नहीं ।

दूसरी बात यह है कि मूल ऐक्ट की धारा १६ में बहुत सी उपधाराओं को जोड़ा जा रहा है । उन्हीं के अनुसार अध्यापकों की नियुक्तियां होंगी । अगर उसको दंड दिया जाता है तो उसके लिये किस प्रकार की व्यवस्था हो । दंड पर अपील करने की व्यवस्था की गयी है । उसकी नियुक्ति कैसे हो, एक सेलेक्ट कमेटी बैठे, उसी के द्वारा उसकी नियुक्ति हो । ये सारी बातें उनमें दी गयी हैं । चेष्टा इस बात की की गयी है कि अध्यापकों की सेवा और सुरक्षा के लिए निश्चितता हो सके । ऐसा न हो सके कि जब मन में आया किसी अध्यापक को रख लिया और जब चाहा उसको अलाहिदा कर दिया । इस प्रकार की स्थिति न होने पाये और उसकी रोकथाम के लिये उसमें व्यवस्था की गयी है । ऐसे ही यदि किसी शिक्षा संस्था का प्रबन्ध बहुत खराब ही हो जाय, बावजूद इसके कि पहले उन्हें चेतावनी दे, और बोर्ड से यह कहें कि इसका रिकाग्नीशन विदड्रा कर लिया जाय तो रिकाग्नीशन विदड्रा करना भी हमेशा कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुआ करती है क्योंकि रिकाग्नीशन विदड्रा करने से शिक्षा संस्थाओं का विलोप होने लगेगा, जो हमारा और आपका लक्ष्य नहीं हो सकता । उसका अच्छी तरह से संचालन हो सके, इसके लिये उसमें व्यवस्था है कि हम अथराइज्ड कंट्रोलर कहें या ऐडमिनिस्ट्रेटर कहें, सरकार द्वारा नियुक्त कर सकते हैं । अगर कोई भी संस्था ऐसी है जिसका प्रबन्ध बिगड़ा हुआ है तो फिर डाइरेक्टर को यह अधिकार होगा कि

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

वह स्टेट गवर्नमेंट से यह सिफारिश करे कि इस संस्था के लिये कंट्रोलर नियुक्त होना चाहिये क्योंकि कुप्रबन्ध के कारण यह संस्था विनष्ट हो रही है। इस तरह से हम एक संचालक नियुक्त कर सकते हैं जो कि उस संस्था का संचालन करे। अभी भी ऐसी शिक्षा संस्थाएं कहीं कहीं चल रही हैं, अगर कहीं ऐसी संस्था है तो उसका संचालन हमने इंसपेक्टर के जरिये कराया है, लेकिन उसके पीछे जिसको हम कहें कानूनी अधिकार, वह प्राप्त नहीं है। वे चलती हैं, चल रही हैं और चलती गयीं, लेकिन अब इसमें यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि ऐसी शिक्षा संस्थाओं का संचालन जहां कुप्रबन्ध इत्यादि दिखलायी दे, आप एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं कि वह उसका संचालन करे और कोई कमी या त्रुटि हो तो उसको भी दूर कर दे जिसके कारण वहां का प्रबन्ध बिगड़ गया है। ये विशेष बातें इसमें रखी गयी हैं।

प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी इसमें व्यवस्था की गयी है कि उसकी नियुक्ति एक सेलेक्शन कमेटी द्वारा होगी। और उसमें ऐसा सोचा गया है कि रीजन में एक पेनल बना दिया जाय कुछ व्यक्तियों का, जिन्हें आप कहें कि शिक्षा क्षेत्र से अधिक सम्बन्ध रखते हों, शिक्षक हों, अथवा विशेषज्ञ से हों, और सारे रीजन के ऐसे लोगों का एक एक पेनल हो जाय और जब कभी प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल का सेलेक्शन होना हो, तो जो सेलेक्ट कमेटी बने, उसमें एक व्यक्ति ऐसा रखा जाय जो बाहरी हो और वह देख कर योग्यतम व्यक्ति का चुनाव कर सके। क्योंकि इस प्रकार की गड़बड़ियां प्रिंसिपल के चुनाव में होती रहती हैं कि जिसको जब चाहा रख लिया और जब जिसको चाहा वहिर्गत कर दिया, इसके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है।

मोटे तौर पर ये तीन चार विशेषतायें हैं जिसके लिये यह विधेयक लाया गया है। आपकी स्वीकृति के बाद जब यह अधिनियम का स्वरूप ग्रहण करेगा तो मैं समझता हूं कि हम अपने प्रदेश की माध्यमिक शिक्षकों की सुरक्षा में कुछ थोड़ा बहुत सहायक हो सकेंगे जिससे उनके हित और उनके अधिकार सुरक्षित रहें और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, वे रोके जा सकेंगे।

मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रदेश में जिन लोगों ने शिक्षा संस्थाओं के संचालन का भार उठाया है, गैर सरकारी होते हुए भी केवल सार्वजनिक सेवा की पूर्ति में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की है, जो प्रबन्धक हैं, जिन्होंने प्रबन्ध समिति बनायी, उनके प्रति हम सब कृतज्ञ हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो यह मानते हैं कि हमारे जितने भी प्रबन्धक या प्रबन्ध समुदाय या जितनी प्रबन्ध समितियां हैं, सबकी सब खराब हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं विधान का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि सिर्फ सवा घंटे बाकी हैं इस पर बहस होने के लिये। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जितना समय ले लिया है अब उतना ही बाकी है और साथ ही साथ १४, १५ संशोधन भी आ चुके हैं, इसलिये मेम्बरों को बोलने के लिये भी कुछ मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप मेरे जरिये अपील कर सकते हैं कि वे कम बोलें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, एक अव्यवस्था उत्पन्न करके व्यवस्था का प्रश्न उठाना, यह कहां की व्यवस्था है?

मैं कुछ निवेदन कर रहा था और यह कह रहा था कि मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो यह मानते हैं कि हमारी सभी प्रबन्धक समितियां या प्रबन्धक खराब ही हैं परन्तु मैं तो ऐसा समझता हूं कि जिन लोगों ने शिक्षा के प्रसार में और शिक्षा के विस्तार में, विशेषकर माध्यमिक शिक्षा के विस्तार में अपना समय दिया है और जिन की सेवा, परिश्रम, सहयोग और व्यवस्था से आज

माध्यमिक शिक्षा का यहां इतना प्रसार हो सका है वह हमारी और इस प्रदेश की जनता की कृतज्ञता के पात्र हैं क्योंकि इन संस्थाओं को जो कुछ भी थोड़ी बहुत सरकारी सहायता मिलती है वह भले ही यहां से करोड़ों की संख्या में जाती हो लेकिन माध्यमिक शिक्षा पर आज जितना व्यय इस प्रदेश में हो रहा है उसके अनुपात में अगर हम देखें तो हमारी सरकारी सहायता बहुत ही नगण्य है। आज बहुत से ऐसे प्रबन्धक, प्रबन्ध समितियां और संचालक हैं कि जिन्होंने अपने जीवन का अधिक समय इस अत्यन्त उपयोगी और पवित्र काम को दिया है। वैसे बुरे भले तो सब जगह होते हैं फिर भी पूरे चित्र को देखें तो जिस तरह से यह कार्य उन व्यक्तियों के संचालन में चल रहा है वह बहुत अच्छा है। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी कभी कभी होती है और जो कुछ गड़बड़ी होती है उससे हम हम लोग पूरे तौर से परिचित हैं। इस विधेयक के द्वारा उस गड़बड़ी को रोकने की चेष्टामात्र की गयी है और मैं समझता हूं कि आज जो ऐसी संस्थाओं के प्रबन्धक हैं और जो शिक्षा प्रेमी के वशीभूत होकर यह सेवा करते हैं उनको इसमें आपत्ति भी नहीं होगी कि जहां कहीं भी किसी तरह की संस्थाओं के संचालन में गड़बड़ी हो उसको रोकने का उपाय किया जाय।

जहां तक शिक्षकों का सम्बन्ध है, उनके वेतन आदि का भी प्रश्न है मैं समझता हूं कि जब इस पर विवाद होगा तो यह प्रश्न भी अवश्य उठाया जायगा। पैरिटी आदि का सवाल उनके लिये उठाया जाता है और कहा जा सकता है कि जो वेतन सरकारी संस्थाओं में प्रधान अध्यापक को या लेक्चरर्स को दिया जाता है वही क्यों नहीं दिया जाता। अक्सर इस तरह के सवाल उठाये जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करूंगा जैसा कि अभी यूनिवर्सिटी के बिल पर विचार करते समय मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया था आदरणीय सदस्यों से कि वह प्रश्न भी ऐसा है कि जिसमें मूलतः और सिद्धान्ततः किसी भी समझदार व्यक्ति को विरोध नहीं हो सकता क्योंकि सरकारी संस्थाओं में लोग पठनपाठन का जैसा काम कर रहे हैं अवश्य ही वही काम वह भी कर रहे हैं। यह तमाम सार्वजनिक संस्थायें हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अपने यहां के अध्यापकों को पूरे ग्रेड्स दे सकें और इसी कारण से उनके ग्रेड्स कम हैं और उसमें भी जितने उनके इन्क्रीमेंट्स होते हैं वह ५० प्रतिशत और इस बजट से ७५ प्रतिशत बोझा सरकार ने अपने ऊपर उठाया है। आजकल ऐसा जमाना भी नहीं है कि ऐसी संस्थाओं को जनता से अधिक पैसा मिल सके। इस तरह की कठिनाई है। वह पैरिटी तब ही सम्भव है जबकि सरकार तैयार हो कि अध्यापकों के जो ग्रेड बनेंगे उन को देने में जितना भार वह उठा सकें उठायें और जो न उठा सकती हों और जितनी उनकी कमी हो उसको सरकार पूरा करने के लिये समर्थ हो और तैयार हो। इस विषय को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हमसे मिले भी थे। इस प्रश्न पर हमने विचार आरम्भ किया है। इस पर खास तौर से अध्ययन करना पड़ेगा और हम देख रहे हैं क्योंकि यह एक अलग से प्रश्न है जिसकी ओर सरकार का ध्यान गया है। हम चेष्टा करेंगे कि पैरिटी लाने के लिये जितना उनको ऊंचा उठा सकें क्षमता के अनुसार उठायें। जो भी मामले उनकी नियुक्ति, सेवा काल, उनके अधिकार आदि से सम्बन्ध रखते हैं उनके विनियमन के लिये, शिक्षा संस्थाओं की गड़बड़ियों को दूर करने के लिये और इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड के विधान को परिवर्तित करने के लिये और उसको एक नया स्वरूप देने के लिये और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने की दृष्टि से हम यह विधेयक लाये हैं। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए अलग से विधेयक सदन में शीघ्र प्रस्तुत करने का हमारा इरादा है।

इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द विचारार्थ कर दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष—किस बात पर प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी—जरा सुन तो लें ।

नियम १६८ के मुताबिक यहां की कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिए । और यह बिल जो है इसमें दफा १६ की बात अंग्रेजी में है और इसका संशोधन अंग्रेजी में ही पेश किया जा सकता है । बिना अंग्रेजी पढ़ा हुआ न इसको पढ़ और न समझ सकता है । अतः मैं व्यवस्था चाहता हूं कि यह बिल जब तक हिन्दी में न आ जाय तब तक इसका वाचन रोक दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर माननीय अध्यक्ष पहले व्यवस्था दे चुके हैं । चूंकि मूल अधिनियम अंग्रेजी में है इसलिए संशोधन अंग्रेजी में लाया जा सकता है । लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर कोई माननीय सदस्य हिन्दी में संशोधन लिख कर पहले से दे दें तो हमारा कार्यालय उनकी प्रार्थना पर अंग्रेजी में उसका तर्जुमा करके दे सकेगा । इस स्टेज पर इस किस्म का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

मेरे सामने इस समय १५ संशोधन हैं जिनमें केवल श्री ब्रजनारायण तिवारी का संशोधन नियमानुकूल है और सब नियम विरुद्ध हैं । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम ९७ (२) (ख) की ओर दिलाता हूं । ९७ (२) इस प्रकार है—

"(२) इस प्रक्रम में विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते, परन्तु यदि विधेयक-भार-साधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक—

(ख) प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को राय प्राप्त करने के लिए, उस तिथि तक, जो उस प्रस्ताव में दी गयी हो, घुमाया जाय ।"

इसलिए चूंकि माननीय मंत्री जी ने स्वयं एक संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव पेश कर दिया है तो १५ में केवल एक संशोधन नियमानुकूल रह जाता है । इसलिए मैं माननीय ब्रजनारायण जी को इजाजत देता हूं कि वह अपना संशोधन पेश करें और अन्य माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के संशोधन में कोई संशोधन उपस्थित करना चाहें तो इजाजत दी जा सकती है ।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—परिधि बढ़ाने का ?

श्री उपाध्यक्ष—एक संशोधन जो नियमानुकूल है उसे ले लिया जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मैं केवल एक बात जैसा आपने अन्त में कहा वही कह रहा था । संशोधन माननीय शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव में संशोधन के रूप में लाये जा सकते हैं और वास्तव में वे उसी रूप में हैं कोई परिधि बढ़ाने का कोई अवधि नियत करने का ।

श्री उपाध्यक्ष—आप शब्दावली ठीक करके बाद में पेश करें ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन के बारे में आप से आज्ञा चाहूंगा कि गोविन्द नारायण जी तिवारी को आज्ञा दी जाय कि वे उसको पेश करें ।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है ।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय शिक्षा मन्त्री ने इस मौजूदा संशोधन की वकालत निहायत काबलियत से की है इसमें कोई शुबहा नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने अभी संशोधन पेश नहीं किया ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं---

"सदन का निश्चित मत है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ को जनमत संग्रह के लिए प्रदेश की प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं के पास एक माह तक घुमाया जाय ।"

जो मैंने संशोधन पेश किया है इसकी पुष्टि में मुझे निवेदन यह करना है कि १९२१ का ऐक्ट जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा . . . . .

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---प्वाइंट आफ आर्डर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस रूप में यह संशोधन दिया है यह संशोधन का रूप नहीं है । इसमें यह लिखा है कि 'सदन का निश्चित मत है' । यह तो माननीय सदस्य अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं । यह कोई रेजोल्यूशन नहीं है जो इस रूप में रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, हमारी नोटिस में उसका फार्म आ गया है उसको दुरुस्त किया जा रहा है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---१९२१ में जो इंटरमीडियेट ऐजूकेशन ऐक्ट आया और जो मौजूदा अमेंडमेंट इंटरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट में एजूकेशन मिनिस्ट्री की ओर से किया गया, इन दोनों को पढ़ने से यह मालूम होगा कि यह बड़ा रेट्रोग्रेड स्टेप है एजूकेशन की तरफ सरकार का । जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें इंटरमीजीयेट एजूकेशन बोर्ड के कांस्टीट्यूशन का ही सवाल था । मगर जो मौजूदा अमेंडमेंट किया जा रहा है उसका जो सबसे खास करेक्टर है वह गवर्नमेंट के पास एजूकेशन के सिलसिले में जितना सम्भव हो इनकी ऐथारिटी को कनसेन्ट्रेट कर देना है । इस ऐथारिटी के कनसेन्ट्रेशन के सिलसिले में मुझे यह कहना है अगर गवर्नमेंट का इंटरफीयरेंस इस हद तक एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में हो जायगा तो जो कुछ थोड़ी बहुत सेवा इंस्टीट्यूशन्स कर रहे हैं प्रदेश में वह खत्म हो जायगी । मसलन नया जो सेक्शन ३ (A) ऐड किया गया है, वह वैसा ही है जैसा म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में है ।

"3-A. The State Government may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused his position as such member as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest."

यह जो सेक्शन है इसकी वजह से इंटरमीडियेट बोर्ड में जो अलग-अलग ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेन्टेटिव्ज पहुंचते हैं और जो और संस्थाओं के या और जो एजूकेशन में इंटरेस्ट रखने वाले आदमी पहुंचते हैं अभी तक स्टेट गवर्नमेंट को उनके रिमूवल का अधिकार नहीं था । मगर जो यह ऐक्ट आ रहा है उसके माने यह हैं कि जिनको गवर्नमेंट नामीनेट करे उन्हीं आदमियों को रिमूव करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेती हैं । जिस तरह से बोर्ड का कांस्टीट्यूशन है, और जो सेक्शन ३ (A) जोड़ा गया है उससे साफ जाहिर है कि मौजूदा सरकार एजूकेशन के सिलसिले में सारे के सारे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है ।

इसी सिलसिले में जो नई दफायें 16-A से 16-I तक जोड़ी गई हैं उनसे यह मालूम होता है कि जैसे जर्मनी में हिटलर ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिये, फासिस्ट गवर्नमेंट ने, ऐजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को करप्ट करने की कोशिश की, बराबर इस बात की कोशिश की कि हर इन्स्टीट्यूशन हिटलर की तस्वीर टांगे, उन्हीं की आइडियोलोजी इंस्टीट्यूशन्स में पढ़ायी जाय, उसी तरह से इन दफाओं से भी यह साफ जाहिर होगा कि प्रान्तीय सरकार या

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

एजूकेशन डिपार्टमेंट, जो नया सेटअप एजूकेशन का दिया जा रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरफीयरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके सिलसिले में अगर आप गौर करें तो सेक्शन 16-E (1) को आप देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि:—

"16-E(1) Qualifications for appointment as Principals, Headmasters and teachers of different subjects at different stages of the course shall be prescribed by regulations :

Provided that the Board may after considering the report of the Director exempt any person from the requirements of minimum qualifications having regard to his experience, education and other attainments."

इसमें जो यह दिया हुआ है 'अदर अटेन्मेंट्स' इससे साफ जाहिर है कि एजूकेशनल क्वालीफिकेशंस, जिनकी शिक्षा संस्थाओं को चलाने के लिए अत्यन्त आवश्यकता होती है उसे भी सरकार नहीं रखना चाहती है। यह अदर अटेन्मेंट्स जो दिया गया है भगवान जाने इसके क्या माने हैं, सरकार जानती होगी या फिर शिक्षा मन्त्री जी जानते होंगे। हमारी समझ में तो साफ तौर से यह जाहिर है कि किसी ऐसे अध्यापक को जिसको कि सेलेक्शन कमेटी या मैनेजिंग कमेटी न रखना चाहे उस अध्यापक को भी सरकार चाहे तो जबर्दस्ती उस मैनेजिंग कमेटी के ऊपर लाद दे, इसी के लिए यह अल्फाज इसमें रखे गए हैं। वरना इसकी कोई जरूरत थी नहीं।

इसी तरह से श्रीमन् देखेंगे कि १६ ई के (३) में दिया है:—

"There shall likewise be constituted a Selection Committee of three members for the selection of Principal or Headmaster in the institution. The Committee shall include as member one of the persons in the Regional panel referred to in sub-section (4) to be nominated by the Director."

श्रीमन्, इस पर गौर करें। रीजनल पैनेल की कौन सी जरूरत है ? हर एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक सेलेक्शन कमेटी मौजूद है और उसकी मैनेजिंग कमेटी मौजूद है। उनको यह अधिकार बराबर होना चाहिए बिला किसी बाहरी इंटरफियरेंस के; वह मैनेजिंग कमेटी जो अपनी संस्था का सारा का सारा प्रबन्ध करती है, जो पैसे का इन्तजाम करती है, जो डिसिप्लिन को एन्फोर्स करने की कोशिश करती है, जो संस्था के भले बुरे के लिए हर तरह से जिम्मेदार रहती है, उसमें किसी पैनेल के मेम्बर को बाहर से रखने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट की यह पालिसी हो कि उसके नामिनीज को जगह-जगह पब्लिक के इंस्टीट्यूशन्स में रखा जाय। इसलिए यह जो क्लाज रीजनल पैनेल का दिया गया है यह केवल एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अनुचित हस्तक्षेप करने के लिए ही दिया गया है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि रीजनल पैनेल में वही लोग होंगे जो शिक्षा में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का तजुर्बा यह है कि जहां सरकार को अपने नामिनीज को रखने का अधिकार दिया गया है वहां सरकार कत्तई गौर नहीं करती कि नामिनेट ऐसे आदमी को किया जाय जो उस पद के योग्य हो। इसके बजाय तजुर्बा यह है कि गवर्नमेंट हर जगह अपने आदमियों को और उन लोगों को जो गवर्नमेंट की पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं, जो गवर्नमेंट के विशेष व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, उनको नामिनेट करती है। तो यह जो नया पैनेल का इन्वेंशन किया जा रहा है यह केवल इसलिए किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का समर्थन करने वाले आदमी पैनेल्स में पहुंच जायं और वह शिक्षा संस्थाओं में हर तरह का इंटरफियरेंस करें। नतीजा उसका यह होगा कि शिक्षा संस्थाओं में रोजमर्रा की जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज आयेंगी उनकी वजह से शिक्षा संस्थाओं को बहुत नुकसान होगा। उनका किसी तरीके से फायदा नहीं हो सकता।

आगे भी श्रीमन् गौर करें। सेक्शन १६-ई का (४) इस प्रकार दिया है—

"The Director shall prepare for each region a panel of persons to act as nominated members in the Selection Committee referred to in sub-section (3)."

तो आज तक शिक्षा संस्थाओं में जो नियुक्तियां होती हैं वे शिक्षा संस्थाओं की मैनेजिंग कमेटीज द्वारा होती हैं। वे क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब करके एप्लिकेशंस इन्वाइट करती हैं और उन ऐप्लिकेशंस में से सूटेबिल आदमी ले लिये जाते हैं। उन नियुक्तियों में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप किसी सूरत से वांछनीय नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जाता है कि शिक्षकों की हालत बहुत खराब है, उनकी कोई सेक्योरिटी नहीं है। मेरा कहना इस सम्बन्ध में यह है कि इंटरमीडियेट बोर्ड ऐक्ट में यह अमेंडमेंट हाउस के सामने आया और अगर वह किसी तरह से ऐक्ट बन कर पास हो गया तो इस प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में वह तबाही व बरबादी आ जायगी जो आज तक नहीं आई थी। सन् २१ का ऐक्ट आप के सामने मौजूद है जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। उस समय की सरकार ने भी अपने हाथ में यह ताकत नहीं ली थी कि इंटरमीडियेट बोर्ड के किसी मेम्बर को जब वह चाहे रिमूव कर दे। मैं समझता हूं कि वह प्रजातांत्रिक पद्धति में ट्रेन्ड थी और उसने यह अधिकार अपने हाथ में नहीं लिया। अगर सरकार यह अधिकार अपने हाथ में लेती है तो यह टोटेलेटेरियन मनोवृत्ति का द्योतक होगा।

रीजिनल पेनल वाली बात कहते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे आदमी रक्खे जायंगे जो शिक्षा से सम्बन्धित होंगे, लेकिन जहां तक इस ऐक्ट का ताल्लुक है इसमें रीजनल पेनल के मेम्बर की योग्यता का कोई जिक्र नहीं है। अगर यह होता कि रीजनल पेनल में वे लोग मेम्बर होंगे जो डिगरी कालेज या इंटरमीडियेट कालेजेज के प्रिन्सिपल्स के प्रतिनिधि होंगे तब भी बात समझ में आ सकती थी, लेकिन कोई क्वालिफिकेशन जब नहीं रक्खी गई है तो फिर रीजनल पैनल का मेम्बर अगर केवल कांग्रेस का आदमी हो तब तो उसके जरिये से अनावश्यक हस्तक्षेप होगा जिससे शिक्षा संस्थाओं को बड़ी भारी हानि होगी।

श्रीमन् का ध्यान मैं १६ F की तरफ दिलाना चाहता हूं उसमें डिप्टी डायरेक्टर आफ एजूकेशन, डायरेक्टर आफ एजूकेशन और इंस्पेक्टर आफ-स्कूल्स के हाथ में बड़े अधिकार दे दिये गये हैं। शिक्षा संस्थाओं की जो मैनेजिंग कमेटीज हैं उनके ऊपर उनको अधिकार दिया गया है। ये मैनेजिंग कमेटीज सारे का सारा धन शिक्षा संस्थाओं के लिये एकत्रित करती हैं। उन्होंने दस-दस और बीस-बीस साल इस बात का प्रयत्न किया कि शिक्षा संस्थायें उन्नति करें और उनके लिये हजारों, लाखों रुपया एकत्रित किया और ऐसे-ऐसे आदमी इन संस्थाओं में मौजूद हैं जिन्होंने सारा जीवन इन शिक्षा संस्थाओं को मजबूत करने और उनकी तरक्की करने में लगा दिया। ऐसे आदमियों के मुकाबले में इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर आफ एजूकेशन को इतनी बड़ी अथारिटी दे देना कुछ न्यायसंगत नहीं मालूम होता। उसका नतीजा यह होगा कि जितने सार्वजनिक कार्यकर्त्ता शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिये किसी तरह का कोई उत्साह नहीं रहेगा। सारी मेहनत वह करेंगे, पैसे का प्रबन्ध करेंगे इमारत का प्रबन्ध करेंगे, और नतीजा यह होगा कि जो डायरेक्टर आफ एजूकेशन है, इंस्पेक्टर आफ स्कूल है या डिप्टी डायरेक्टर है उसकी जब ख्वाहिश होगी वह हर प्रकार का हस्तक्षेप उन शिक्षा संस्थाओं में कर सकते हैं।

जहां तक टीचर्स की सिक्योरिटी का सवाल है, अगर सेलेक्ट कमेटी किसी टीचर को सेलेक्ट करेगी तो उसके बाद फाइनल अप्रूवल रीजनल डायरेक्टर या डायरेक्टर आफ एजूकेशन के जरिये होगा। अप्वाइंटमेंट करने वाली अथारिटी, जिसमें पब्लिक के रेप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मैनेजिंग कमेटी, उसको तो अधिकार न हो बल्कि उनके हर ऐक्शन में कोई दूसरा सरकारी अधिकारी हस्तक्षेप करे, उनके काम को सुपरवाइज करे और उनकी मरजी के मुताबिक किसी जगह हेडमास्टर या प्रिंसिपल को नियुक्त न किया जाय और डायरेक्टर आफ एजूकेशन या रीजनल डायरेक्टर को अधिकार दें दिया जाय कि प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के जिस आदमी को चाहें अपनी तरफ से मुकर्रर कर दें, यह कहां तक उचित होगा? उसके अलावा मैनेजमेंट के सिलसिले में, स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में, बराबर हर तरीके से जितने एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फ़ेजेज हैं सब में सरकार अपना हस्तक्षेप करना चाहती है।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

तो मेरा निवेदन आप के द्वारा सदन से यह है कि यह ऐक्ट केवल इसलिये पेश किया गया है कि पिछले १० वर्षों में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की मेहनत और कोशिश से और जनता के धन से जो शिक्षा संस्थायें उत्तर प्रदेश में पनप रही हैं उनमें सरकारी हस्तक्षेप गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती अप्रजातांत्रिक तरीके से किया जाय। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का अमेंडमेंट रखा है वह नाकाफी होगा और हमारी तरफ से जो अमेंडमेंट मूव किया गया है कि पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये इसे प्रत्येक शिक्षा संस्था के पास भेजा जाय, यही जम्हूरी तरीका है। प्रजातांत्रिक तरीका यही है कि जिस इंटरेस्टेड पार्टी के खिलाफ ऐक्शन लेना हो, जिसको कंट्रोल में लाना हो उसको कंसल्ट करना भी जरूरी है। तो ऐसी सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं उत्तर प्रदेश में १,६०० हैं और ७०–८० ऐसी हैं जिनका इन्तजाम स्वयं सरकार करती है। तो हमारी तरफ से यह अमेंडमेंट मूव किया गया है कि इन शिक्षा संस्थाओं के पास . . .

श्री उपाध्यक्ष---यह बात तो आप ने कई बार कही है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---तो मेरा निवेदन यह है कि हमारा अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय।

इसके सिलसिले में एक बात और अर्ज करनी है कि अगर सरकार की तरफ से यह बात कही जाय कि इन १,६०० शिक्षा संस्थाओं में किसी एक स्टैंडर्ड की संस्था अगर नियुक्त की जाय सरकार की तरफ से और यह कहा जाय कि एक शिक्षा संस्था जो १० वर्ष तक रिकग्नाइज्ड बनी रहेगी, जिस संस्था के पास इतने असेट्स होंगे उसको सरकार अपने अधिकार में ले लेगी और जैसे अन्य संस्थाओं को चलाती है उसी तरह से इस संस्था को भी चलायेगी और सरकार सारे का सारा खर्चा बरदाश्त करेगी, यदि यह बात होती तब तो बात समझ में आती। मगर हमारे यहां १,६०० शिक्षा संस्थायें चल रही हैं उनको कलम की एक लकीर से सरकार अपने अधिकार में लेकर उन पर हावी होना चाहती है और उनके सेलेक्शन में, एप्वाइंटमेंट में तथा रोजमर्रा के इंतजाम में उसका हस्तक्षेप करना न तो शिक्षा के लिये ही हितकर है और न प्रजातांत्रिक है। इसलिये सदन के सामने मैं आप की आज्ञा से अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आज के एजेंडे में ११ नम्बर पर जो संशोधन छपा है वह नियमित है इसलिये उसको श्री रामायण राय जी मूव करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि भाषणों के लिये समय मुकर्रर कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मुनासिब नहीं है इस स्टेज पर।

श्री मोतीलाल अवस्थी---पौन घंटा ही बाकी रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष---यह आप से किसने कह दिया? २६ तारीख तक बहस होगी।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे संशोधन को वैध करार दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मेरी एक विशेष प्रार्थना है कि पूर्व वक्ता के बोलने के बाद विषय यह काफी विवादग्रस्त हो गया है इसलिये मैं विशेष आग्रह कर रहा हूं कि हमारे दूसरे साथी गौरीशंकर राय जी को बोलने की इजाजत दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मान्यवर, अगर आप देखें तो एजेंडे के ९ नम्बर पर जो मेरा प्रस्ताव है वह भी तरमीम करता है शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव को . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---इसमें उनका ज्यादा व्यापक है जिसमें परिधि बढ़ाने के साथ इसी सत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग है। अगर आप अपना प्रस्ताव रखना चाहेंगे तो मैं इजाजत दे दूंगा। लेकिन उनका ज्यादा व्यापक है।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव के अन्त में शब्द 'समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट इसी सत्र में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे' जोड़ दिये जायं :---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम वर्षों से सुन रहे थे कि एजूकेशन बिल आने वाला है और इस पर यह आदरणीय सदन विचार करेगा। पिछले सेशन में जो आपने कहा था उसके अनुसार आप बिल ले आये तो हमें बड़ी आशायें थीं और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी अध्यापकों से कहा था कि आने वाले सत्र में यह बिल पेश होगा। कल शाम तक हमें बड़ी-बड़ी आशायें थीं कि बड़ा अच्छा बिल आने वाला है जो शिक्षा में पूरी तरह से आमूल परिवर्तन करने वाला है। बिल के उद्देश्य को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई बड़ी भारी क्रान्ति की बात होने वाली है। लेकिन बिल को देखने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि एक चीज का ही परिवर्तन होने वाला है, जैसा कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह कोई परिवर्तन इस विधेयक द्वारा नहीं करने जा रहे हैं और इसके लिये परिवर्तन दूसरे बिल में ले आयेंगे। मेरा निवेदन यह है कि जिन चीजों का प्रावीजन इस विधेयक में हो सकता था उन चीजों के सम्बन्ध में भी यह बिल मौन है। जैसे मैं आपको बतलाऊं कि वे बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडियेट के सिलसिले में कुछ परिवर्तन ले आना चाहते थे, वह नहीं आये; और भी बहुत से परिवर्तन हो सकते थे। इसलिये हमारा प्रस्ताव है कि प्रवर समिति को इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार रहे।

मैं आप के जरिये इस आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष में होने के नाते मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि मुझे अध्यापक रहने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिये मैं जानता हूं कि यह बोर्ड क्या है। मैं इसको अपनी भाषा में महन्ती कहता हूं और इसको एक लिमिटेड कंसर्न की तरह से ही समझता हूं और श्रीमन्, इसकी एक विचित्र परिस्थिति है। इसका कम्पोजीशन, श्रीमन्, आपको देख कर आश्चर्य होगा। आज भी आगरा के जमींदार एसोसियेशन का प्रतिनिधित्व इसमें है, चेम्बर आफ कामर्स का प्रतिनिधित्व इसमें है, जब कि कामर्स के विद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, कामर्स पढ़ाने वाले अध्यापकों या उस विषय के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि यहां के पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---जमींदारी तो खत्म हो गयी, अब उसके लिये आपको क्या परेशानी है?

श्री गौरीशंकर राय---खत्म तो हो गयी, लेकिन अब भी आप के लिये उनके दिल में इतना आदर है। तो उसका कम्पोजीशन मैं ऐसा समझता हूं कि प्रजातांत्रिक नहीं है। उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के दो प्रिन्सिपल और प्राइवेट स्कूल्स के चार प्रिंसिपल हैं जब कि गवर्नमेंट कालेजेज की तादाद प्राइवेट कालेजेज के मुकाबले में बहुत कम है। एक बात और, यहां शोषण डिग्री-डिग्री घटता बढ़ता जाता है। डिग्री कालेजेज में प्रिन्सिपल वहां के असिस्टेंट टीचर के लिये शोषक के रूप में मैनेजर के साथ मिल जाता है। मैं चाहूंगा कि संयुक्त प्रवर समिति में जब यह बिल जाय तो इसके कम्पोजीशन पर माननीय मंत्री जी विचार करें। उत्तर प्रदेश बिहार के बगल में बसता है, लेकिन जातिवाद के मामले में उत्तर प्रदेश अच्छा था। इस इंटरमीडिएट बोर्ड ने जातिवाद के पौधे को जमाया है, उसका सिंचन किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--जरा और साफ़ कर दीजिये।

श्री गौरीशंकर राय--इससे अधिक साफ करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि यहां इतने समझदार लोग बैठते हैं जो जरा से इशारे से ही बात समझ जाते हैं। और इसमें एक यह पालिटिक्स है कि इस लिमिटेड कन्सर्न के कुछ लोग परमानेन्ट मेम्बर रहते हैं। मेरा यह भी सुझाव होगा कि जैसे इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटीज में दो कांज़ीक्यूटिव टर्म्स से अधिक वहां की एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर रहने की इजाजत नहीं दी गयी है उसी प्रकार इंटरमीडियेट बोर्ड की महन्ती समाप्त करने में मंत्री जी सहायक हों।

स्थिति यह है कि कुछ लोग उस बोर्ड में हावी हैं और हमेशा हावी रहते हैं ऐसा उनका जाल है और उस जाल के कारण कौंसिल के मेम्बर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं में से एग्ज़ामिनर वगैरह बन जाते हैं और वहां से नरिशिंग आफ़ दि कांस्टीटुएंसी होता है। जैसे इस हाउस में आने के लिये मैनेजर बनना जरूरी है उसी प्रकार उस बड़े हाउस में जाने के लिये हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडियेट बोर्ड का सदस्य होना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे कि जो इंटरमीडिएट बोर्ड के सदस्य हैं या उसकी मशीनरी में किसी प्रकार का हिस्सा रखते हैं वे जब तक उसके सदस्य हैं उसके आने वाले तीन साल तक उनको कौंसिल का मेम्बर होने का हक न रहे या अगर कोई एम० एल० सी० है तो बोर्ड का सदस्य न बन सके।

टेक्स्ट-बुक के सम्बन्ध में, मैं बोर्ड का सदस्य हूं, मैं पुस्तक लिखता हूं। पुस्तक पर नाम भतीजे का है। बचपन में हम लोग चक्रवर्ती की अरिथमेटिक न जाने कब से पढ़ते चले आते थे। अब तो राधाकृष्णन् कमीशन, आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी आदि में कुछ ऐसे शब्द हैं कि उनके आवरण में कुछ इतनी छूट है कि प्रति वर्ष किताब बदलेगी। पब्लिशर और टेक्स्ट-बुक की पालिटिक्स श्रीमन्, आप तो स्वयं जानते होंगे और यह सारा सदन जानता होगा। एक तृतीय श्रेणी की पुस्तक है, उसको स्थान मिल जाता है। बोर्ड में जिनका ग्रुप मजबूत है उनके ग्रुप के लोगों की लिखी हुई चतुर्थ श्रेणी की पुस्तकें भी स्वीकार हो जाती हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, यह मैं कह रहा हूं शिक्षा के सर्वतोमुखी विकास के लिये। आप ऐसी बातों को प्रोत्साहन देते हैं कि जिन से शिक्षा की अधोगति होती है। शिक्षा मंत्री जी कह देंगे कि कानून का मामला है, कुछ मजबूरियां हैं, यह ठीक है। मैं मानता हूं। यहां मैनेजर भाई मिल रहे हैं, उनकी कांफ्रेंस हो रही है, वह भी प्रस्ताव भेजेंगे। खैर, वह तो और मामला है, वह भी ढंग से काम लेंगे, उनकी भी सेवायें हैं। मैं आप के जरिये से शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो एक कांप्रिहेंसिव बिल कुछ दिन बाद लाने की बात करते हैं मैं उसे नहीं चाहता। यह चाहे विवादास्पद विषय हो जाय, मैं चाहता हूं कि आप मजबूती के साथ इस बिल की परिधि को इतना और बढ़ा दें कि इसके अन्दर ही सीमित और सामयिक परिवर्तन हो जायं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है।

मैं बोर्ड के सम्बन्ध में बोल रहा था। पुस्तकें, इक्जामिनेशन, पुस्तकों का पब्लिकेशन आदि न मालूम कितनी बातें हैं और उनमें कौंसिल और राजनीति और न जाने क्या-क्या आ जाती हैं। अगर एक अध्यापक राजनीति को अपनाता है तो मैं समझता हूं कि वह सराहनीय है। उसको एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से रहना चाहिये, यदि रहेगा नहीं तो पढ़ायेगा क्या? लेकिन उसी पैसे से और उसी के साधनों से राजनीति में और आगे बढ़ना और तरह-तरह की कंपनियां खोलना, मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग के साथ अन्याय है और इस प्रकार से बोर्ड चलाने वाले लोग केवल गलत ही नहीं, अपराधी भी हैं। उन्होंने यहां की शिक्षा का स्तर ही नीचे नहीं गिराया है वरन् उसे गढ़े में डाल दिया है। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि आपका प्रशासन बोर्ड की इन तमाम गड़बड़ियों को प्रश्रय देने के लिये एक कक्ष बना हुआ है। आप भले ही उन कक्षों में हाथ नहीं डाल सकते, आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन यदि आप शिक्षा से इस तमाम राजनीति और जातिवाद को हटाने का

प्रयास नहीं करते और इनको ठीक नहीं करते तो यह प्रान्त डूब जायगा। राजनीति में तो जातिवाद हो सकता है, लेकिन शिक्षा जहां से शुरू हुई है, वहीं बच्चों के दिमागों को प्वायजन करना नितान्त घृणित बात है।

राधाकृष्णन् कमीशन की बात आप ने कही। मैं कहता हूं कि क्या जरूरत है बोर्ड की? सन् १९३१ में बोर्ड बना था, जब तीन या तेरह विद्यालय रहे होंगे, मैं जानता नहीं, लेकिन जब शिक्षा में इतनी विराट बढ़ती हुई है, जहां चारों तरफ बढ़ाव हुआ है, तो उसके बाद यह बोर्ड इन्कांपिटेंट हो गया है, और अगर किसी कांप्रिहेंसिव बिल लाने के पहले इसमें संशोधन अनिवार्य हो गया है तो मैं कहूंगा कि इस में कुछ आप कल्याणकारी संशोधन करें। कम से कम इस महंती को तो अवश्य हटा दें। जैसा हमारे मंत्री जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी की महंती हटाने में सराहनीय कदम उठाया है उसी प्रकार आप इस दूसरी महंती को भी धक्का दीजिये और इसमें दो कंजीक्यूटिव टर्म्स से अधिक की बात न रखें।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि टीचर्स का ऐप्वाइंटमेंट और डिस्मिसल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं अध्यापक हूं किन्तु उसके साथ ही नागरिक भी हूं। नागरिक होने के नाते चाहता हूं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिये। जिसे और कहीं जगह नहीं मिलती, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, वह मुदर्रिश हो जाता है। ला में तो थर्ड डिवीजन होता ही नहीं। गांव में स्कूल है हमारे दादा का, हम अगर थर्ड डिवीजन भी हैं तो उसमें प्रिंसिपल होकर भरती हो जायंगे और जब मैनेजिंग कमेटी हमारे हाथ में है तो हमको कौन निकाल सकता है। तो नियुक्तियों और निष्कासन पर जो बंधन चाहते हैं, उसका मैं समर्थक हूं। मैं चाहता हूं कि जो सुझाव आपने रखे हैं उनमें थोड़ा सा संशोधन किया जाता। मेरा यह सुझाव है, व्यक्तिगत रूप से यह गलत हो सकता है, बहुत से लोगों को यह गलत लग सकता है। मैं यह चाहता हूं कि इसके लिये कोई पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी चीज रहे। आप जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं उसी प्रकार से इन टीचरों की भी आप नियुक्ति करें। यह विषय बड़े विवाद का हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि क्या हम शिक्षा वैसी ही चाहते हैं कि सरकार के हाथ में सारी शिक्षा रहे? शिक्षा का स्वरूप आज जिस तरह का है उसके अधिकार क्षेत्र और सीमा के लिये व्यापक स्थान होना चाहिये, यह हम समझते हैं लेकिन अध्यापकों को सुबह रखा जाता है और शाम को निकाल दिया जाता है। वे लोग केवल सलाम करने से खुश या सलाम न करने से नाराज हो जाते हैं। किसी से सलाम करने की भूल हो गई तो कहते हैं कि हमारे यहां से चले जाओ। सब जगह ऐसा होता है यह मैं नहीं कहता हूं, लेकिन यह प्रायः देखा जाता है कि जो मैनेजिंग कमेटी के सदस्य होते हैं उनमें इस प्रकार की भावना चालू है।

कुछ जिलों में ऐसा है कि जिले के जितने स्कूल हैं उन सब में एक आदमी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है। यही उनकी इच्छा रहती है कि जितने भी जिले के स्कूल कालेज हों उन सब में उनका दखल हो जाय और उन सब के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बन जायं। एक आध के लिये बनना तो ज्यादा नहीं है लेकिन वह सब के लिये प्रयत्न करते हैं। मैं यह समझता हूं कि १, २ विद्यालयों का प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी रह कर मजे से कार्य का संचालन हो सकता है, किन्तु यदि जिले की सारी शिक्षा संस्थाओं का अध्यक्ष और सेक्रेटरी हो जायं तो फिर कार्य सुचारुरूप से नहीं चल सकता है। हमारे जिले में इस प्रकार का उदाहरण है कि एक साहब सारी शिक्षा संस्थाओं को हाथ में लेना चाहते हैं, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये। यह फर्म थोड़े ही है कि एक इसकी ब्रान्च कलकत्ता में और दूसरी कानपुर में है जो सबको अपने अधिकार में रखा जाय। यह तो सार्वजनिक सेवा का कार्य है और सेवा की भावना से यह कार्य होना चाहिये। मदनमोहन मालवीय जी और सर सैयद अहमद ने शिक्षा के क्षेत्र में सेवा का कार्य किया, लेकिन वह कभी ५० शिक्षा संस्थाओं के प्रेसीडेंट या सेक्रेटरी नहीं थे। उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की उन्नति के लिये कार्य किया है उसको कोई भुला नहीं सकता है। इसी प्रकार से यदि कोई शिक्षा के क्षेत्र में सेवा भाव से कार्य करता है तो उसकी

[श्री गौरीशंकर राय]

सेवा शिक्षा के प्रति स्नेह और त्याग के साथ मानी जायगी। किन्तु यदि कोई लोग इस तरह से शिक्षा संस्थाओं को अपने हाथ में रखना चाहें और राजनीति का लाभ उठाना चाहें और उसी लोभ से अध्यक्ष या सेक्रेटरी पद को सुशोभित करें तो इसको रोका जाना आवश्यक है। इस प्रकार की महन्ती को किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं माना जायगा।

इसके बाद जब अध्यापकों का चुनाव हो तो उनकी योग्यता बहुत अच्छी होनी चाहिये। उनका प्रशिक्षण भी अच्छा होना चाहिये। यदि हमको अच्छे डाक्टर और अच्छे इंजीनियर की देश में जरूरत है तो हमको अच्छे अध्यापक की भी आवश्यकता है। हमारे शिक्षा मन्त्री ने अध्यापकों को अच्छा होने के लिये उनकी बौद्धिक योग्यता की कुछ बात कही। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं और इस सिलसिले में मेरा मत यह है कि आप इतनी तनख्वाह में कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। इतनी तनख्वाह में अच्छे अध्यापक नहीं मिल सकते हैं। यदि इन लोगों के वेतन को बढ़ा दिया जाय तो उससे काफी अच्छे लोग इसमें आने के लिये तैयार हो सकते हैं। यदि आप इनकी पे को बढ़ा दें तो उससे कौन सा भार हमारी एकोनामी पर पड़ सकता है। गवर्नमेंट स्कूल के क्लर्क और प्राइवेट स्कूल के क्लर्कों को तनख्वाह में कोई फर्क नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों की तनख्वाह में और प्राइवेट टीचरों की तनख्वाह में फर्क है। मेरा इस विषय में निश्चित मत है कि जब तक अध्यापकों की तनख्वाह में समानता नहीं होगी तब तक इसमें कोई उत्थान नहीं होने वाला है। माननीय मंत्री जी सर्वतोमुखी विकास चाहते हैं, किन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी आशा निराशा में परिणत होगी। जब तक अध्यापक के पास खाने पीने के लिये सामान नहीं होगा तब तक आप कैसे आशा करते हैं कि वह आपकी आशा के अनुकूल काम करेगा।

बोर्ड के बारे में एक बात कह दूं। डायरेक्टर उसके प्रेसीडेंट होंगे, डायरेक्टर उसके ऐक्जीक्यटिव हेड होंगे। वह एक कार्यकारी अफसर है, एक कानून बनाने वाला है, वह उसका अध्यक्ष रहे, यह कहां तक ठीक है ? ऐसा अंग्रेजों के जमाने में तो था। मेरा खयाल है मंत्री जी की कलम से यह स्लिप हो गया होगा और वह इसको सुधार देंगे। इसमें क्या तुक है कि वह उसका अध्यक्ष बना रहे।

बोर्ड के नामीनेशन्स बाहर से जरा कुछ कम हो जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर सरकार ही उनका नामीनेशन करती चली जायगी और डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ही उसको चलाते चले जायेंगे तो किस प्रकार से काम आगे बढ़ेगा। इसके बारे में आप इलेक्टोरल कालेज बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने विद्यालय हैं उन सब में से एक-एक प्रतिनिधि ले लिया जाय। वही इलेक्टोरल कालेज होगा और वही अपने प्रतिनिधि चुन कर भेज सकेगा।

यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले सज्जन मुझे क्षमा करें, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेन्टेटिव जो बोर्ड में हैं उनमें भी कुछ कमी की जाय तो बहुत अच्छा होगा। उसमें टीचर्स का ही रिप्रेजेन्टेशन ज्यादा होना चाहिये, क्योंकि उन्हीं से उनका संबंध भी है। उन्हीं के उत्थान के लिये उसे कार्य करना है।

मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इसके आब्जेक्ट ऐन्ड रीजन्स को बदल देंगे। मालूम ऐसा होता है कि ये बहुत पहले बनाये गये थे और बिल बाद में बनाया गया है।

हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं, मेरी बड़ी इच्छा है, सरकार इसके लिये बड़ा प्रयास कर रही है, मैं भी इसकी इच्छा रखता हूं, इसके बारे में मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है, आदि आदि। उनके इस भाषा कौशल से ऐसा ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में ही कुछ होने जा रहा है, लेकिन उसमें तथ्य कुछ कम ही मालूम होता है।

टीचर्स के ऐप्वाइंटमेंट और डिस्मिसल के बारे में जो सुझाव मुझे देने होंगे बाद को दूंगा, लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि हम सब लोग वोट के लिये दौड़ते हैं, और कितने

ही हम में से स्कूलों के मैनेजर भी होंगे। अगर किसी को एलेक्शन के समय किसी अध्यापक ने सहायता नहीं की अथवा विरोध किया तो हम उनको क्षति पहुंचा सकते हैं।

विषमता के बारे में मैं अवश्य चाहूंगा कि कम से कम इस बारे में माननीय मंत्री जी घोषणा अवश्य करें कि शिक्षक को भूखों नहीं मरने दिया जायगा, क्योंकि जीने की इच्छा को रख कर अगर वह दरवाजे-दरवाजे ट्यूशन करता फिरा तो किसी भी प्रकार से उसका स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। म्युनिसिपल बोर्ड में एक हाई स्कूल पास को १८० रुपया मिलता है और स्कूल में एक बी० ए० पास को ८० रुपया मिलता है, इस विषमता को आपको मिटाना होगा।

इसके अतिरिक्त आपने जो प्रतिबन्ध रक्खा है उसके द्वारा आपने गवर्नमेंट स्कूलों को तो मुक्त किया ही है, लेकिन उनके साथ ही साथ अपने लोकल बाडीज के स्कूलों को भी मुक्त कर दिया है। गवर्नमेंट स्कूलों की बात तो समझ में आती है, क्योंकि प्रशासन से उनका सीधा संबंध होता है, लेकिन लोकल बाडीज के स्कूलों को मुक्ति देना समझ में नहीं आता। आज उनके ऊपर सरकार का अधिकार है कल को किसी और का भी हो सकता है। इसलिए उनके लिये यह प्रतिबन्ध नहीं रखना चाहिये।

अध्यापकों की नियुक्ति और डिस्मिसल के बारे में अवश्य ही कुछ बंधन होना चाहिये। इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि एप्वाइंटमेंट और डिस्मिसल का फैसला करने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिये।

एक बात श्रीमन्, मैं और कह दूं। माननीय मंत्री जी ने थोड़ा रेफरेंस दे दिया ट्रांसफर का। यदि स्कूलों में ट्रांसफसर की व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर दी जाय तो आज ही यह सारी परेशानी खत्म हो जायगी। लेकिन मैं जानता हूं कि यह व्यवस्था होने वाली नहीं है, क्योंकि एक स्कूल ऐसा है जिसमें तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास टीचर्स हैं और एक दूसरा स्कूल है जहां कि थर्ड क्लास के ही टीचर्स हैं। मान लीजिये एलेक्शन के वक्त कोई झगड़ा हुआ, और आपने चाहा कि चूंकि इसने हमारे खिलाफ काम किया है या काम करेगा इसलिये इसका ट्रांसफर कर दिया जाय तो इससे शिक्षा का जो एक स्टैंडर्ड है वह मेनटेन नहीं हो सकेगा। जब तक एप्वाइंटमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि ट्रांसफर की बात मानना ठीक भी नहीं होगा। ट्रांसफर की व्यवस्था तो बोर्ड के रूल्स में पहले से मौजूद है, लेकिन उसके अनुसार कभी कार्यवाही की जाती है? स्केल के बारे में भी मंत्री जी ने कुछ जिक्र कर दिया है।

मैं समझता हूं कि टीचर्स का कैरेक्टर रोल भी मेनटेन होना चाहिये। आज कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहां थर्ड क्लास के टीचर्स भी इसलिये रख लिये जाते हैं कि चलो ये अपने घर के ही आदमी हैं, चाहे उनको पढ़ाने से प्रेम हो या न हो। बोर्ड को अपने रूल्स चेंज करने का पूरा अधिकार है। जैसे आपने अमेंडमेंट कर लिया है आगरा जमींदारी बिल में, उसी तरह से इसमें दो चार लाइनें और जोड़ देते तो अच्छा होता।

श्रीमन्, जहां तक एलेक्शन कराने की बात है, इस सरकार ने आज तक जिला बोर्डों का एलेक्शन नहीं कराया, यदि सेंट्रल असेम्बली और पार्लियामेंट का एलेक्शन नहीं कराया जाता तो वह उसको भी शायद नहीं कराती। इसलिये मैं यह प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बिल की परिधि को बढ़ा कर यश लूट लें ताकि इसमें और जो कुछ जरूरी अमेंडमेंट हैं वे किये जा सकें।

आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी में मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ कहा गया है कि प्रिंसिपल और टीचर्स भी उसमें रहें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने ये बातें इसमें रख दी हैं, लेकिन माडेल मैनेजमेंट बोर्ड के लिये तो ये सारी बातें पहले ही से मान ली गयी हैं, फिर आपने नयी बात क्या कर दी? मैं समझता हूं कि वे सारी बातें, अधिक से अधिक, पहले से ही मौजूद थीं। अब एक सवाल एक्जीक्यूशन का होता है। बिल द्वारा एक्जीक्यूशन की बात नहीं हो सकती। माननीय मंत्री जी सोचें कि जो प्राविजन है, मैं जानता हूं कि माडल मैनेजमेंट बोर्ड का प्राविजन

[श्री गौरीशंकर राय]

है, जिसमें अध्यापक भी होंगे। लेकिन श्रीमन्, जहां तक मैनेजमेंट बोर्ड की बात है, यहां तो बहुत सी मैनेजमेंट कमेटीज ऐसी हैं जिनके अन्दर लाइफ मेम्बर होते हैं, अगर पिता मर गया तो उसके बाद उसका पुत्र मेम्बर हो गया, चाहे उसे शिक्षा से प्रेम हो या न हो। श्रीमन्, बहुत जगह लाइफ सेक्रेटरी होते हैं, जहां पिता के मरने के बाद उसका पुत्र सेक्रेटरी हो जाता है, वहां चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो मैं चाहता हूं कि एक स्टैंडर्ड कांस्टीट्यूशन मैनेजमेंट बोर्ड के लिये भी होना चाहिये। इसमें शिक्षा में किसी तरह से बाधा उत्पन्न करने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात को जरूर रोकना है कि कोई व्यक्ति एकाधिकार में रख कर अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके। श्रीमन्, मेरे यहां ऐसे विद्यालय हैं जहां की सेक्रेटरीशिप प्राप्त करने का सौभाग्य उनके पुत्र को ही हुआ। कोई सेक्रेटरी रहा तो उनके पुत्र को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ, कोई सदस्य रहा तो उनके पुत्र को फिर वही सौभाग्य प्राप्त रहा। हमारे यहां एक सतीशचन्द्र कालेज है, यही चीज वहां की है जिसके सम्बन्ध में मैं सदन को बताऊं कि वहां के प्रबन्धक १५ आदमी प्रारम्भ में रहे। जब कोई मरता है आपस में ही प्रस्ताव हो जाता है और कोई चुनने वाला नहीं, सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है और नये मेम्बर बन जाते हैं, न कोई चुनने वाले हैं, न कोई है, जब कोई मरा तो देख लिया कि उनके लड़के हैं या नहीं और अगर लड़का नहीं है तो कोई रिश्तेदार हैं या नहीं और आपस में बैठकर प्रस्ताव पास किया और चुन लिया। ऐसे-ऐसे कालेजेज हैं कि जिनकी कमेटियों के कभी चुनाव हुये ही नहीं। हर तरह की मनमानी वह करते हैं।

हमारे यहां एजूकेशन विभाग विद्यमान है, लेकिन कभी उसकी एक भी बात वह नहीं मानते। ऐसे-ऐसे केसेज हैं कि कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं, एम्बेजिलमेंट के केसेज हैं लेकिन वह कहते हैं कि डायरेक्टर साहब या शिक्षा विभाग हमारा क्या कर लेगा, हम को स्कूल चलाना है। इस तरह की संस्थाओं की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। यह तो नहीं कह सकते कि उनके सुधार की भावना नहीं है, या हमें कोई सुधारों को कार्यान्वित करने की भावना में शंका है। शक्ति में या समय मिलने में अभाव हो सकता है, क्योंकि जितने प्राविजन्स अब तक थे उनको भी कभी एप्लाई नहीं किया गया। इन संस्थाओं के मैनेजमेंट के लिये एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और उसके एक-एक अंग में जो कुष्ठ हो गया है उसे दूर करके जब आप एक सर्वतोमुखी विकास की इच्छा रखते हैं तो उसमें एक महान् और आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। जब आज प्रदेश की शिक्षा का भविष्य जर्जर हो रहा है तो इसकी आवश्यकता है कि इस विधेयक की परिधि को बढ़ाकर इसको प्रवर समिति में भेजें। बोर्ड की महानता को आप छोड़ें और मैनेजमेंट की गड़बड़ियों और झगड़ों को और सरकारी आधिपत्य को आप हटायें, आप डायरेक्टर महोदय को बोर्ड का अध्यक्ष न रहने दें, यहां के चीफ सेक्रेटरी ही अगर चीफ मिनिस्टर कर दिये जायं तो कैसे समझ में आ सकता है। जो डायरेक्टर हैं वही बोर्ड के प्रेसीडेंट हैं और १५ मेम्बर्स उन्हीं के द्वारा नामिनेट होते हैं। वह अपने-अपने आदमी नामिनेट करके अपनी मेजारिटी बनाकर अपने घर में दफ्तर जमाये विराजमान हैं कुर्सी पर। ऐसे-ऐसे मेम्बर वहां रहते हैं कि जो राजनीति के लिये उन शिक्षा संस्थाओं का उपयोग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के कब्जे से इन संस्थाओं को निकाल कर आप उनका उपकार करें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक की परिधि को बढ़ाकर इसे प्रवर समिति में भेजने की कृपा की जाय और उस को अधिकार दिया जाय कि वह इसमें आधारभूत परिवर्तन करे और संशोधन लाये और इस विधेयक को ऐसा बनाये कि जिससे इस तरह की तमाम परेशानियां दूर हो जायं।

अध्यापकों के विषय में भी मैं इतना कहने में कोताही न करूंगा कि उनके एप्वाइंटमेंट और डिस्मिसल आदि के सम्बन्ध में भी सेक्योरिटी रहनी चाहिये और यह मैं जरूर कहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो लक्ष्य है वह सराहनीय है और मैं बहुत ही कृतज्ञ होऊंगा मंत्री जी का यदि वह जो उनके ग्रेड्स आदि में अन्तर है उसको दूर कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक की परिधि को बढ़ाने के संशोधन के साथ इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के संशोधन में यह संशोधन पेश कर रहा हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---आपको संशोधन पेश करने की इजाजत नहीं है आप भाषण दें।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---मैंने बड़े ध्यान से माननीय शिक्षा मंत्री के व्याख्यान को सुना। यों तो बहुत दिनों से इंतजार था इस बिल का और जब आंखें दुखने लगीं और जब निराशा सी हो गई और हमने सोचा कि अब सरकार की तरफ से कोई बिल आने वाला नहीं है तब जाकर कहीं माननीय मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लाये। जब मैंने इसके उद्देश्य को पढ़ा तो, बहुत महान् उद्देश्य इस में दिये हैं, लिखा है कि शिक्षा का सर्वतोमुखी विकास, उस से आगे पढ़ा तो उस में लिखा है कि शिक्षकगण की दशा का सुधार करना और उनके और प्रबन्धकों के मधुर सम्बन्धों की स्थापना करना और प्रबन्धकों को ऐसे अधिकार देना कि जिस से दक्षता के साथ वह उन संस्थाओं का संचालन कर सकें। इतने सुन्दर उद्देश्य इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखे हुये हैं। लेकिन जब मैंने आपका व्याख्यान सुना तो मुझे घोर निराशा हुई। आपने कहा कि एक दूसरा बिल आने वाला है। यह बिल अभी अधूरा है। पहली किस्त है। जैसे ही मैंने इस बात को सुना वैसे ही मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट के वह वाक्य मुझे याद आ गये जो उसने कमीशनों के बारे में लिखे हैं। कुछ कमीशन होते हैं जो प्रिलिमिनरी टु ऐक्शन कहलाते हैं और कुछ कमीशन ऐसे होते हैं जो आल्टरनेटिव टु ऐक्शन कहलाते हैं। हमारी समझ में यही आया कि आपका बिल ऐक्शन का प्रिलिमिनरी नहीं है, एक आल्टरनेटिव है। आप कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। बिल की मांग जनता और शिक्षक कर रहे हैं। इसलिए कोई न कोई बिल ले आना जरूरी है, इसलिए बिल ले आये हैं, वरना बिल में नयी बात क्या है? आपने स्वयं कबूल किया है कि बहुत से अधिकार इसमें पहले अध्यापकों को प्राप्त हो चुके हैं। फिर उनको आप क्यों दोहराना चाहते हैं? आपने उत्तर दिया कि उनको कानूनी अधिकार नहीं मिला हुआ था। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि टीचर्स का ऐग्रीमेंट एक कंट्रैक्ट है। कंट्रैक्ट की महत्ता इस कानून से कम नहीं होती। ऐजूकेशन ऐक्ट, मैं जानता हूं कि कोई अधिनियम या विधेयक नहीं है, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि जो प्रबन्धक समितियां बनी हुई हैं वे कोआपरेटिव ऐक्ट से रजिस्टर्ड हैं। वह आल इंडिया ऐक्ट है और आप का ऐक्ट प्रदेशीय ऐक्ट, प्रान्तीय ऐक्ट होगा। प्रदेशीय ऐक्ट से अगर आप आल इंडिया ऐक्ट को बदलना चाहें तो छोटी सी अदालत आपके ऐक्ट को गैर कानूनी करार दे देगी। इसलिए किसी कंट्रैक्ट में अगर आप किसी अधिनियम के द्वारा परिवर्तन करना चाहते हैं तो मेरा निश्चित मत है कि यह विधेयक बिलकुल बेकार है। आपको हमेशा दो अधिकारों का प्रयोग करना पड़ेगा। संस्था की मान्यता को छीन लें या संस्था की ग्रांट को बन्द कर दें या संस्था में संचालक नियुक्त कर दें। इसके अलावा इस विधेयक का कोई प्रयोग नहीं है।

एक बात और मंत्री जी ने कही जो मेरी समझ में नहीं आयी। आपने बताया कि अध्यापकों के जो मौलिक प्रश्न हैं, जैसे उनका वेतन, इसकी बात इस बिल के अन्दर इसलिए नहीं दी गयी है कि बाद को इस पर हम गौर करेंगे। जहां तक मैंने बिल को पढ़ा तो देखा कि यह बात तो सच्ची नहीं है। १६(जी) को देखिए। उसमें स्केल आफ पे, ट्रांस्फर इन सब चीजों का जिक्र आपने कर दिया है। फर्क क्या है? यह आपने टाल दिया है कि रेगुलेशन के अन्दर बोर्ड बनेगा। बोर्ड हमारे स्केल आफ पे को तय करेगा। बोर्ड हमारे ट्रांस्फर के बारे में अधिनियम बनायेगा और आप नहीं बनायेंगे। अगर आपने उस नियम को न रखा होता तब भी हमारी समझ में कोई खास फर्क न होता। लेकिन जब आपने जिक्र कर ही दिया, तो फर्क क्या रहा? फर्क सिर्फ यह रहा कि जिसको अधिकार प्राप्त हैं कि उसीको हम ऐसे अधिकार दे दें और सोचें कि टीचर्स का स्केल ज्यादा हो जाय। जिसके पास रुपया है कि उसका वेतन बढ़ा सके, प्राविडेंट फंड दे सके, पेंशन की स्कीम बना सके जैसा कि मुदालियर

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

कमेटी ने सिफारिश की है, वह कहता है कि हम नहीं करेंगे। ऐक्ट के अन्दर इंटरमीडिएट बोर्ड को अधिकार दे रहे हैं इन विषयों में चाहे तो रेगुलेशन बना दे। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

एक बात और, पूरा का पूरा ऐक्ट नियम १६ का सुधार है। नियम १६ जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक विचित्र बात मालूम हुई। नियम १६ स्वयं कहता है कि नियम १५ के अनुसार रेगुलेशन बनाये जायेंगे। आप पूरा का पूरा कानून सेक्शन १६ के अन्दर ले आ रहे हैं। कानून का अर्थ मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह पूरा का पूरा ऐक्ट अल्टरावायरिस हो जायगा, क्योंकि यह १६ का संशोधन नहीं हो सकता। इस तरह का आपको नियम बनाना है तो ढूंढिये इसमें कोई सेक्शन। या १६ का अगर आप अधिनियम बना करके संशोधन पेश करते हैं तो यों तो मंत्री जी की विद्वता का मैं प्रश्न नहीं करता लेकिन टीचर होने के नाते डरता जरूर हूं कि पूरे का पूरा कानून गैरकानूनी हो जायगा। इसलिये जो आप करना चाहते हैं वह भी नहीं कर सकेंगे। अब मैं अध्यापकों की बात अधिक नहीं करूंगा इसलिए कि पहले ही सुन चुका कि हमारी मांगों से आप सहमत हैं, तन्ख्वाह भी देना चाहते हैं, लेकिन दो कठिनाइयां हैं। एक तो विचार करने के लिये कुछ वक्त चाहिये, दूसरे कहां से रुपया आये। इसकी शिकायत आपने नहीं की, शायद दिल के अन्दर शिकायत हो जरूर कि सरकार रुपये का प्रबन्ध कैसे करे? मैं अध्यापकों की तरफ़ से खड़ा हो कर अपनी मांगें आपके सामने नहीं पेश करता हूं, मैं तो अभी-अभी ३-४ वर्ष पहले दो कमीशन्स, जिन्हें आप ने ही एप्वाइन्ट किया था, एक आचार्य नरेन्द्रदेव जी की अध्यक्षता में और दूसरा मुदालियर कमीशन केन्द्रीय सरकार ने कायम किया था, देख चुका हूं। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी के बारे में मैं पहले ही से कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि सरकार का रुख उसके बारे में मुझे मालूम है, उस कमेटी की रिपोर्ट क्या कार्यान्वित होगी यह आप स्वयं सोच सकते हैं। जब उसकी एक वाल्यूम, एक प्रति हमारी स्टेट लाइब्रेरी में खरीद कर रखी गई है, जो शायद एक आध सदस्य को तो भले ही मिल जाती हो लेकिन दूसरे को नहीं मिल सकती। जिस कमेटी की रिपोर्ट की आवश्यकता सरकार इतनी ही समझे कि उसकी एक ही प्रति लाइब्रेरी में हो, जब कि मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट एक दर्जन खरीदी गई, तो आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की क्या आप बात मानेंगे? यह संकेत मैंने किया।

अब मैं मुदालियर कमीशन की तरफ़ आ रहा हूं। उसमें जितने भी मेम्बर हैं वे सरकारी पदाधिकारी हैं, वे सरकार की आमदनी और खर्च को जानते रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसके बारे में शिक्षा मंत्री जी को यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि यह अनधिकार चेष्टा है। उन्होंने आपकी इन्कम को देख करके तथा सारे हिन्दुस्तान का दौरा करके रिपोर्ट पेश की है। उसमें ५-६ डायरेक्टर्स रहे, २, ३ सचिव रहे तो वह रिपोर्ट तो आपको माननी चाहिये। एक बात जरूर है कि मुदालियर कमीशन के सदस्यों को शंका थी कि हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट उसी तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाय जैसे और कमीशनों की रिपोर्ट फेंकी जाती हैं, इसलिये उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने अपनी सिफारिशों को इस ढंग से और इतना कम करके लिखा है कि सरकार को उसको मानने में कोई अधिक संकोच न हो। उन्होंने स्वयं लिखा है कि पुराने जमाने की बात दूसरी थी जब सरकार विदेशी होती थी, लेकिन अब तो राष्ट्रीय सरकार है इसलिये इसको मानने में कोई संकोच न हो कि वह उसे कार्यान्वित करेगी।

श्री उपाध्यक्ष--आप अपना भाषण समाप्त करें, इसे दूसरे दिन जारी रखियेगा।

लखनऊ जेल में बन्दियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष--अब माननीय राम स्वरूप वर्मा जी के निम्नलिखित कामरोको प्रस्ताव पर विचार होगा।

"गत ३० नवम्बर, सन् १९५७ को लखनऊ जल में बुरी तरह लाठी चार्ज हुआ,

सर्वश्री, रामसागर मिश्र, कृष्णनाथ शर्मा, कृष्णपाल सिंह, अंगनू प्रसाद, नीलकंठ, राम प्रसाद, महादेव, महावीर, बाबूलाल, रामसागर वर्मा, श्यामानन्द, रामबढ़ाई, राम अवध तथा अन्य बन्दियों को लाठी, घूंसा, डंडा से मार-मार कर जबरदस्ती उठाकर उन्हें बैरकों में फेंका गया। कौन कहां रहता है बिना इसका खयाल किये हुये मनमाने ढंग पर बन्द करके सामान लूट लिया गया। यह उपर्युक्त कार्य जिस निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा बर्बर ढंग पर किया गया उसने जनतांत्रिक व्यवस्था की जड़ को झकझोर कर हिला दिया है जिससे प्रदेश का प्रत्येक शोषित, पीड़ित कम्पायमान हो गया है।

अतः यह सदन उपर्युक्त विषम तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

*श्री अवधेशप्रताप सिंह--मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, मान्यवर। मुझे आपसे निवेदन करना है और चाहूंगा कि आप कृपया व्यवस्था दे दें कि माननीय राजनारायण जी इस भवन से सस्पेंड किये गये हैं परन्तु जहां तक दर्शक के रूप में, दर्शक गैलरी या स्पीकर्स गैलरी में आने का सवाल है उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां तक हाउस का डेफिनीशन है वह महज यहां तक सीमित है वरना जो और दर्शकगण आते हैं, यदि वह भी हाउस माना जाय तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वह गैलरी में प्रवेश कर सकें। अतः श्रीमन्, यह बहुत सीधी सी बात है, एक महज कामनसेंस की बात है, इसमें मैं कोई कानूनी अड़चन भी नहीं देखता, आप यह भूल जायं कि माननीय राजनारायण जी को आपने सस्पेंड किया है। फर्ज कीजिए कि वह मेम्बर नहीं हैं, एक इंडिविजुअल की हैसियत से तो उनको किसी तरह से नहीं रोका जा सकता। यह तो एक मौलिक अधिकार है किसी भी नागरिक का। इसलिये यदि आप आज्ञा दें तो वह इस सदन की प्रोसीडिंग्स को वाच कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष के सामने उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र दिया है और उनको जवाब मिल गया उसका। उस सम्बन्ध में हमारे अधिकार जो हैं कांस्टीट्यूशन की धारा १९४ के मुताबिक, वही हैं, जो कि हाउस आफ कामन्स के हैं। अगर आप विस्तृत जानना चाहते हों तो मैं उसको पढ़ के सुना दूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--श्रीमन्, एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं ताकि आपको उसमें भी सुविधा हो। यह अगर रूलिंग हो भी इस प्रकार, तो आपको यह पूर्ण अधिकार है कि उसको रिवाइज कर सकें और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस लाइट में उसको आप देखें। मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में एक चीज हो सकती है, लेकिन श्रीमन्, इन सर्कम्स्टांसेज में जो कि मौजूदा हैं, यह कोई ऐसा प्रिविलेज का सवाल नहीं है। वह कोई एम० एल० ए० की हैसियत से नहीं आ रहे हैं, महज एक इंडिविजुअल की हैसियत से वह गैलरी में आना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--चूंकि यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है तो ऐसी हालत में अभी उसके रिवीजन का भी सवाल नहीं उठ सकता। मैं विवश हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ३० तारीख को जो जेल में कांड हुआ उसके सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि निवेदन कर दूं ताकि माननीय सदन के सदस्यों को इसमें विचार करने की सुविधा रहे और वे सब बातों को अच्छी तरह से समझ सकें।

२ नवम्बर को डाक्टर लोहिया को गिरफ्तार किया गया और जैसे ही वह जेल में पहुंचे उन्होंने बताया कि वह हृदय की बीमारी से पीड़ित हैं। इसके बाद श्रीमन्, १८ नवम्बर तक उनके सम्बन्ध में कोई किसी किस्म की मेजिस्टीरियल कार्यवाही नहीं हुई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

१८ तारीख को चार्जशीट दी गई और २३ को फिर वह वहां पर गए लेकिन उन्होंने कोई डाक्टर साहब को सूचना वगैरह नहीं दी। २८ नवम्बर को रिट पेटीशन दाखिल हुई जिसको २९ नवम्बर को स्वीकार कर लिया गया विचारार्थ।

श्रीमन्, इसी सिलसिले में एक बात और कहूंगा कि डाक्टर साहब से मिलने के लिए कतई इजाजत नहीं रही और जैसा कि सदन को विदित भी हो चुका है कि कृपलानी जी, पी० वी० जी० राजू और उनके तमाम लीगल ऐडवाइजर्स, किसी को उनसे बैरक में मिलने नहीं दिया गया। जब कि वह हृदय के मरीज थे, उनका चलना-फिरना ठीक नहीं था, तब भी, इसके बावजूद भी, उनसे किसी को बैरक में मिलने नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में श्रीमन्, डाक्टर साहब के लीगल ऐडवाइजर्स उनसे मुलाकात नहीं कर सके और जब ३० तारीख को फिर मैजिस्ट्रेट का आदेश आया अदालत में हाजिर होने का जेल के कम्पाउंड के अन्दर ही तो डाक्टर साहब ने लिखकर बता दिया कि वहां जाने की जरूरत इसलिये नहीं है---चार कारण उसके उन्होंने बताये---एक तो यह कि उनके जो लीगल ऐडवाइजर्स थे उनको मुलाकात नहीं करने दिया गया और कोई उस सम्बन्ध में उन्हें सूचना नहीं मिली। दूसरी बात यह कि उनका मुकदमा हाईकोर्ट में आलरेडी पहुंच चुका था जिसकी सूचना एडवोकेट जनरल को चारो पार्टीज की तरफ से दी गई थी, और तीसरी बात उन्होंने यह कही कि इस मैजिस्ट्रेट पर उनको विश्वास नहीं है और इस बात की लिखित शिकायत हाईकोर्ट को उन्होंने भेज दी थी। चौथी बात यह है कि मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार नहीं था कि वह उस मुकदमे की सुनवाई कर सके। इसके साथ ही साथ डाक्टर साहब ने इस बात को कहा कि आपको फैसला करने का हक है, आप फैसला करें, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। श्रीमन्, मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि क्या इंडियन पेनल कोड में ऐसी कोई व्यवस्था है.....

श्री उपाध्यक्ष---आप यह बतलायें कि क्या घटना घटी। कोर्ट को क्या करना चाहिये या नहीं करना चाहिये, इसके सम्बन्ध में मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---इसी के कारण तो लाठी चार्ज की नौबत आयी। कोर्ट के सामने. . . . .

श्री उपाध्यक्ष---आप केवल यह बतलायें क्या घटना घटी। १५ मिनट का समय है उसी के अन्दर आपको सब बतलाना है। मैंने स्पष्ट आपसे कह दिया कि कोर्ट को क्या करना चाहिये इस पर विवाद नहीं हो सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---यह स्पष्ट बात थी। किसी जगह किसी कानून में नहीं लिखा है कि अभियुक्त को जबरदस्ती पकड़ कर कोर्ट के सामने लाया जाय। क्या यह अदालत का तरीका होता है ?

श्री उपाध्यक्ष---अदालत ने क्या किया इसका जिक्र आप नहीं कर सकते, सूचना के तौर पर कुछ संक्षेप में बतला सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---वही तो मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---वही-वही कह कर बार-बार आप वही बात कहते हैं। फैक्ट्स आप बयान कर सकते हैं, लेकिन अदालत को क्या करना चाहिये था यह आप नहीं कह सकते।

श्री रामस्वरूप वर्मा---उसके बाद जैसे ही मैजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया जेल अधिकारी १०० के करीब, जिसमें जेल वार्डर, कंविक्ट वार्डर, कंविक्ट आर्डरली और जेल के कैदी सम्मिलित थे बैरक में घुस गये जिसमें डाक्टर साहब और ६५ सत्याग्रही बन्द थे। श्रीमन्, मुझे यह बताते हुए बड़ा खेद होता है कि जब उन कैदियों ने, जो सोशलिस्ट पार्टी के थे, यह कहा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि उनको अदालत के सामने ल जाया जाय, तो इस पर श्रीमन्,

उनकी एक दम से मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में बुरी तरह से लाठियां, डंडे, थप्पड़ वगैरह को इस्तेमाल किया गया और फिर उनको मार कर बैरक में फेंक दिया गया। इतनी गुंडागर्दी की गई। २१ आदमियों के तो बहुत गजब की चोटें आई, जिनको सिविल सर्जन और असिस्टेंट सिविल सर्जन ने मौके पर जा कर देखा। इस तरह का अत्याचार किया गया। यह मानवोचित बात है कि जब कोई बन्धन में होता है तो उस पर इस प्रकार की मारपीट करना अन्याय होता है। दानवीय और राक्षसीय मनोवृत्ति रखने वाली सरकारें इस तरह की बातें करती हैं कि अपने बन्द किये हुए आदमियों को पीटें और इस तरह का भयंकर अत्याचार करें। यह राक्षसीय और पैशाचिक सरकार का कारागार है। इससे क्या सिद्ध होता है? उसमें एक कैदी कृष्णनाथ शर्मा थे। उनको नंगा कर दिया गया और मारते-मारते उन्हें बेदम कर दिया गया और रातों रात उन्हें रायबरेली भेज दिया गया। २ दिसम्बर को, श्रीमन्, उनका सामान भेजा गया। यह इस सरकार की नीचता, मदान्धता और बर्बरतापूर्ण कार्य है जो इतिहास में अपना सानी नहीं रखता। जहां-जहां इस कांड की खबर पहुंची है, सभी जगह डर छाया हुआ है कि आज यह जनतंत्रीय सरकार का कारागार है या शैतान का कारागार है। जनतंत्रीय कारागार में निरीह कैदी, जो सरकार के बंधन में हों, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार? श्रीमन्, इतना ही नहीं, आज निरीह, कराहती, शोषित और पीड़ित जनता के एक मात्र प्राण, विश्व के मानवों में सर्वश्रेष्ठ मानव और पूंजीवादी और तानाशाही शोषण के अन्धकार में एक मात्र प्रकाश प्रदान करने वाले डाक्टर लोहिया को भी घसीटा गया। जब इस मामले का पता लगा और इस सदन के माननीय सदस्य राजनारायण जी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी और यह कहा कि इस तरह का बर्बर व्यवहार इस मदान्ध सरकार ने किया है और वहां के कैदियों को बुरी तरह से पीटा गया है और सामान छीन लिया गया है और अगल-अलग कैदियों को सेल्स में बन्द कर दिया गया है तो हाईकोर्ट की इजाजत पर इस मसले पर सरकारी जांच हुई और उस जांच में डाक्टरों ने जो रिपोर्ट दी वह सामने है। वह मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने रख देना चाहता हूं।

इस भीषण मार-पीट में और गड़बड़ी में श्रीमन्, जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वह २१ आदमियों के मारमीट की है। उनमें से १६ आदमियों को ब्लंट वेपन, यानी लाठी या डंडे की चोटें हैं और सबके घसीटने और चोट के निशान हैं और डंडे की चोटें हैं जो ५ इंच से ३ इंच तक की हैं। मिसाल के तौर पर--मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहता--महाबीर के ढाई इंच की चोट है और नीलकंठ के ३ इंच की चोट डंडे की है। रामबड़ाई के ढाई इंच की चोट और एक डेढ़ इंच की चोट है। इसी प्रकार बाबूलाल के ढाई इंच और डेढ़ इंच की चोट है। राम सागर के तीन और ढाई इंच की चोट है। रामसागर मिश्र के ४ चोट हैं--एक दो इंच और एक एक इंच की, एक ३ इंच की, एक डेढ़ इंच की और एक ५ इंच और ३ इंच की है। इसी प्रकार श्रीमन्, डाक्टर राममनोहर लोहिया की उंगली में मुघरी चोट का नीला निशान है, वह घसीटने का निशान है।

श्रीमन्, मैं बहुत अदब से माननीय सदस्यों से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि क्या यह किसी जनतंत्रीय सरकार का काम है? श्रीमन्, इस सरकार का चाहे न्याय हो और चाहे इल्जाम हो, सब में एक ही पिशाची रूप है और साथ ही साथ वह भेड़िये का न्याय है कि चाहे बकरी की कितनी ही तर्कपूर्ण बात हो वह उसको खा ही जायगा। श्रीमन्, जब ये घटनाएं घटीं और हाईकोर्ट में यह बात आ गयी और डाक्टरी रिपोर्ट लग गयी और ९ तारीख को पेश की गयी तो मुख्य मंत्री ने सफ़ेद झूठ बोला।

श्री उपाध्यक्ष--यह 'सफ़ेद झूठ' शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। यह आप कह सकते हैं कि सूचना गलत दी या निराधार थी, लेकिन सफ़ेद झूठ बोलने की बात नहीं कह सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--गलत बात के लिए ही मैंने सफेद झठ कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—आप यह शब्द नहीं कह सकते हैं, गलत बात थी यह कह सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—उसी से मेरा मतलब है। तो जिस समय हाईकोर्ट तक बात पहुंच चुकी हो, उसी सरकार के डाक्टर जाकर जांच कर आये हों कि २१-२१ आदमियों के चोट आई हैं और यहां यह कह देना कि घटना का पता नहीं है, यह इस बर्बर सरकार की मदान्धता का सबूत है। तो गलत बात उन्होंने कही श्रीमन्, इस प्रकार की बात कह कर और श्रीमन्, इस झूठ में, जिसमें हाई कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है और सरकार के ही डाक्टर्स जा कर जांच कर आये हैं, २१ आदमियों के चोटें आयी हैं और फिर भी कह दिया जाय कि उन्हें घटना का पता नहीं है, यह बर्बर सरकार की मदांधता का जीता-जागता नमूना है। लोगों पर अत्याचार हो रहा है और यह मदांध सरकार उसको देखना तक पसन्द नहीं करती है और उल्टे इशारा करती है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अभी थोड़ा समय हमें मिल जाय क्योंकि बहुत सा समय हमारा प्वाइंट आफ आर्डर में निकल गया। सरकार का यह भी कर्त्तव्य था कि वह इसको देखती। यदि सरकार के इशारे पर वहां लाठी चार्ज नहीं हुआ था, यह पैशाचिक काम नहीं हुआ और जेल के अधिकारियों के इशारे पर दूसरे कैदियों को उनके ऊपर सांप की तरह छोड़ दिया गया, तो यह किसकी जिम्मेदारी है? अगर सरकार की गैर जानकारी रही इन बातो से तो यह सरकार की मदान्धता का सबूत है। इतने बड़े कांड के बाद कि जेल में इतना श्रेष्ठ मानव बंद कर घसीटा गया और सरकार को सूचना तक नहीं हुई, जेल के उन लोगों के साथ जिन्होंने उनको पीटा सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री उपाध्यक्ष—अब आप का समय समाप्त हो गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय और मिल जाय।

श्री उपाध्यक्ष—बाद में आपको मौक़ा मिलेगा। यह प्रस्ताव ऐसा है कि इस पर बोलने के लिये काफी लोग इच्छुक हैं। इसलिये समय की सीमा यदि आप बांध लें तो अच्छा हो। यों तो १५ मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोल सकता है।

श्री गौरीशंकर राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पार्टीज के नेताओं को दस मिनट और अन्य साधारण लोगों को सात मिनट का समय मिले तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह ठीक रहेगा।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम स्वरूप जी वर्मा ने बड़े-बड़े ऊंचे शब्दों में कुछ बातें रखने की कोशिश की लेकिन कोई ऐसी बात वह नहीं रख सके जिससे मालूम हो कि कोई विषम स्थिति पैदा हो गई है या उसका कोई असर पब्लिक पर है। (आवाजें है, है) यह तो आप ही कहते हैं कि पब्लिक पर बहुत असर है।

श्री उपाध्यक्ष—आपस में आप लोग बातें न करें क्योंकि समय बहुत थोड़ा है।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—३० नवम्बर को डाक्टर लोहिया जेल में एक अंडर ट्रायल प्रिजनर थे और उनका मुकदमा उस तारीख को पेश होना था। जब तक मैजिस्ट्रेट के सामने जो मुलजिम मौजूद है, वह लाया नहीं जाता है, तब तक उसका मुकदमा पेश नहीं हो सकता है। यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इम्परेटिव प्रावीजन है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप घटना के सम्बन्ध में ही बोलें। मैंने उनको भी रोका था और मैं आप को भी रोकता हूं। आप केवल यह बतलायें कि उनको लाया गया या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—उसी सम्बन्ध में कह रहा हूं, श्रीमन्। इसलिये उनका वहां लाया जाना बहुत जरूरी था और उनसे अदालत में चलने के लिये प्रार्थना की गई। जेल में अदालत बैरक के पास ही रखी गयी थी लेकिन डाक्टर लोहिया ने चलने से इन्कार किया तो मिनीमम फोर्स इस्तेमाल करने का जो कायदा है, वह किया गया और कुर्सी पर बिठाकर उनको अदालत के सामने पेश किया गया। (शेम शेम की आवाजें) यह कार्य जब तक डाक्टर लोहिया न जायं अदालत नहीं कर सकती थी। डाक्टर लोहिया जी एक स्वतंत्र पार्टी को बिलांग करते हैं और वह पार्लियामेंटरी पद्धति में विश्वास करते हैं और उस पार्टी को बिलांग करते हैं जो समझती है कि ला ऐण्ड आर्डर कोई चीज है। इसलिये उनको स्वयं वहां जाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—आप विषयांतर कर रहे हैं। घटना क्या हुई उसको बतलायें।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—श्रीमन्, मैं उसी चीज को अर्ज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बार-बार यही कहते हैं कि मैं वही अर्ज कर रहा हूं लेकिन कहते कुछ और ही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—श्रीमन्, जब डाक्टर लोहिया वहां लाये जा रहे थे तो कु अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स, जो कि वहां पर मौजूद थे, उनकी पार्टी के थे, वे जेल की दीवारों को कूद कर के वहां पर आये और डाक्टर लोहिया को लाने से रोका।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि वे अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स थे। उसमें कोई भी अन्डर ट्रायल प्रिजनर नहीं था। यह मिसस्टेटमेंट आफ़ फ़ैक्ट्स है।

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह आप सूचना दे सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—मुझे अफसोस है कि मैंने अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स कहा, वे लोग कन्विक्ट्स थे और उनके हटाने में कुछ आदमियों को चोटें जरूर आयी हैं लेकिन कोई लाठी चार्ज वहां पर नहीं हुआ। इसके बाद डाक्टर लोहिया वहां पर उपस्थित हुए और जिस तरह से ट्रायल शुरू होना चाहिये था उस तरह से हुआ और कोई ऐसी विषम परिस्थिति पैदा नहीं हुई और न कोई ऐसा कार्य किया गया जो गैरकानूनी था और न उनके कोई चोट आयी। दरअस्ल यह सोचने की जरूरत है कि जब कानून का राज्य है तो उसका पालन तो किया ही जायगा। जैसा कि कहा गया है कि मुहम्मद पहाड़ के पास नहीं आते तो पहाड़ मुहम्मद के पास जायगा, ऐसी हालत में उनको वहां पर लाया गया और उनका ट्रायल किया गया। इसमें कोई विषम परिस्थिति नहीं पैदा हुई और जो कार्यवाही की गयी वह कानून के माफ़िक हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बहुत दुःख और लज्जा अनुभव करता हूं कि देश की स्वाधीनता के दस वर्ष के बाद जनतंत्र सरकार के राज्य में इस प्रकार की घटना घटे जिसके सम्बन्ध में यह कामरोको प्रस्ताव आया है। और जब अभी माननीय हरिश्चन्द्र सिंह अपनी बात कहने के लिये उठे तो मैं यह आशा करता था कि जो न्यायाधीश स्वयं रह चुके हैं उनके मुंह से कुछ न्याय की बात सुनायी देगी। लेकिन उनक भाषण को सुन कर यह कहने के लिये वे क्षमा करेंगे, मुझे बड़ी निराशा हुई।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो मसला है वह केवल यह है कि जिन कारणों से पहले यह घटना घटी, लाठी चार्ज हुआ या चोटें आयीं बिना लाठी चार्ज के, शायद यह प्यार में तेल मालिश की गयी हो उसकी वजह से चोटें आयी हों। यह क्यों हुआ इसका लम्बा कारण बताते हुये स्वयं माननीय हरिश्चन्द्र सिंह जी ने यह कहा कि चूंकि डाक्टर लोहिया को जबर्दस्ती कुर्सी पर बिठा कर अदालत में लाया गया इसलिये उत्तेजना फैली और उसको दबाने के लिये जेल के अधिकारियों की तरफ़ से यह मारपीट की गयी। स्वयं माननीय हरिश्चन्द्र सिंह जी ने एक सवाल उठाया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह जरूरी है कि मुल्जिम को अदालत में हाजिर होना चाहिये। मैं मानता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक बात माननीय हरिश्चन्द्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं और वह नहीं बता सकेंगे, इसलिये सरकारी पक्ष से पूछना चाहता हूं और वह यह है कि वह किसी भी कानून में यह दिखा दें कि अगर मुलजिम अदालत में आने से इन्कार करता है तो उसके लिये क्या सजा है? क्या इसको जुर्म करार दिया गया है? इसको जुर्म नहीं माना गया है किसी कानून में, क्योंकि अगर जुर्म माना जाता तो हर जुर्म की सजा कानून में होती है, इसकी भी सजा दी होती। मैं इसके लिये उनको चुनौती देता हूं कि वह इस जुर्म की सजा किसी भी कानून में दिखा दें, कि जिसमें इसके लिये मुलजिम को सजा दी जा सकती हो। और जब इसके लिये दंड का विधान नहीं है तो जबरदस्ती. . .

श्री हरिश्चन्द्र सिंह—इसके लिये शब्द हैं: "ही शैल बी प्रोड्यूस्ड"। उसके बिना ट्रायल हो ही नहीं सकता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—"शैल बी प्रोड्यूस्ड" तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वह नहीं आता है तो क्या उसके लिये कोई सजा तजवीज है? इसका न तो जवाब है और न हो ही सकता है।

दूसरी बात मुझे इस सिलसिले में यह कहना है कि खास तौर पर उस हालत में जब मुलजिम यह कहता हो, लिख कर अदालत को यह देता है, हाईकोर्ट के पास यह लिख कर भेजता है कि मैं अदालत की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहता हूं, अदालत मेरी गैरहाजिरी में फैसला कर दे, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह काफी हो गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—चूंकि उन्होंने प्वाइंट उठाया था इसलिये उसका प्रतिरोध आवश्यक था ताकि उसका गलत असर जनता पर और सदन पर न पड़े।

अब मैं मुख्य विषय की ओर आता हूं। माननीय हरिश्चन्द्र सिंह जी स्वयं लाठी चार्ज शब्द से भागते हैं लेकिन यह मानते हैं कि उन्हें हटाने के लिये बलप्रयोग किया गया था और उसके फलस्वरूप लोगों को चोटें आईं। चोटों के सिलसिले में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरी फेहरिस्त है डाक्टरों की जांच की और उसमें काफी लम्बी चोटें हैं। इस फेहरिस्त में करीब-करीब २०साथियों के नाम हैं, जिनको चोटें लगी थीं। तो इन बीस आदमियों को चोटें किस प्यार और अहिंसा के आधार पर हो सकती हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं। चूंकि समय कम है इसलिये मैं उन नामों को पढ़ कर नहीं सुनाता हूं, लेकिन यह बात भी ध्यान देने की है कि पहली मर्तबा लाठी चार्ज हुआ और जो मारपीट हुई उससे संतोष नहीं हुआ। उसके आधे घंटे बाद और ज्यादा लोगों को लेकर दुबारा फिर मारपीट की गई और जिन लोगों के साथ मारपीट की गई उनको अस्पताल भी नहीं भेजा गया और यह अमानुषिक व्यवहार किया गया जो संसार की किसी सभ्य सरकार में नहीं होता है। इससे आगे बढ़ कर, जैसा कि बताया गया, हमारे रामस्वरूप जी ने बताया, कि एक सत्याग्रही को वहां से दूसरे जेल के लिये रवाना कर दिया गया, क्योंकि उसको चोटें आई थीं और वह भी उसको नंगा करके ताकि वह बयान न दे सके, उसकी चोटों का पता न लग सके, वह कोई कार्यवाही न कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कहा जायगा तो उधर से जवाब होगा कि अगर जेल का अनुशासन भंग होगा तो ला-ऐण्ड आर्डर तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात की आप को याद दिलाना चाहता हूं, आप के द्वारा मंत्रिमंडल में उधर बैठे हुए अपने साथियों को। उनको याद होगा कि हम भी बहुत सत्याग्रह करते थे, पुरानी बात हो गई है, शायद भूल गये हों, इसलिये मैं याद दिलाना चाहता हूं। हम भी अंग्रेजी राज्य में जेल के अनुशासन को भंग करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमने अंग्रेजी राज्य में, जिसे हम बहुत बुरा कहते थे, इस प्रकार का अमानुषिक और बर्बरतापूर्ण व्यवहार होते कभी नहीं देखा। मुझे खुद याद है सन् ३२ में हम फैजाबाद जेल में थे तो हमने नो लाकअप डिक्लेयर किया। हमने निश्चय किया कि हम बैरकों में बन्द नहीं होंगे। जेल मैनुअल के मुताबिक नो लाकअप सब से बड़ा अपराध है। उस समय हम लोग रात को एक बजे तक लाकअप में नहीं बन्द हुये, लेकिन हमारे ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ। अंग्रेजी राज्य के जमाने के जेल सुपरिंटेंडेंट ने हम लोगों को ४, ४ और ६, ६ नम्बरदारों से उठवा कर रात को एक बजे बैरकों में बन्द किया। उसके शब्द यह थे कि "Gentlemen, I request you, go inside your barracks" हमने कहा कि हम नहीं जायंगे। तब भी उन्होंने यह व्यवहार नहीं किया। उस व्यवहार से तुलना की जाय इस सन् १९५७ के व्यवहार के साथ जो इन लोगों के साथ किया गया।

मैं केवल एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९३७ में जब कांग्रेसी मन्त्रिमंडल बनाया गया तब राष्ट्रपिता बापू, जिनके नाम पर हम सब वोट मांगते हैं, जिनकी तस्वीर हम सब जगह अपने सामने रखते हैं, उन्होंने यह कहा था कि कांग्रेसी मन्त्रिमंडल को पुलिस से काम नहीं लेना चाहिये। अहिंसा से काम लेना चाहिये। यह २० वर्ष पहले की बात है जिसको ये लोग आज भूल गये हैं। यह हमारे लिये शर्म की बात है कि २० वर्ष बाद सन् १९५७ में हम हिंसा से काम लेते हैं और वह भी अपने साथियों के साथ। आश्चर्य की बात और भी है। विदेशों में हम शान्ति की बातें कहते हैं। वहां अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और पंचशील का पाठ पढ़ाते हैं। पुर्तगाल के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले में तो आपकी सहिष्णुता भगवान विष्णु को भी मात करती है. कि भगवान ने लात मार दी तो कहीं उनकी लात के चोट तो नहीं आयी, लेकिन अपने देश में अपने साथियों के साथ, अपने साथी सत्याग्रहियों के साथ, हिंसा और बर्बरता का व्यवहार करते हैं। मैं यह मानता हूं कि अगर हम कोई कानून भंग करें, मैं उन लोगों में से हूं और आपको अपनी ओर से पूरा अधिकार देता हूं और मुझे आप के इस अधिकार को स्वीकार करने में खुशी होगी कि कानून से, न्याय से जो आप बहुत बड़ा दण्ड दे सकते हों वह मुझे दीजिये। यदि मैं सत्याग्रह करता हूं तो उसके लिये दंड पाना मेरा कर्त्तव्य है। अंग्रेजी राज्य के जमाने में मैंने मैजिस्ट्रेट से शिकायत की कि जो भी सजा कानून के मुताबिक दी जा सकती है, वह ज्यादा से ज्यादा आप मुझे दें। मैंने तब कहा था और आज भी कहता हूं और मुझे इन्कार नहीं है। यदि मैं सत्याग्रह करता हूं तो सजा से नहीं डरता हूं। लेकिन इस बात से जरूर एतराज है कि आप अमानुषिक और बर्बरता का व्यवहार अपने साथियों के साथ करें। यह बिलकुल एतराज की बात है। यह निन्दनीय बात है, यह शर्म की बात है।

यहां हमें यह याद रखना चाहिये कि जब हम इस तरह का व्यवहार करते हैं तो किस तरह से हमारा काम चल सकता है। प्रजातंत्र एक दल से नहीं चलता है। प्रजातन्त्र के लिये यह आवश्यक है कि कम से सत्ताधारी दल ऐसी परिस्थिति पैदा न करे, विरोधीदल और जनता को इस बात के लिये विवश न करे कि वह सत्याग्रह करे या खूनी क्रान्ति करने के लिये मजबूर हो शासन की ज्यादतियों से और शासन के जुल्मों से मजबूर हो कर। अगर सत्ताधारी दल की तरफ से इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है तो संसार में कोई शक्ति और संसार में कोई नियम और संसार का कोई सिद्धान्त जनता को और दूसरे लोगों को खूनी क्रान्ति करने से नहीं रोक सकता। वह अनिवार्य हो जाती है। इस बात को सन्त विनोबा भी मानते हैं कि ऐसी हालत में खूनी क्रान्ति अनिवार्य होगी। मुझे दुख है कि आज यहां पर मुख्य मंत्री नहीं हैं लेकिन माननीय गृह मंत्री यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे साफ-साफ दो बातें कहना

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

चाहता हूं और वह यह कि कम से कम उनके राज्य में इस तरह की घटनाओं का होना बन्द होना चाहिये। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिये। अगर आप यह कहते हैं कि आपका शासन इतना बुरा है और इस तरह के अमानुषिक और बर्बरता के कार्यों के बिना शासन चल नहीं सकता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ईश्वर के लिये इस्तीफा दीजिये और यह काम दूसरे को दीजिये।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कामरोको प्रस्ताव पेश किया है हम लोग भी, खुद मैं, सन् ४२ में लाठी चार्ज हुआ था उसमें लाठी खाये हूं। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि जब डाक्टर लोहिया ने लिख कर दे दिया कि मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता हूं और वे जबरदस्ती ले जाये गये, इसमें लीगैलिटी है या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कानून नहीं पढ़ा हूं। लेकिन जो कुछ मेरी बुद्धि में आता है वह यह है कि जब कोर्ट के सामने किसी को बुलाया जाय तो अनिवार्य हो जाता है कि उसे अदालत में जाना चाहिये। हम भले ही बड़े आदमी हों लेकिन प्रजातंत्र में हमें कानून और उसूल को मानना ही चाहिये। हनुमान जी बड़े शक्तिशाली थे लेकिन जब नागपाश डाला गया तो उन्होंने नहीं तोड़ा और अपने को उसमें डाले रखा। हमने सुना है कि लोहिया जी जबरदस्ती लाये गये और २० आदमियों को चोटें लगीं और बड़ा अत्याचार हुआ। कोई भी आदमी जो कि मानव है, जिसके हृदय में लेशमात्र भी मानवता ह, यह नहीं पसन्द करेगा कि इतने आदमियों को चोट लगे। मुझे नहीं मालूम कि क्यों ऐसी बात हुई। लोहिया जी को ले जाने में २०, २५ आदमियों को चोट लगना मेरी समझ में नहीं आता है। बहरहाल, चोटें लगीं। मैं भी जेल में रहा हूं। जेल के अधिकारी बिलकुल बर्बर या पागल हो गये हों तभी एक आदमी के ले जाने में इतने लोगों के चोटें आ सकती हैं। तभी ऐसा कर सकते हैं कि २० आदमियों के ऊपर दरिन्द या शेर की तरह से टूट कर मारना शुरू कर दें। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा होना तो मैंने देखा नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष---जब आपको कोई जानकारी ही नहीं है तो आप इस विषय का जिक्र क्यों कर रहे हैं?

श्री मुक्तिनाथ राय---मान्यवर, इस प्रस्ताव से जनता की भावनाओं को उभारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार ऐसी अत्याचारी है, तो मैं यह कहता हूं कि २० आदमी क्यों मारे गये? माननीय पालीवाल जी ने कहा कि वह भी अंग्रेजी राज्य में कानून भंग करते थे। हम सांप और अपने लड़के दोनों को लाठी से मारते हैं परन्तु दोनों में अन्तर है। हमको अंग्रेजों को निकालना था। अब जनता की सरकार है, हर पांच साल के बाद वोट देकर सरकार को पलटने का हक़ है। इसलिये प्रजातंत्र में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये यदि हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र फूले-फले। यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार की ओर से ऐसी परिस्थिति पैदा की जा रही है कि अराजकता फैले या विद्रोह हो। यह तो विरोधी पार्टियों की ओर से आह्वान किया जाता है कि मुल्क में डेमोक्रेसी न फूले-फले। शहरों में कांग्रेस के विरोध में दूसरी पार्टियों के जुलूस निकलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---फैक्ट्स पर अब आ जाइये कि क्या गलत था और क्या सही था। आपने तो बजट भाषण शुरू कर दिया, इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री मुक्तिनाथ राय---मान्यवर, यह कहा गया है कि सरकार के कारनामें ऐसे हैं कि विद्रोह होगा। मैं कहता हूं कि विरोधियों की ओर से ऐसी सीख दी जाती है कि छोटे-छोटे बच्चे कहते हैं कि 'सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो'। अगर आप चाहते हैं कि प्रजातंत्र फूले-फले तो जनता को अनुशासन सिखाइये। हो सकता है कि हमारे नेताओं को या अन्य लोगों को जो कुछ मैं कहूं वह ठीक न लगे, लेकिन मैं यह निवेदन करना

चाहता हूं कि जब यह कहा जा रहा है कि २० आदमियों को चोटें आई तो आखिर यह हालत पैदा क्यों हुई, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। मेरा सरकार से अनुरोध है, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वह इसकी इन्क्वायरी करावे। इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं नहीं चाहता सरकार के ऊपर अपयश आवे। मैं नहीं चाहता कि प्रजातंत्र के मानने-वाली सरकार पर यह बर्बरता का लांछन लगे। मैं इन्हीं चन्द शब्दों को निवेदन करके बैठता हूं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद लहरी (जिला आगरा)--उपाध्यक्ष महोदय, ४२ मिनट बहस हो चुकी है लेकिन सरकार का प्वाइंट आफ व्यू अभी तक नहीं आया है। अगर पहले सरकार का प्वाइंट आफ व्यू आ जाय तो बहस में आसानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष--मालूम होता है कि आपने ध्यान से नहीं सुना। सरकार की ओर से कुछ बातें सामने आ गई हैं, पहले भी और अब भी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकारी पक्ष जितना कर चुका है उसके लिये ही क्षमा नहीं किया जा सकता। उसे जस्टी-फाई करने के लिये जो महोदय यहां कुछ कहेंगे तो अपने पाप के बोझ को और बढ़ावेंगे। मैं नहीं समझता कि इसके लिये किसी को जस्टीफाई करने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--यही मजबूरी मेरी भी है। जो लोग खड़े हुये, मैंने उनको बुला दिया। यदि कोई मन्त्री बोलना चाहे तो मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री गेंदासिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद कोई ठेकेदारी नहीं है कि मिनिस्टर की ही इज्जत और रुतबा बढ़ा हो और जो हिन्दुस्तान में दूसरे बसने वाले लोग हैं, जो मिनिस्ट्रों से दोस्ती नहीं रखते हैं उनकी इज्जत और रुतबा घटा हो। मैं समझता हूं कि जो मिनिस्टर बनाते हैं उनकी भी इज्जत बढ़ी है और उनका भी रुतबा बढ़ा है, इस आजादी के बाद। अगर डाक्टर लोहिया गुलाम हिन्दु-स्तान में राष्ट्रीय व्यक्ति समझे जा सकते थे तो मैं नहीं समझता कि आजाद हिन्दुस्तान में उनकी यह दुर्गति होनी चाहिये। यह उनकी दुर्गति नहीं सारे राष्ट्र की दुर्गति है। शर्म से मेरा सिर झुक जाता है जिस समय मैं यह सुनता हूं कि डाक्टर लोहिया का शाल उतारकर उनका अगूंठा किसी सिपाही ने सीधा किया निशानी अगूंठा लगाने के लिये। जो मुल्क के गद्दार हों उनके लिये तो आप अच्छा सलूक कर सकते हैं और दूसरे रास्ते अख्तियार कर सकते हैं लेकिन डाक्टर लोहिया को आप उस ढंग से भी नहीं रहने देना चाहते जैसे मुल्क के गद्दारों को आप जेल में रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--रेफ़रेंस के तौर पर आपने काफी कह दिया है, अब मुख्य घटना पर आ जावें।

श्री गेंदासिंह--वह घटना की जड़ है। उन बेचारे २०, २५ आदमियों को पागल कुत्ते ने थोड़े ही काटा था। उन्होंने इस खबर की जानकारी पर उसका विरोध करना चाहा। और मैं नहीं समझता कि उन लोगों की जगह अगर मैं भी होता तो कोई दूसरी चीज नहीं करता जो कि उन्होंने की। मैं क्या कह सकता हूं कि मैं कैसा आदमी हूं, लेकिन जो कुछ उन १४ या २० आदमियों ने किया वह बिलकुल उनका फर्ज था। मैं यह बात डाक्टर लोहिया के लिये नहीं कह रहा हूं। अगर वहां पर माननीय हाफिज जी के प्रति यह व्यवहार होता तो भी उस सलूक को गेंदासिंह बरदाश्त नहीं कर सकता था, गेंदासिंह उसको बरदाश्त करने की ताकत नहीं रखता है। महात्मा गांधी के जमाने में डाक्टर लोहिया कुछ था, क्या वह डाक्टर लोहिया आज कुछ नहीं रहा? आप आज उसकी तौहीन करने पर उतारू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

हो रहे हैं, आज आपकी राय में वह कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं कि आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, उनकी बैरक में उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। काश्मीर में शेख अब्दुल्ला के साथ क्या हो रहा है। अगर शेख अब्दुल्ला के साथ काश्मीर की सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार भलमनसाहत का बरताव कर सकती है तो क्या इस उत्तर प्रदेश की सरकार का यह फर्ज नहीं है कि वह भी वैसा ही बरताव डाक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ करे। जेलखाने में जो आदमी मौजूद है, उसके ऊपर लाठी चलाने में सरकार अपनी क्या बहादुरी समझती है ?

मुझे याद है जब मैं लखनऊ कैम्प जेल में था, शायद मेरे कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो उस वक्त मेरे साथ होंगे, तो मैं तो नहीं, मेरे कुछ साथी रात-रात भर ईंट लेकर उस जेलखाने को पीटा करते थे और जेल सुपरिन्टेंडेन्ट को न जाने क्या-क्या कहते थे। लेकिन उसने क्या किया ? हमें याद नहीं है कि कभी जेल में लाठी चली हो। लेकिन यहां, नाक के नीचे जहां कि मिनिस्टर साहबान रहते हैं, उनके विवेक पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, उनकी नाक के नीचे सारे दुष्कर्म होते हैं और सरकार फिर उसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश करती है। मान लिया कि वहां पर लाठी नहीं चलाई गयी तो सरकार ने क्यों अपने को निर्दोष साबित करने के लिये बाहर के डाक्टर को नहीं बुलाया और उन डाक्टरों को बुलाकर क्यों सरकार ने अपने उस दोष से छुटकारा नहीं पाया ? किसी भाई ने कहा कि लाठी नहीं चली। तो फिर जो चोटें आयीं वे कैसे आ गयीं ? क्या वे पागल हो गये थे ? या चहार दीवारी कूदने से उनको चोटें आ गयी थीं। मैं कहता हूं कि माना कि उनको चहारदीवारी कूदने से चोटें आ गयीं थीं तो आपको चाहिये था कि आप अपने को जनता के सामने न्यायसंगत साबित करते, अपने सर से उस दोष को मिटाना चाहिये था और दूसरे डाक्टरों को बुलाकर उसकी जांच करानी चाहिये थी और यह साबित करते कि उनको चोटें नहीं आयीं।

आप कहते हैं कि मुलाकात नहीं करने देंगे। इसके लिये आप जेल मैनुअल की बातें कह सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कह सकते हैं। लेकिन क्या यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुराने जमाने में नहीं था ? क्या यह जेल मैनुअल अहमदनगर फोर्ट के लिये नहीं थी ? उस वक्त डाक्टर लोहिया उस अहमदनगर फोर्ट में था या नहीं था ? अगर डाक्टर लोहिया वहां था और जो बर्ताव वहां उसके साथ हो सकता था वही बर्ताव उसके साथ यहां भी होना चाहिये था। आप सोचें, एक मर्तबा नहीं दस मर्तबा सोचें, एक इंसान की तरह से सोचें, लेकिन एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि आप राक्षसों की तरह से न सोचें। हम आदमी हैं और डाक्टर लोहिया भी आदमी है, माननीय हाफिज जी और सम्पूर्णानन्द भी आदमी हैं लेकिन जो हैसियत डाक्टर सम्पूर्णानन्द की समाज में है, क्या वही हैसियत समाज में गेंदा सिंह की है ? हर इंसान बराबर नहीं होता है। और मैं समझता हूं कि जो हैसियत आज डाक्टर लोहिया की है वह हिन्दुस्तान की रिकग्नाइज्ड हैसियत है। उस हैसियत को मत बिगाड़िये। खुदा के नाम पर देश के नाम पर उस हैसियत को बर्बाद न कीजिये। उस हैसियत को बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है, आपको अपनी हैसियत को भी बर्बाद करने का हक नहीं है, अगर आप डाक्टर लोहिया की हैसियत को बर्बाद करते हैं और देश के ऐसे लोगों की हैसियत को बर्बाद करते हैं तो अपने देश की इज्जत को बर्बाद करते हैं। मैं दूसरी बात आपसे क्या कहूं, मेरे दिल में जितनी चोट है, उस चोट को मैं दिखला नहीं सकता हूं और मैं समझता हूं कि जो इस सदन में होता है, या जहां कहीं भी होता है, वह उसका रिफ्लेक्शन है और मैं उसको जस्ट करार देता हूं और समझता हूं कि जो कुछ वे करते हैं ठीक है।

मैं एक सवाल पूछता हूं कि हाफिज जी की अगर वही हालत हो जैसी कि डाक्टर लोहिया के ऊपर गुजरी, तो उस वक्त हमारा क्या फर्ज होता है ? क्या हम बैठे-बैठे तमाशा

देखें ? हम बैठे-बैठे तमाशा नहीं देख सकते । मैं इतनी बात फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि अब डाक्टर राममनोहर लोहिया को एक मिनट भी जेलखाने में रखने की जरूरत नहीं है । जितने दिन आप उनको जेलखाने में रखेंगे उतने ही दिन इस प्रजातंत्र की कील को उखाड़ने की कोशिश करेंगे । इतनी बात मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि देर आयद, दुरुस्त आयद, जितनी गलती हो गयी, वह हो गयी, अब आगे के लिये रास्ता ठीक कीजिये ।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कोई इरादा इस बहस में हिस्सा लेने का नहीं था, मगर दो एक बात मैंने अभी ऐसी सुनी जिसकी बिना पर मैंने महसूस किया कि मैं भी इस वक्त कुछ अर्ज करूं । जहां तक डाक्टर लोहिया साहब का ताल्लुक है, यह ऐडजर्नमेंट मोशन उनकी बाबत तो है नहीं, मेरे नजदीक ।

कुछ सदस्य--लोहिया साहब को चोटें आयी हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब के सामने जो मोशन है उसमें डाक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम नहीं है । तो मैं यह अर्ज करता हूं कि कोई माने या न माने लेकिन हमको भी डाक्टर राम मनोहर लोहिया से मुहब्बत है और हम भी उनकी इज्जत करते हैं । यह बात नहीं है कि हम उनकी इज्जत नहीं करते । जहां तक इस बात का ताल्लुक है, जो मेरे भाई ने अभी कही कि अगर मैं उस पोजीशन में होता तो मैं क्या करता ? उसका जवाब तो मेरे पास सिर्फ एक है कि मैं अपने आपको उस पोजीशन में नहीं डालता जिस पोजीशन में वह बात पैदा हुई । बदकिस्मती से इसमें सवाल आ गया है, इस मुल्क के कानून की इज्जत का, जो कानून कि मुल्क में इस वक्त रायज है और जो कानून कि यहां के सिटिजंस राइट को सेफगार्ड करने वाला है उस कानून की हिफाजत और उसके कयाम और उसकी इज्जत का सवाल इसके अन्दर पैदा हुआ । हमारे बुजुर्ग माननीय पालीवाल जी ने अपनी तकरीर में यह सवाल फरमाया कि कौन कानून है वह जिसकी बिना पर डाक्टर लोहिया साहब को उनकी मर्जी के खिलाफ अदालत में लाया गया ? मैं उन को कानून भी बताये देता हूं कि वह कानून कौन सा है और इसी के साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि मैं कोशिश में हूं वह मेरे बुजुर्ग अपोजीशन में हैं वह मेरे निस्बत चाहे कुछ भी खयाल रखते हों मैं उनकी निस्बत कुछ खयाल रखता होऊं, यह हो सकता होगा अगर्चे होना नहीं चाहिये, और अगर्चे मैं यह कई मर्तबा कह चुका हूं कि मैं उनकी निस्बत कोई बुरा खयाल नहीं रखता, लेकिन जहां तक इस राज्य की जुडीशियरी का ताल्लुक है अगर उसकी इज्जत अहतराम, उसकी रेसपेक्ट, उसकी तजवीज और उसके फैसलों की हम कोई वकत न करें तो मैं नहीं जानता कि इससे इस मुल्क की क्या हालत होगी और यह कहां जायगा और कहां पहुंचेगा । (एक सदस्य--हो रहा है ।) इसी लिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह बातें होंगी तो जरूर और होगी तो जरूर मुल्क कहीं पहुंचेगा । लिहाजा मैं सुनाना चाहता हूं कानून की जो एक सतर है, एक सेक्शन है, और उसके मुताल्लिक हाईकोर्ट की जो राय है उस मसले पर जिस निस्बत मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग पालीवाल जी ने फरमाया था । उसकी निस्बत उन्होंने जो फरमाया है वह आप की इजाजात से थोड़ा सा है, सदन को सुनाना चाहता हूं । वह कानून यह है मेरे हाथ में यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और यह दफा २५२ इसकी है और इसमें लिखा है कि 'एवीडेंस फार प्रासीक्यूशन' यानी प्रासीक्यूशन की तरफ से जो शहादत दी जाय उसके मुताल्लिक यह दफा है । "ह्वेन दि एक्यूज्ड एपियर्स आर इज ब्राट बिफोर दि मैजिस्ट्रेट" मुलजिम खुद हाजिर हो या मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाय । इसके यह माने मेरे लगाये हुये नहीं हैं, मैं कोई अपने माने नहीं देता, मैं इस हाउस को जनाब के जरिये से वह माने बतलाना चाहता हूं जो कि आज के देश के ला-सिवर्स हैं, जिनके हाथ में आज देश के कानून की इज्जत है और जिसकी हिफाजत के लिये मुल्क ने उन्हें उस रुतबे पर बिठा रखा है, उनकी क्या-राय है वह मैं बता दूं .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा था कि क्या कोई कानून ऐसा है जिस में इस बात की तजवीज की गयी है कि अगर कोई मुलजिम अदालत में आने से इन्कार करे तो फलां दफा के मुताबिक उसको यह सजा तजवीज की जाती है, ऐसा कोई कानून है ? यह सवाल था मेरा लेकिन उसका जवाब नहीं मिला ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने अर्ज किया कि इस दफा में यह लिखा है और उसका इन्टरप्रिटेशन हाईकोर्ट ने यह किया है । हाईकोर्ट कहता है कि उस शख्स को किस तरीके से लाया जाय, उसको जिस तरीके से लाया गया उसको इस जजमेंट ने जस्टिफाई किया और इसमें जस्टिस मुल्ला और जस्टिस रघुबर दयाल का जजमेंट है ।

एक सदस्य—जस्टिस बेग का क्या फैसला है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे ताज्जुब है कि इस सदन के जो मेम्बर हैं उनकी तरफ से कैसे ऐसा सवाल उठाया गया । जो आखिरी फैसला करार पाये वह मुताल्लिक होगा या जो करार न पाये वह मुताल्लिक होगा ? जस्टिस बेग के फैसले का क्या सवाल है ? जो फैसला आखिरी करार पाया वह मैं सुनाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—यह फाइनल बेंच का फैसला है ?

एक सदस्य—अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरे इसको पढ़ देने से सुप्रीम कोर्ट में अपील रुक नहीं सकती है ।मैं तो पढ़ दूंगा,जो राय है इसके मुताल्लिक । मैं मेम्बरान की खिदमत में जनाब के जरिये अर्ज करूंगा, थोड़ी सी बात है, दो मिनट की । उस पर फिर मैं अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करूंगा बल्कि मेम्बरान के ऊपर छोड़ दूंगा कि वह अपना नतीजा खुद निकाल लें ।

इसमें यह है—

"The counsel suggested that the Magistrate should have proceeded to the barrack where Dr. Lohia was confined and there he should have held his Court. I am surprised at this argument. Dr. Lohia as well as his counsel seem to be suffering from the mistaken belief that the saying 'If Mohammad does not go to the mountain the mountain should go to Mohammad' applies to the courts of law also. I am afraid they are destined to be disillusioned. That cannot happen unless order gives place to disorder and law abdicates in favour of chaos. The Magistrate cannot be expected to dance attendance on an accused and it is for the accused to present himself before the Court. It would be a sad day indeed when instead of an officer of law determining the forum of trial and the procedure of law, the capricious desires of an accused are given the right to determine these questions."

श्री उग्रसेन—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह इतना बड़ा जजमेंट पढ़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न आपने पहले नहीं उठाया, जब वह पढ़ने जा रहे थे ।

श्री उग्रसेन—सवाल यह है कि जब हम लोगों की तरफ से पढ़ा गया तब रोका गया कि लाठीचार्ज वगैरह का सवाल नहीं है और अब वह इतना लम्बा जजमेंट पढ़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—सरकार खुद चाहती है (शोर)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—

"The courts of law have nothing to do with politics and an accused cannot be permitted to convert his *trial* into a piece of political propaganda. Where an accused refuses to appear before a court, the law is not helpless and it

can use necessary measures to procure the attendance of disobedient accused before it. The Magistrate acted within his rights when he asked the jail staff to produce Dr. Lohia before him on the 30th November, 1957."

मेम्बरान खुद नतीजा निकाल लेंगे जो कुछ भी इससे नतीजा निकलता हो और जो कुछ उससे समझते हों। इसी किस्म की इबारत जस्टिस रघुबरदयाल की है जिसको पढ़ने की मैं जरूरत नहीं समझता। जो उन्होंने लिखा है वही उन्होंने लिखा है, जो जिस्ट इसका है वही जिस्ट उसका है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका एक मिनट रह गया है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी मैं बोलता ही नहीं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से उधर के लोगों की बात जिस दुखद घटना के ऊपर आज वादविवाद हो रहा है, सुन रहा था। श्रीमन्, मुझे अभी हमारे वयोवृद्ध हाफिज जी की एक बात सुनने में आयी रेस्पेक्ट आफ ला के विषय में। श्रीमन्, रेस्पेक्ट आफ ला का विषय बहुत गम्भीर और बड़ा वृहत है।

लेकिन जैसे एक कहावत है कि "देयर मस्ट बी टू टु ए किस" तो सरकार की ओर से भी रेस्पेक्ट आफ ला होने की आवश्यकता है। आज तक के श्रीमन्, समाचार-पत्र देखें, मैं उदाहरण के लिये कह रहा हूं, तो ज्यादातर आप पायेंगे कि उच्च से उच्च न्यायालय के फैसलों में बार-बार कमेन्ट्स आते हैं कि "ग्रास मिसयूज आफ पावर"। श्रीमन्, सरकार स्वयं रेस्पेक्ट आफ ला न रखे और जन समूह से आशा करे कि रेस्पेक्ट आफ ला हो तो आश्चर्यजनक घटना होगी। रेस्पेक्ट आफ ला के अन्दर यह भी इनहेरेंट है कि सरकार की ओर से व्यक्ति स्वातन्त्र्य, व्यक्ति के स्वाभिमान और राष्ट्र के और भी लोगों के स्वाभिमान का संरक्षण होना चाहिये। पर आज क्या हुआ? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जो बातें माननीय गेंदा सिंह जी ने कहीं, जो लोग इस राष्ट्र को धोखा देने के लिए तैयार हैं, अपने स्वार्थ के लिये टोपियां बदल कर इधर से उधर घूमते रहते हैं उनको तो आप घरों में बन्द करते हैं और जो आदमी देश के जनतन्त्र की रक्षा के लिये कुछ करे तो उसको जेल में बन्द करके डंडे बरसाये ये सरकार? उसमें भी वही रक्त और मांस है जो हममें और आपमें है, उसमें भी वही आत्मा है जो आप में और हममें है, यही आपके स्वाभिमान का परिचायक है? मुझे अफसोस है कि सरकार के द्वारा जो कृत्य हुआ है उसके अन्दर मानवता की रेस्पेक्ट या व्यक्ति की रेस्पक्ट का परिचय नहीं मिलता।

दूसरे श्रीमन्, बार-बार उधर से एक बात उठायी जाती है मिनिमम फोर्स की। अब मिनिमम फोर्स क्या है, कौन इसको तय करेगा। जो यह इन्जरी रिपोर्ट सामने रखी है उसको देखें तो आप पायेंगे कि ३ इंच से चल कर सवा इंच तक शारीरिक चोट है। यह क्या मिनिमम फोर्स का परिचायक है? यह क्या सरकार का प्रेमालाप है उन कैदियों के साथ? अगर यह प्रेमालाप है तो ऐसे प्रेमालाप से भगवान सबकी रक्षा करे। यह इस बात का द्योतक है कि सरकार के अधिकारियों ने भीषणता के साथ, बर्बरता के साथ लाठियों का आघात किया।

अब श्रीमन्, अगर यह कहा जाय कि हमने यह शान्ति भंग होने के कारण किया, नियम के अधीन किया, परन्तु श्रीमन्, व्यवहार में "दे शुड बी टेम्पर्ड विद ह्यूमेनिटी" और कानून का यही अर्थ है। क्या कानून का यह अर्थ है कि उसके अन्दर मर्सीलेस हो? अगर यह परिभाषा मान ली जाय नियम की कि उसके अन्दर मानवता का कोई स्थान नहीं है तब तो सरकार के कानून और हिटलर और बेरिया के सीक्रेट कानून, दोनों एक हुए और दोनों में कोई अन्तर नहीं है। और यह कहा जाय, एक टेक्निकैलिटी में, जैसे सुबह भी इस विषय पर विचार करते हुए कहा जा रहा था, एक टेक्निकल बात उठायी गई थी कि सरकार अपने छोटे अधिकारियों के कृत्यों की जिम्मेदार नहीं हो सकती, तो इस टेक्निकैलिटी का क्या अर्थ है? किसी का सर फटता है, किसी की देह फूटती है, किसी के शरीर पर आघात होता है और आप उसको

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

टेक्निकैलिटी कह कर टालते हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर इधर से लाठी चार्ज हो जाय तो हम भी कहेंगे मियर टेक्निकैलिटी हुई है? यह कोई टेक्निकैलिटी नहीं है। अगर यह कहा जाय कि सरकार अपने छोटे अधिकारियों के कार्यों का उत्तरदायित्व नहीं रखती है, और जो उनके इर्रेस्पांसिबिलिटी के कार्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी आपके सर पर नहीं है तो श्रीमन्, यह ऐसा दुख का विषय है जो एक स्वतंत्र देश के अन्दर नहीं होना चाहिये। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि आप कानून का पालन न करें, करें, लेकिन उसको टैम्पर करें ह्यूमेनिटी के साथ। आखिर यह तो जीवन का सिद्धान्त है, कानून मनुष्य के लिये बनता है, मनुष्य कानून के लिये नहीं बनता है। मैं समझता हूं आपमें से कोई इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है कि कानून के लिये मनुष्य बनता है। तो कानून के नाम पर इस प्रकार का व्यवहार आपने आदमियों के साथ क्यों किया? आपको भी इसका दुख है और मैं समझता हूं कि होना चाहिए। तो क्या इस प्रकार का जो व्यवहार जेल में लाठी चार्ज के रूप में इन लोगों के साथ हुआ उसके बारे में आपने जांच कराने का कोई प्रयास किया? कोई आपने कमीशन बिठाला? आपने इसके अन्दर यह देखने का प्रयास किया कि किसकी गलती से यह हुआ? अगर अधिकारियों की गलती है तो दंड देने का कोई प्रयास किया? इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया गया और श्रीमन्, अभी हमारे वयोवृद्ध नेता पालीवाल जी ने भी कहा कि यह आज की घटना इस सरकार के लिए इसलिये शोभा नहीं देती क्योंकि आप हमारे स्वकीय हैं, स्वतंत्र देश है, परकीय ने किया होता तो दूसरी बात थी, लेकिन स्वकीय अगर करे तो समझना बड़ा कठिन है। हो सकता है, श्रीमन्, कि हमारे उधर बैठने वाले मित्रों की समझ में यह न आये, मैं तर्क दे सकता हूं, लेकिन समझने के लिए बुद्धि नहीं दे सकता। तो फिर इस प्रकार की घटना इस देश के अन्दर हो, इस देश में इस प्रकार के कानून के नाम पर और न्याय के नाम पर दोनों का गला घोटा जाय यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यह अशोभनीय है और इस सरकार के द्वारा इस प्रकार का अशोभनीय कार्य हो, जो इस प्रकार के नारे लगाये कि हम मानवता के बहुत प्रेमी हैं तो और भी अशोभनीय है। और फिर इस प्रकार का कार्य श्रीमन्, उन लोगों के साथ भी हो कि जिनके पास कोई अस्त्र न हो? मान लिया आपका ही कथन कि वह हल्ला कर रहे थे सही हो, तो हल्ला करने वालों को हटा सकते थे। लेकिन आपने उन्हें डंडे के बल पर हटाने का प्रयास किया।

यह डंडे के बल पर आपका हटाने का प्रयास जो हुआ यह कोई अकेली घटना नहीं है। आपने देखा कि उन्नाव में भी इस प्रकार का कृत्य हुआ था, जेल के अन्दर नहीं बल्कि बाहर। इस प्रकार की जो सारी घटनायें हो रही हैं यह एक ही मनोवृत्ति की परिचायक हैं कि सरकार सत्ता के मद में चूर हो रही है और उस मद को दूर करने का प्रयास करने वालों का दमन करने के लिए अस्त्र लेकर वह मानवता को भी चुनौती देने के लिए तैयार होती है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहला प्रश्न इस विषय पर विवाद करते समय सामने यह आता है कि क्या लाठी चार्ज वाली घटना हुई अथवा नहीं। सदन में इस राज्य के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा कि कोई भी लाठी चार्ज नहीं हुआ और जो अभी मेम्बर उस तरफ से बोले हैं उन्होंने भी इसी बात की ताईद करनी चाही कि कोई लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। हम लोगों की जो सूचना है और जिसके स्पष्ट आधार हैं वह यह है कि लाठी चार्ज हुआ। पहले तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस बात की स्पष्ट जानकारी के लिए और हमारे इस सदन के बाहर जो साढ़े छः करोड़ हमारे प्रदेश की जनता है जिसके हम सब प्रतिनिधि हैं उनकी भी जानकारी कराने के लिए इस सदन की एक कमेटी बनाये जो इस बात की जांच करे जाकर जेल में और जो वास्तविक स्थिति है उसका पता लगाया जाय। अन्यथा ऐसी घटनायें भी अगर इस सदन में विवाद का विषय बन जायेंगी कि लाठी चार्ज हुआ अथवा नहीं तो मैं समझता हूं कि इस सदन का काम बहुत ही कठिन हो जायगा। एक लाठी चार्ज की

घटना को स्पष्ट तौर पर यहां इन्कार किया जाना बड़े आश्चर्य की बात है। यदि मुख्य मन्त्री और मन्त्रिगण इस तरह की गलतबयानी करें तब तो प्रजातन्त्र का क्या होगा यह एक सोचने की बात हो जाती है।

मुझे याद है कि मैं अपने सूबे की और सूबे के बाहर बहुत सी जेलों में रह चुका हूं। मैंने काफी गौर करने और सोचने की कोशिश की, दिमाग पर जोर दिया लेकिन मुझे इस तरह की कोई भी घटना याद नहीं आई जिसमें इतनी छोटी सी बात के ऊपर लाठी चार्ज हुआ हो मैं देवली कैम्प जेल में था। हमारे देवली जेल में एक साथी रहे जो आज इस सरकार के मंत्री हैं, श्री मोहन लाल गौतम, वे इस बात के साक्षी हो सकते हैं कैसी-कैसी घटनायें हुई उस कैम्प जेल में। वह मिलिटरी जेल थी, जहां पूरा मिलिटरी प्रशासन था। हम लोग गोलियों से भूने जा सकते थे। लेकिन मुझे याद है कि एक भी लाठी चार्ज की घटना नहीं हुई। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में जिस दिन झगड़ा हुआ तो यह उम्मीद थी कि आज लाशें गिरेंगी, लेकिन एक छड़ी भी घुमाई नहीं गई। लेकिन यहां इतनी छोटी घटनाओं पर कांग्रेस के राज्य में लाठी चार्ज होने लगा है तो फिर प्रजातंत्र का क्या पता लगेगा ?

मैं तो कहना चाहता हूं कि उपरोक्त घटना पहली नहीं है। कांग्रेस सरकार के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। १९४९ में मद्रास प्रान्त के सलेम जेल में लाठी चार्ज, नहीं गोली चार्ज हुआ था जिससे २२ कम्युनिस्ट बंदी जान से मारे गये और ११६ घायल हुए थे। अलीगढ़ सेंट्रल जेल में, कानपुर, बनारस सेंट्रल जेल में, लखनऊ सेंट्रल जेल में, लखनऊ जिला जेल में, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में, तमाम लाठी चार्ज हुए हैं और लखनऊ जेल में तो औरतें तक पीटी गई हैं। कांग्रेस सरकार इस बात की आदी हो चुकी है। वह परम्परा आज भी जारी है। डाक्टर लोहिया जैसे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिये कुछ लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। सरकार का तो आज यह मत और विचार हो चुका है कि सत्याग्रह, अनशन आदि ये सब विदेशी अस्त्र हो चुके हैं। वह समझती है कि इस राज्य में सत्याग्रह नहीं हो सकता। कोई अपनी डिमांड नहीं रख सकता। हंगर स्ट्राइक जो एक अत्यन्त नान वायलेंट साधन है अपनी मांग को रखने के लिये, वह भी कोई नहीं कर सकता। तो इस राज्य की जेल में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हम विरोधी पक्ष वालों को कोई बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिये।

आपने इस बात पर रुकावट लगा दी है कि डाक्टर लोहिया को कुर्सी में बांध कर उनके थ किस प्रकार दुर्व्यवहार किया गया न कहा जाय। आपने इस बात पर प्रतिबन्ध लगाया कि प्राइवेट डाक्टर उनके पास न जा सकें, बहुत कठिनाई के बाद वहां प्राइवेट डाक्टर जांच के लिये जा सका। जबरदस्ती अंगूठा लगवाने वाली जो घटना हुई है उसके सम्बन्ध में माननीय जज ने जो शब्द कहे हैं उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। इसमें कोई शक नहीं और यह निर्विवाद बात है कि डाक्टर लोहिया जैसे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होना अक्षम्य है। मैं डाक्टर लोहिया के साथ बरेली जेल में रहा हूं। मुझे याद है कि जब मैं एक खतरनाक बन्दी के नाते तनहाई कोठरी में बन्द था तो उनको बी क्लास में बन्द किया गया था। उनको अगर जरा सी तकलीफ होती थी और वे कहते थे कि मैं अस्वस्थ हूं और कोई उनसे मिलना चाहता था तो उन दिनों में, १९४०-४१ की बात मैं कह रहा हूं, आज से १७ वर्ष पहले जब विदेशी हुकूमत थी, जब वार पीरियड था, उस समय उनको यह सुविधा दी जाती थी कि बैरक में जाकर लोग उनसे मिल सकते थे। लेकिन आज इस सरकार के राज्य में, जब वे कोई हिंसा के अपराधी नहीं हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना कहां तक न्यायसंगत है? अगर उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं जेल की बैरक में ही मिलना चाहता हूं तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना, ऐसी सुविधा न देना, कहां तक उचित है और इससे कौन सा आसमान फट पड़ता यह मेरी समझ में आज तक नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—बहुत ज्यादा विषयान्तर हो रहा है। यह तो आप २३ तारीख को भी कह सकते हैं।

श्री झारखंडे राय—विषय ऐसा है और जब हृदय भावों से भरा हो तो विषयान्तर हो जाना पड़ता है। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी असाधारण घटना है जिसका असर सब पर पड़ता है, लेकिन इसका परिमार्जन एक ही तरह से हो सकता है कि अब डाक्टर लोहिया को रिहा किया जाय, उनके ऊपर जो केस चलाया जा रहा है वह वापस किया जाय और जबकि वह सत्याग्रह बन्द हो चुका है और उनकी पार्टी ने स्पष्ट ऐलान किया है कि आने वाले तीन साल तक कोई झगड़ा इस प्रकार का हमारे देश में नहीं होगा और वह इस काल को संगठन कार्य में लगायेंगे तो जो उस पार्टी के फाउंडर लीडर हैं, उनको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं हो सकता है, इसलिए मेरी एक मांग है कि डा० लोहिया को छोड़ दिया जाय।

अब हमारे सामने एक जजमेंट पढ़ा गया है, मुझे पूरी इज्जत है जजमेंट करने वालों के प्रति, लेकिन मैं उसको ब्रह्मा की लकीर नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और वहां भी ठीक उसी प्रकार का उल्टा फैसला हो सकता है। मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि सरकार इस पर अपने रवैये हेतु आधारित न रहे।

श्री उपाध्यक्ष—अभी हुई तो नहीं है अपील ?

श्री झारखंडे राय—मुझे ऐसी सूचना है कि शायद होने जा रही है या हो गयी है। म कहना चाहता हूं कि सरकार इन कानूनी दांव-पेंच और कानूनी खुचड़-पेंच में न पड़ करके मानवता और उदार-हृदयता का परिचय दे और डा० लोहिया को छोड़ कर के जिन सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है—जिन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे।

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, "ह्वेन सेंटीमेंट्स राइज, रीजन सिन्क्स" (when sentiments rise reason sinks), छिपी भावनाएं जाग्रत होती हैं तो प्रायः हम विवेक को भी छोड़ देते हैं।

मैं इस सदन के उन माननीय सदस्यों से जिनकी आज भावनाएं जाग्रत हैं, बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके कुछ तथ्यों पर भी आने की कृपा करें। मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र कृपा करके यह चेष्टा न करें कि कुछ कहने-सुनने से जिन चीजों को हम स्वीकार कर सक उनको स्वीकार करने से रुकें। आखिर आज का जो यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है उसके मोट तौर पर दो भाग हैं। कहा गया है कि ३० नवम्बर को कुछ समाजवादी सत्याग्रही बंदियों पर लाठी चार्ज हुआ। उसके दूसरे भाग में कहा गया है कि एक अत्यन्त बर्बरता पूर्वक कार्य था। मैंने जानबूझ कर कहा था कि भावनाओं के आवेग में हम विवेक को भी छोड़ देते हैं, और मैं किसी दूसरी नीयत से नहीं, किन्तु बन्धुत्व के नाते जो अपने सामने के माननीय सदस्यों के लिए अपने हृदय में रखता हूं, कहना चाहता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी सोचेंगे कि आज उन्होंने सदन के सामने क्या कहा है ? उनका सारा भाषण डा० लोहिया से संबंधित रहा। मेरे मित्र श्री यादवेन्द्र दत्त जी दुबे उनकी भाषा बहुत परिमार्जित, शब्द बहुत तुले हुए, बहुत बा-मानी, गम्भीर गर्जन, लेकिन उसके पीछे केवल वही बात कि डा० लोहिया के साथ में यह हुआ और इस तरह का बर्बरता का कार्य नहीं होना चाहिये था। बर्बरता थी या नहीं थी डा० लोहिया वाले मामले में, मैं उस सम्बन्ध में आज सदन से कुछ कहना नहीं चाहता। जहां तक इस ३० नवम्बर वाली घटना का सम्बन्ध है, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कुछ मुझे भी अवसर मिला और बहुत से माननीय सदस्यों को मिला है कि हम अदालत में आये गये हैं और बहुत मुकदमे करने का भी अवसर मिला है। शायद ऐसा ही हुआ है कि एक बात कही गयी, दूसरी तरफ से इन्कार किया गया। यदि आज मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे मित्र जो उस ओर बैठे हैं उनकी तरफ से बराबर कहा जा रहा है कि लाठी चार्ज हुआ और इस सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को विवेक की कसौटी पर उतारिये जो यहां मौजूद है। मेरे मित्रों ने मांग की कि इसकी जांच की जाय। यह सरकार के ऊपर है कि इसको स्वीकार करे या

न करे। लेकिन मैं इसके लिये एक दूसरा पैमाना रखना चाहता हूं जो बहुत छोटा है। इसमें शायद कठिनाई की कोई बात नहीं होगी। कृपा कर इस घटना की तरफ अपनी आंखे खोले रखिये।

डाक्टर लोहिया के लिये यह कहा गया है कि उनको अदालत के सामने उपस्थित किया जाय, जेल स्टाफ के जरिये। लोग उनकी बैरक में पहुंचे श्रीमन्, और कहा जाता है कि जिस बैरक में वह थे और जिसमें मुकदमा सुना जाने वाला था उसमें ज्यादा अन्तर नहीं था। वह नजदीक-नजदीक बैरकें थीं। (कुछ सदस्य---बड़ी नजदीक थीं, बड़ी नजदीक थीं)। बड़ी कृपा करके आप सुन लीजिये। क्या आप अपने विवेक को यहां पर भी पीछे छोड़ देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---आप अपनी बात कहे जाइये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि वह बैरक नजदीक थी। उसके पास वाली बैरक में जिसमें एक परदा था, दीवार थी, उसमें हमारे बंधु दूसरे सत्याग्रही कैदी थे। जब यह जेल के स्टाफ के लोग गये और डाक्टर साहब ने चलने से इनकार किया तो वहां पर कुछ शोर गुल हुआ, कुछ नाराजगी हुई, कहा सुनी हुइ तो सत्याग्रही दीवार लांघकर वहां उस बैरक में पहुंचे जहां डाक्टर लोहिया थे और उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं ल जाने देंगे, कौन ले जायेगा ? और जब उनको ले जाने की तैयारी की गयी तो उन्होंने बल प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि नहीं ले जाने देंगे। जब उनको ले जाने के लिये कहा गया, मैं फिर दुहराता हूं, कि तयारी की।

इस समय मैं श्रीमन्, अपने मित्रों से पूछना चाहूंगा कि मान लिया जाय कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ....

श्री उग्रसेन---आप मत मानिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आप कल्पना कर सकेंगे।

कुछ सदस्य---चुप रहिये।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं कह सकता हूं कि कोई बात है कि चुप रहिये।

एक सदस्य---निकल जाइये सदन के बाहर।

श्री उग्रसेन---क्यों निकल जायं सदन के बाहर ?

श्री उपाध्यक्ष---देखिये कोई माननीय सदस्य इस तरह से न बोलें।

श्री उग्रसेन---चुप नहीं रह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री लक्ष्मी रमण आचार्य से) आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मुझे एक मिनट ज्यादा मिल जाय। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि मैं अपने मित्रों की बात मान लूं कि यह सही ह कि वहां लाठी चार्ज हुआ, वहां कोई फोर्स इस्तेमाल हुआ, लेकिन वह व्यक्ति जिसके साथ विवेक है वह इस चीज को मानेगा कि किस चीज पर लाठी चार्ज हुआ। जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ उनके कोई ऐसी चोटें नहीं आईं कि खून निकला हो। यह बात दूसरी है यदि लाठी घिस-घिस कर मारी गई हो जिससे खून न निकले। उनका प्रयोग चुपचाप लाठियों को रगड़ रगड़ कर किया गया हो। यदि सचमुच लाठी चार्ज हुआ है तो मेरे मित्र बतलायें कि ऐसी चोटें लगी हैं। चोटों का मेरे पास मुआयना मौजूद है। यह मुआयना रिपोर्ट डाक्टर श्रीवास्तव की है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष---आप लोग शान्त रहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसमें कंट्यूजन्स हैं जिनको हिन्दी में खराश कहते हैं और कुछ एबरजन्स हैं और कुछ गूमड़े हैं। मैं इस सदन स केवल यह कहना चाहता हूं कि कृपा करके यह सदन इस स्थिति में सोच ले कि जहां ५०-६० आदमी इकट्ठा हुये हों और वह कहते हों कि हम अमुक व्यक्ति को नहीं ले जाने देंगे और दूसरी ओर जेल का स्टाफ हो और लाठी चल रही

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

हो वहां हालत यह है कि लाठी बरसाई जा रही हो तो क्या चोट नहीं लगेगी ? आखिर लाठी-लाठी है तो क्या किसी के खून नहीं निकलेगा ? खून के अलावा चोटें भी होंगी और लाजमी तौर पर किसी न किसी के कंट्यूज्ड वूंड्स भी होंगे। मेरे मित्रों को, जिनको कि शायद इसके सम्बन्ध में कभी अवसर न पड़ा हो केवल मोदी की मेडिकल जुरिस्प्रूडन्स देखने का जो कि प्रायः अदालतों में काम में लायी जाती है उससे दो पंक्ति आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है :—

"Bruises and contusions are injuries which are caused by a blow from a blunt weapon such as a club, iron, iron bar, stone ball, etc., or by a fall or by crushing or compression." तो इतना मैं निर्णय के साथ कह सकूंगा कि कृपा कर लाठी चार्ज की बात न कहिये। यह कहिये कि उनको वहां से हटाया गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय उग्रसेन, आपकृपया शान्त रहें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, मैं फिर अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं इसके लिये नहीं खड़ा हुआ कि मैं उनकी बातों का बहुत ज्यादा जवाब दूं, बल्कि केवल उनके विवेक का उत्तर देने खड़ा हुआ हूं।

जो कुछ और बातें मेरे मित्रों ने कहीं, उनमें बल प्रयोग की बात कही, प्रजातंत्र में शासन की बात कही। कुछ उन कामों का जिक्र किया माननीय झारखंडे राय जी ने और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने जो कि ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में भी उन्होंने कहा कि नहीं हुए। श्रीमन्, बल का प्रयोग हुआ या नहीं, कितना हुआ, होना चाहिये था या नहीं, इसको तो. . . . (शेम-शेम की आवाज) शायद उनके शेम कहने से कोई स्वीकार नहीं कर सकेगा, लेकिन यहां इतना जरूर कहूंगा कि वह कितना हुआ, होना चाहिये था या नहीं, इसको शायद यह सदन मन्जूर कर लेगा और देख लेगा और मैं अपने मित्रों से एक सवाल भी पूछूंगा कि क्या कभी भी कोई प्रजातंत्र बिना अनुशासन के चल सकेगा ? क्या ऐसा भी मुमकिन है कि हम कुछ कानून बनायें और उनकी अवहेलना हो ?

श्रीमन्, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि प्रजातंत्र के नाम पर आज जो इस देश में हो रहा है जिसका कि जिक्र मेरे मित्र झारखंडे जी ने किया, हम सत्याग्रह को गलत समझते हैं या नहीं, रोजाना स्ट्राइक को गलत समझते हैं या नहीं, उनका यदि प्रजातंत्र का तात्पर्य यह है कि उच्छृंखलता बढ़े, कुछ आदमी, जब देश में भुखमरी हो उस वक्त केवल इसलिय कि तनख्वाहें बढ़ें, स्ट्राइक करें, यदि प्रजातंत्र का मतलब यह है कि सारे लड़कों को इकट्ठा कर के एक स्थान का फाटक तुड़वाया जाय, यदि प्रजातंत्र का यही मतलब है कि इस सदन में जिनको हम बाहर गालियां कहें, उनका खुले आम प्रयोग किया जाय तो केवल उन्हीं के नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं, किन्तु श्री जयप्रकाश नारायण के शब्दों में कहूंगा कि इस देश को ऐसे प्रजातंत्र की आवश्यकता नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इस वाद-विवाद के शुरू के २० मिनट में मैं इस सदन में हाजिर नहीं रह सका बावजूद इसके कि मेरी प्रबल इच्छा थी कि शुरू से इसमें हाजिर रहूं। कुछ विवेक की बात कही गयी, कुछ भावनाओं को भी दबाने की बात कही गयी, एहतराम कानून का भी जिक्र किया गया। मैं मशकूर हूं माननीय उपनेता सदन का कि उन्होंने हाईकोर्ट के जज के एक जजमेंट का कुछ जुज भी पढ़ा। मैंने उस जजमेंट को बहुत गौर से उलट-पलट कर देखा। जज हाईकोर्ट की राय जिसको कानूनी फिकरे में ओबिटर डिक्टा कहते हैं उसमें इस बारे में कोई राय नहीं है कि डाक्टर लोहिया को इस तरह ले जाना चाहिये था या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने तो यह कहा कि मेजारिटी आफ जजेज की यह राय है।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैंने उसी के मुताल्लिक यह अर्ज किया कि कानूनी इबारत में एक ओबिटर डिक्टा होता है, हाफ़िज साहब उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। उन्होंने इस सम्बन्ध में राय नहीं दी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आपकी इजाजत से मैं अपने मोअज्जिज दोस्त को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह क्वेश्चन कि उनको कुर्सी में बांध कर ले जाया गया खास तौर पर कोर्ट के सामने उठाया गया that point was specifically raised before the court.

श्री त्रिलोकी सिंह—मैंने जजमेंट उनकी खिदमत में पेश कर दिया है। अगर उस इंसीडेन्ट को हाईकोर्ट के जज ने जस्टीफाई किया हो तो उस तरफ वह इस सदन की तवज्जह दिलाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हाफ़िज साहब ने कानून का हवाला दिया appears or is brought लफ्ज 'ब्राट' पर तवज्जह दिलाई, लेकिन इसक मान यह नहीं हैं कि हाथ पैर बांध कर कोर्ट में ले जाया जाय। अगर कोई मुलजिम जेल में है और वह एपियर नहीं हो सकता है तो "He is to be brought before the court" सिम्पिल रूल तो इंटरेप्शन का है। कहीं बांधने की इजाजत नहीं है और न जरूरत है। मुझे हैरत हुई कि दूसरे हजरात ने और माननीय उपनेता सदन ने यह एतराज पेश किया कि डाक्टर लोहिया का जिक्र नहीं आना चाहिये। मगर उनकी तकरीर का पूरा हिस्सा महज डाक्टर लोहिया से वास्ता रखता था। मैं तो मान्यवर यह अर्ज करूंगा कि किसी भी मुल्क की सभ्यता का मयार, यह देखना कि वह मुल्क तहजीबयाफता है या नहीं, यह नहीं कि वहां किसी ईमानदार आदमी के साथ कैसा सलूक किया जाता है। भले आदमी के साथ तो सब अच्छा सलूक करते हैं। प्रिजनर एक सेक्रेड ट्रस्ट है मुल्क का। मसल मशहूर है, सारी दुनिया इस बात से मुनकिर नहीं हो सकती कि अगर किसी का बेहतर से बेहतर इलाज होता है तो या तो फौज के सिपाही का या जेलखाने के कैदी का। हाफिज साहब इससे मुनकिर हैं जेलखाने में रहने के बाद भी। मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जेलखाने में जो आदमी हैं, जिस बेबसी के आलम में हैं, उस पर मारपीट! प्रिजन्स ऐक्ट या प्रिजनर्स ऐक्ट, दोनों का मुताला फरमाइये, कहीं लाठी के उपयोग का जिक्र है? कोई प्रिजनर डिफाल्ट करता है तो उसको क्या सजा दी जायगी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कहीं भी लाठी या लाठी चार्ज का जिक्र नहीं है, उन दोनों में।

एक मोअज्जिज मेम्बर ने यह फरमाया जो हमारी हुकूमत के नायब वजीर भी हैं, कि कुछ नील स्याह पड़ गये। कंट्यूजन, खून नहीं बहा। यह हमें समझाया जाता है कि कंट्यूजन क्या होता है। कहते हैं कि खून नहीं निकला। जेलखाने में खराश लगना तो बहुत बड़ी चीज है, जरा प्रिजनर्स ऐक्ट को पढ़िये और उसकी जिम्मेदारी पर गौर करिये।

अभी कुछ दिन हुए यहां एक सम्मेलन हुआ था जिसका उद्घाटन मुख्य मंत्री जी ने किया था। प्रिजिनर्स का रिफार्म और यहां यह मारपीट! मुझे मान्यवर, खुद उस जेल में जाने का इत्तफाक हुआ, जेलर और सुपरिन्टेन्डेंट से मेरी बात हुई, जिरह करने का तो हक नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी में वहां के लोगों ने बयान दिया। चोटें लगने के बारे में दो दिन बाद लखनऊ के गैर सरकारी डाक्टर ने नहीं, सिविल सर्जन ने जो मुआयना किया है और जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश है, उसमें महज २० आदमियों को चोटें दिखाई गयी ह कुछ को दो-दो इंच की लम्बी और नील स्याह पड़े हुये हैं। यह किस दीवार के कूदने पर हो गये, औंधे कूदे, टढ़े कूदे, मेढ़े कूदे, क्या बात है? या यह कहा जायगा कि कैदियों ने खुद घूंसेबाजी की जिससे यह चोटें लगीं। लाठी से मानते नहीं, कहा गया कि आयरन रौड से मारे गये। डाक्टर कहता है ब्लंट वेपेन। माननीय उपमंत्री न्याय विभाग कहते हैं कि लाठी उसमें नहीं हो सकती और चाहे जो कुछ भी हो। मेरी समझ में नहीं आया और उसके बाद वह विवेक और भावना की दुहाई देते हैं.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री त्रिलोकी सिंह---आपने नहीं कहा ? हो सकता है मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हों। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मारपीट हुई और २० आदमियों के चोट लगी। अगर इस सरकार का यह कहना है कि चोट मारपीट से नहीं लगी तो बताये कि वह किस प्रकार लगी ? लोगों के अपने आप खरोंच लगीं ? इधर-उधर की गोलमाल बात कहने से काम नहीं चलता है। अगर खुद भी खरोंच लगी तो जेल में उसका भी रिकार्ड होना चाहिये। ऐसा जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। जेल के अन्दर उसका कोई इलाज किया गया ? माननीय जेल मंत्री यहां पर बैठे हुये हैं, मैं उनस दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात पर रोशनी डालने की तकलीफ करेंगे।

मैं समझता हूं जितने भी सदस्य यहां पर हैं वे सब प्रजातंत्र के उसूलों को बखूबी जानते हैं वरना इस प्रदेश की जनता ने उनको इस सदन में न भेजा होता। उसके बाद यह कहना मुनासिब नहीं है। बावजूद इसके कि बारबार यह कहा गया किन्तु सरकार की तरफ से बयान शाया नहीं हुआ कि असल वाक़या क्या है। हम कहते हैं कि लाठी चली, लेकिन वह क्या कहती है ? ३० नवम्बर से आज दिन तक यह राह देखी गयी जब काम रोको प्रस्ताव आये। तो उन प्रस्तावों के लिये हर तरह का अड़ंगा पैदा किया गया कि किसी तरह से इनके ऊपर गौर न किया जा सके। यह इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट किस लिये है और यह क्या काम करता है ? यह सब प्रोपेगेण्डा और पब्लिसिटी के लिये काम करता है। क्यों नहीं सरकार की तरफ से कोई बयान या इश्तहार शाया हुआ या निकाला गया कि असल वाकया यह है। छोटी-छोटी मामूली बातें कही जाती हैं। मैं ज्यादा नहीं निवेदन करना चाहता हूं कुछ माननीय सदस्यों ने यहां शर्म के नारे लगाये। मुझे खुद अफसोस है और मैं शर्म से झुक जाता हूं कि इस जमाने में इस मुल्क में यह बात मुमकिन है। कहा गया कि डाक्टर लोहिया का जिक्र नहीं करना चाहिये। फिर भी कहा कि इजलास लगाया गया पड़ोस की बैरक में। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। जिस बैरक में डाक्टर लोहिया बन्द हैं उस बैरक में रहने का फख्र मुझे भी हासिल है। जिस जगह इजलास लगाया गया उस जगह को भी मैं देख आया हूं। उसमें १०० गज से ज्यादा फर्क है। वह कहते हैं कि पड़ोस का मामला है। जिस बैरक में डाक्टर लोहिया को बन्द किया गया उसमें दो आदमियों को और रखा गया। जेल लाकअप रजिस्टर में यह बात देखी जा सकती है। कहा गया कि पड़ोस की बैरक थी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैंने 'पड़ोस' शब्द का प्रयोग नहीं किया।

श्री त्रिलोकी सिंह---नायब वजीर साहब समझते हैं कि मैंने महज उनकी बात सुनी और मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैं यह अर्ज करता हूं कि यह साफ बातें हैं। किसी बात पर परदा डालने, मिट्टी डालने या धूल डालने से काम नहीं चलेगा। लाठी चली और अगर लाठी नहीं चली और सरकार की बात सही है तो फिर फोर्स कैसा इस्तेमाल हुआ ? यह आप का सुपरिन्टेन्डेन्ट कहता है। कोर्ट ने हुक्म दिया कि फोर्स इस्तेमाल करो। यह कहते हैं कि नहीं इस्तेमाल हुआ। अदालत इस बात को तसलीम करती है और इसका एफिडेविट लगा हुआ है। फिर फरमाते हैं कि फोर्स इस्तेमाल नहीं हुआ।

मैं और ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं सिवाय इसके कि मुझे भी निहायत अफसोस है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय जेल मंत्री भी इस मामले पर अपनी राय का इजहार करेंगे और कुछ हमारी दिलजोई भी करेंगे और ऐसा इतमिनान दिलायेंगे कि आइन्दा उत्तर प्रदेश की जेल में किसी कैदी को खरोंच भी नहीं लगेगी, लाठी और चोट की बात तो दूर रही।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा समाज सुरक्षा मन्त्री को बुलाने पर

श्री उग्रसेन---मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो मैं उनको बुला चुका हूं। उनको जवाब देना है।

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---उपाध्यक्ष महोदय, तारीख ३० नवम्बर, १९५७ ई० को डाक्टर राम मनोहर लोहिया को दफा ७ क्रिमिनल ला के मुकदमे के सिलसिले में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था। मुकदमा जेल के अन्दर ही होगा, यह सुना जा रहा था। लोहिया साहब ने कोर्ट के सामने जाने से इनकार किया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने यह हुक्म दिया कि डाक्टर लोहिया को अदालत के सामने पेश किया जाय और जरूरत हो तो . . . . .

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, क्या कोई लिखा हुआ भाषण पढ़ सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने फैक्ट्स नोट कर रखे हैं।

श्री देवीप्रसाद मिश्र---मैं उनसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि यह उन्हीं का लिखा हुआ है या किसी दूसरे का ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह माननीय सदस्य का लिखा हुआ होगा।

जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यह हुक्म हुआ कि डाक्टर लोहिया साहब को जेल की अदालत के सामने पेश किया जाय और अगर जरूरी हो तो मिनिमम फोर्स इस्तेमाल किया जाय। सुपरिन्टेंडेंट जेल ने डाक्टर लोहिया से दरख्वास्त की कि वह कोर्ट में जाने से इनकार न करें और उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट ने मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। अगर आप वहां तशरीफ नहीं ले चलेंगे तो आपको ले चलना पड़ेगा। कुछ सत्याग्रही डाक्टर लोहिया साहब के बैरक में आ गये थे। डाक्टर लोहिया साहब ने कतई इनकार किया और यह कहा कि आप मुझे बांध कर ले जा सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से वहां नहीं जाऊंगा। उन सत्याग्रहियों ने, जो वहां पर मौजूद थे, शोर मचाना शुरू किया और यह कहा कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन डाक्टर लोहिया को अदालत के सामने नहीं जाने देंगे। इतना ही नहीं हुआ बल्कि बगल की बैरक में जो दूसरे समाजवादी सत्याग्रही थे, उस शोर को सुनकर दीवार फांद कर इस बैरक में आ गये और यह मजबूत इरादा उन्होंने जाहिर किया कि डाक्टर लोहिया को कोर्ट के सामने ले जाने की मुखालिफत करेंगे और किसी तरह जाने नहीं देंगे। उस वक्त एक विषम परिस्थिति आ गयी। कोर्ट का यह आर्डर था कि उनको अदालत के सामने पेश किया जाय और यह कैदी इस पर बजिद थे कि वह खुद फोर्स इस्तेमाल करेंगे और डाक्टर लोहिया को कोर्ट में नहीं जाने देंगे। जेल के अधिकारियों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने अलार्म बेल बजाई। अलार्म बेल बजने पर हर एक कैदी का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसके जो करीब की बैरक हो, वह वहीं चला जाय लेकिन इन कैदियों, इन सत्याग्रहियों ने बैरकों में जाने से इंकार कर दिया। ऐसी सूरत में उनको बैरकों में ले जाना इस वजह से भी जरूरी था कि अलार्म हो जाने के बाद उन्हें बैरकों में जाना था और इसलिये भी जरूरी था कि उनके रहते हुये डाक्टर लोहिया को कोर्ट में ले जाना और भी दुशवार हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि जब सत्याग्रहियों को बैरकों में ले जाने लगे तो उन्होंने वहां जो ढेले थे, उनको फेंकना शुरू किया। एक साहब ने चप्पल खींचकर वार्डर्स को मारा और जब उनको ले जाने लगे तो सब के सब लेट गये और पूरी तरह से रेजिस्ट किया। जाहिर है कि इस कशमकश में कुछ खरोचें भी आयी होंगी, कुछ चोटें भी लगी होंगी। चुनान्चे कुछ न कुछ लोगों को चोटें लगीं, कुछ को कूदने से चोटें लगीं और कुछ ने वहां दरवाजे से टक्कर लगा कर जो हाथ पांव अड़ा रखा था, उससे उनको चोटें आयीं। इसमें कोई शक नहीं कि उनको थोड़ी बहुत चोटें आयीं जिसके ऊपर दूसरे दिन हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक वहां डाक्टरों ने मुआयना किया। आप मुआयने को देखें कि कैसे चोट लगी। सिवा इसके यह कहा गया कि नीले खूं निशान लगे, खरोचें आयीं, और इसका ड्यूरेशन भी हर एक का दो दिन के लिये दिया गया था।

[श्री मुजफ्फर हसन]

उपाध्यक्ष महोदय, अगर लाठी चार्ज हुआ होता तो क्या यह कहने की गुंजायश थी कि दो दिन के अन्दर चोटें खत्म हो जायेंगी ? इसके कोई माने होते नहीं हैं । जब वे कैदी हटाये गये, तब डाक्टर लोहिया साहब को वहां ले जाया गया और कतई किसी तरह से कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी बतला दें कि डाक्टर लोहिया को कैसे ले जाया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—डाक्टर लोहिया कुर्सी पर बैठ गये और तब उनको उठाकर ले जाया गया । तब तक कैदी बन्द हो गये थे । खासतौर से अपोजीशन के लीडर साहब ने यह जानना चाहा है कि इसके ऊपर कोई विज्ञप्ति क्यों नहीं निकली ? मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि उसी रात को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की एक विज्ञप्ति शाया हुई और अखबारों में वह मौजूद है । दूसरे ही दिन जब कोर्ट में मुकदमा पहुंच गया तब फिर उसके ऊपर कोई दूसरी विज्ञप्ति निकालना किसी तरह से मुमकिन नहीं था इसलिये कि वह चीज कोर्ट के सामने थी और उसका फैसला अभी कल ही हुआ है, तो कोई सवाल इस तरह का पैदा नहीं होता ।

जहां तक डाक्टर के मुआयने का सवाल है, सिविल सर्जन ने और एडीशनल सिविल सर्जन ने जो मुआयना किया, उससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है । सिर्फ इख्तिलाफ इस बात से है कि जो चोटें आयीं वे लाठी चार्ज से आयीं या जो कशमकश हुआ उससे आयीं । वहां जो सत्याग्रही थे वे डाक्टर लोहिया को ले जाने से रोकने के लिये दीवारें फांद कर आये और बार-बार ईंटें फेकते रहे । कुदरतन पालीवाल जी ने सन् १९३२ के सत्याग्रह के वक्त बैरक से अपने बारे में न जाने का जिक्र किया । मैं भी उनके साथ था । क्या पालीवाल जी कह सकते हैं कि उन्होंने रेजिस्ट किया था ? मैं तो उसके भी खिलाफ था और मैं तो अपने बैरक से बाहर भी नहीं आया । लेकिन पालीवाल जी को जिस आसानी से उठा कर ले जाया गया, अगर वही शक्ल यहां भी अख्तियार की गयी होती और लोग रेजिस्ट न करते तो यकीनन किसी किस्म के खरोंच आने की नौबत नहीं आती । पालीवाल जी चार आदमियों द्वारा बैरक से उठा कर ले जाये गये और वे आसानी से चले भी गये, जिससे किसी किस्म की कोई चोट नहीं आयी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सर पर उठा कर मैं ६०० आदमियों द्वारा ले जाया गया ।

श्री मुजफ्फर हसन—उसी जमाने का मैं खुद शाहिद हूं जब कि इलाहाबाद में लोगों ने जोड़े में बैठने की मुखालिफत की थी और बैरक में जाने से इनकार किया था । लोगों ने जाने से रेजिस्ट किया और इससे लोगों को चोटें आयीं, और यह सब डाक्टरों की रिपोर्ट में है । मुझे अफसोस है कि वहां इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई और जेल वालों के लिये जब कि कोर्ट का आर्डर मौजूद था, उनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था कि वे किसी तरह से भी डाक्टर लोहिया को कोर्ट के सामने पेश करते ।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, मैं एक इन्फारमेशन चाहता हूं कि जेल में जब कशमकश हुई और उस समय जो ढेले चले उसमें जेल वालों को या वार्डरों को भी चोट लगी या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जरूर ईंटों से कुछ न कुछ चोट आई होगी, लेकिन वह चोटें इस तरह की नहीं थीं कि जिसका कोई खास तज़किरा करने की जरूरत होती ।

श्री उग्रसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—अगर मंत्री जी उनको मौका देना चाहें तो बैठ जांय ।

श्री मुजफ्फर हसन---मैं तो अपना भाषण समाप्त कर चुका ।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि सत्याग्रही दीवार फांद कर आये थे, तो क्या उस समय बैरक के फाटक नहीं खुले थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---वह बन्द थे और उस बन्द एनक्लोजर में आवाज दी गयी तो वह कूद कर आये । कुछ लोग पहले से आ गये थे, जब शोर गुल और आवाज हुई तब वह लोग आये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब यह प्रश्न सम्पुष्ट किया जाय और इस पर वोट लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---अब मंत्री जी बैठ गये, अगर श्री रामस्वरूप जी वर्मा चाहें तो वह बोल सकते हैं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---हुजूर वाला, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है और वह यह है कि वोट लेने के बारे में कोई मोशन नहीं हुआ है, कोई प्रोपोजल नहीं हुआ ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---वह मैंने किया है । मैंने कहा कि प्रश्न सम्पुष्ट किया जाय और वोट सदन के लिये जांय ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आपने प्रस्तुत बहस को बन्द करने की बात कही और बहस उस पर बन्द हो गई लेकिन जो मोशन है . . . .

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कोई मोशन नहीं हुआ . . . .

श्री उपाध्यक्ष---इस पर किसी प्रस्ताव की जरूरत नहीं है । कामरोको प्रस्ताव तो है ही । उस पर तो राय ली ही जायगी ।

प्रश्न यह है कि गत ३० नवम्बर, सन् ५७ को लखनऊ जेल में बुरी तरह लाठीचार्ज हुआ, सर्वश्री रामसागर मिश्र, कृष्णनाथ शर्मा, कृष्णपाल सिंह, अंगनू प्रसाद, नीलकन्ठ, रामप्रसाद, महादेव, महाबीर, बाबूलाल, रामसागर वर्मा, श्यामानन्द, रामबड़ाई, रामअवध तथा अन्य बन्दियों को लाठी, घूंसा, डन्डा से मार-मार कर जबरदस्ती उठाकर उन्हें बैरकों में फेका गया । कौन कहां रहता है बिना इसका खयाल किये हुये मनमाने ढंग पर बन्द करके सामान लूट लिया गया । यह उपर्युक्त कार्य जिस निरंकुश स्वेच्छाचारी तथा बर्बर ढंग पर किया गया उसने जनतांत्रिक व्यवस्था की जड़ को झकझोर कर हिला दिया है जिससे प्रदेश का प्रत्येक शोषित, पीड़ित, कम्पायमान हो गया है ।

अतः यह सदन उपर्युक्त विषम तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

अब ६ बज गया है और इस सम्बन्ध में सारा कार्य समाप्त हो गया, इसलिये अब हम उठते हैं और परसों ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजे सोमवार २३ दिसम्बर, १९५७, के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२१ दिसम्बर, १९५७ ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०---२२३ एल० ए०---१९५८---८१० ।